

हरियाणा विधानसभा

की

कार्यवाही

31 अक्टूबर 2002

खंड 3, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 31 अक्टूबर 2002

पृष्ठ संख्या

मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविास प्रस्ताव पर चर्चा	(2)1
नियम 45(1) के अधीन चेयर के आदेानुसार सदन की मेज पर रखे गए	(2)4

अतारांकित प्र नों के रूप में आज के तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर मंत्रिमंडल के विरुद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)11
वैयक्तिक स्पष्टीकरण श्री जाकिर हुसैन एम.एल.ए. द्वारा	(2)28
मंत्रिमंडल के विरुद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)28
वाक आउट	(2)28
मंत्रिमंडल के विरुद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)35
वाक आउट	(2)56
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(2)58
सदस्य का नाम लेना	(2)58
वाक आउट	(2)59
मंत्रिमंडल के विरुद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)67
सदन की मेज पर रखा गया कागज पत्र	(2)72

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(2)72
सरकारी प्रस्ताव	(2)72
विधान कार्य	(2)78
दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटिज टू मैम्बर्ज)	(2)78
दि ईस्ट पंजाब मोलासिज (कंट्रोल) हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2002	(2)79
दि हरियाणा लोकल एरिया डवैल्पमेंट टैक्स (अमेंडमेंट) बिल 2002	(2)81
दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल 2002	(2)82
दि पंजाब एक्साईज (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल 2002	(2)85

हरियाणा विधानसभा

वीरवार, 31 अक्टूबर, 2002

विधानसभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ से प्रातः 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

मंत्रिमंडल के विरुद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, प्र न काल भुरु होने से पहले ही मैं सदन में एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे अपोजि उन के विधायकों का एक भी प्र न न कल लगा था और न ही आज लगा है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों ने विपक्ष की तरफ से प्र न दिए ही नहीं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों ने विपक्ष की तरफ से प्र न दिए हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, जिस विधायक ने पहले प्र न दिया उसका पहला प्र न लगता है, यह नहीं है कि किसी ने बाद में प्र न दिया हो और उसका प्र न पहले लगा दिया जाये। कांग्रेस पार्टी या आपोजि उन के किसी भी विधायक ने

गायद ही कोई प्र न दिया हो और यदि दिया भी है तो वह बाद में दिया होगा।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सरकार के खिलाफ अवि वास प्रस्ताव लाये हैं इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि हाउस में कोई भी दूसरी कार्यवाही होने से पहले सरकार वि वास मत हासिल करे।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वे सरकार के खिलाफ अवि वास प्रस्ताव लाये हैं और यह आपके नोटिस में है। यह प्रस्ताव विधिवत रूप से आया है या नहीं और यह सही है या नहीं यह तो आपको देखना है। यदि यह प्रस्ताव विधिवत रूप से आया है और सही है तो हम भी यह चाहते हैं कि प्र नकाल न हो और हम इस बात के पक्षधर हैं कि सरकार सबसे पहले वि वास मत हासिल करे। स्पीकर साहब, इसलिए हम इनकी इस बात से हसमत हैं कि सर्वप्रथम अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा हो, यदि इनके द्वारा दिया गया प्रस्ताव ठीक है। मुझे भांका इसलिए है क्योंकि ये ठीक से पढ़ना लिखना जानते नहीं है। मुझे एक तो इस बात की खुशी है कि चौधरी बंसी लाल जी और ये सब ईकट्ठे हैं। जब भी इनका कोई कागजा आता है तो उस पर एक ही जगह कोमा, फुलस्टोप और एक ही टाईपराईटर से मैटर टाईप हुआ होता है। अध्यक्ष महोदय, यब बड़ा अच्छा मौका है कि

अवि वास प्रस्ताव पर हैल्दी चर्चा हो। चौधरी भजल लाल जी सोनिया गांधी को कहकर आये थे कि ये तीन महीने में हमारी सरकार गिरा देंगे और आज तीन महीने भी पूरे हो गये हैं। सरकार गिराने का यह बहुत बढ़िया मौका है। स्पीकर साहब, अवि वास प्रस्ताव पर खुलकर चर्चा हो लेकिन आपके माध्यम से मैं एक बात विपक्ष के साथियों को कहना चाहूंगा कि हाउस की कुछ परम्पराएं हैं उन्हें कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है, ये उस परम्परा को कायम रखें। ये हाउस का डैकोरम बरकरार रखें और हैल्दी किटीसीज्म करें। कोई अनर्गल बात न करें और किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर किसी तरह की टिप्पणी न करें। ऐसा करने से कटूता आती है और हाउस का डैकोरम भी बिगड़ता है। अध्यक्ष महोदय, कल भी विपक्ष की तरफ से कई तरह के एडजर्नमेंट मोशन आये थे लेकिन ये उनको ठीक से नहीं दे पाये थे। आज अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सभी को चर्चा करने का मौका मिलेगा। आई.पी.सी. की धारा 228 (ए) में यह कलियर हो जायेगा कि क्या ये दुरुस्त हैं। इस अवि वास प्रस्ताव में भाग लेते हुए एक और निर्णय हो जाएगा कि क्या ये दुरुस्त हैं। इस अवि वास प्रस्ताव में भाग लेते हुए एक और निर्णय हो जाएगा, जिसका खास तजुर्बा चौधरी भजन लाल जी को है। इनके खिलाफ भी इसी प्रकार का पर्चा दर्ज हुआ था और पर्चा दर्ज कराने वाले भी आज इनके साथ हैं। दफा 376 का पर्चा इनके खिलाफ दर्ज हुआ वह भी गलत हुआ। (विघ्न) उस वक्त वजीर के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज हुआ था उसको उस वक्त जो

मुख्यमंत्री थे उन्होंने करवाया था। बहुत खुशी की बात है कि आज दोनों इकट्ठे हैं। अब सभी को पता लग जायेगा कि आपने आई.पी.सी. 228 (ए) के तहत नोटिस दिया या नहीं दिया। आज विपक्ष के नेता भी ला-ग्रेजुएट हैं और चौधरी बंसी लाल जी बहुत बड़े वकील रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि जो बिल कैसीनो का है इस पर ये बोलना चाहते थे लेकिन इनको बोलने नहीं दिया गया। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इनके सामने एक एक चीज खोलकर रखी गई। (विधन) आप जरा सुनिये, पे पेंस रखिए, आपको बोलने का अवसर दिया, खूब दिया लेकिन ये तो बोलना नहीं चाहते थे। ये तो अपनी सीट्स पर बैठते नहीं। और तो चौधरी बंसी लाल सरीखे व्यक्ति वेल में आ गए। (विधन)

चौ. बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को इधर-उधर की बात करने की आदत है और टोरे मारने की आदत है। (विधन)*****

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

श्री कर्ण दलाल : स्पीकर साहब,*****

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, बैठिये। इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। (विधन) आप बैइ जाएं, आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप का कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है इसलिए आप बैठ जाएं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : चौधरी बंसी लाल जी इस सदन में मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत लम्बे समय तक रहे हैं लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि बोलने वाला सदस्य सीट पर ही न हो। और तो और चौधरी भजल लाल भी जब बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। आखिर कोई सीमा होती है, कोई अनुपासन होता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप बैठे बैठे न बोलें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : चौधरी भजल लाल जी, कोई आदमी यह गिला नहीं कर सकता, न ही सदन का कोई सदस्य करेगा, न ही इस प्रदेश की सरकार यानि हमारी सरकार के आने के बाद कोई व्यक्ति गिला नहीं करेगा कि बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं आभार व्यक्त करूंगा स्पीकर साहब का, जिन्होंने सबको खुलकर बोलने का समय दिया। स्पीकर साहब, तो बुलवाने के लिए नाम लेते हैं और जिसका नाम लेते हैं वह बाथरूम में घुस जाता है। बाथरूम से लाले की प्रक्रिया तो रूलज में है नहीं, कैसे लेकर आएँ। आपने कैसीनो के बिल को लेकर के

बहुत भाोर मचाया है। हम तो आपकी सुविधा के लिए यह बिल लेकर आये हैं ताकि आपको काठमाण्डू न जाना पड़े। आप लोगों के लिए यहीं पर उसकी व्यवस्था ढंग से हो जाये इसलिए इस बिल को लेकर आए हैं। (विघ्न) आप जाओ वह आपकी मर्जी है। हमारी एक बड़ी खुली सोच है, जबकि आप इसका विरोध कर रहे हैं। उस कैसिनो से जो हमें आमदनी होगी उसको जनहित में ही खर्च करेंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया को पूरा करेंगे तथा समाज के कल्याण के दूसरे कामों पर पैसा लगाएंगे। हमारी मं ता कोई पैसा अर्जित करने की नहीं है। हमारी सरकार की मं ता लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि क्वै चन आवर समाप्त किया जाये और अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा करायी जाए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसके लिए आप एक निश्चित समय अलाट करें। उसके मुताबिक जितना समय जिस पार्टी का होगा उस पर उनको आप बोलने दें। इनकी तरफ से जिन्होंने बोलना है उनका नाम ये आपको दें। इसके बाद मैं नहीं चाहूंगा कि कोई सदस्य बोलने की बात को लेकर कटुता पैदा करे। आप सभी को एक समय सीमा में बांध दीजिए। हमारे लोग भी बोलेंगे। हम उतना ही समय लेंगे जितना हमें आपकी तरफ से अलाट होगा। अब कोई बिना पार्टी के सदस्य भी हैं वे भी समय मांगेंगे, उनको समय कौन देगा। समय तो सीमित है। समय जितना है उतना तो ले लो। अब तो ये इकट्ठे हैं, बड़ी खुली की बात है। अब तो इनकी एक मीटिंग बैठती है और

दस्तखत एक जगह कराते हो। अब तो सभी बातों को भूल गए। चौधरी बंसी लाल जी की कड़वाहट समाप्त हो गई। अब पुरानी परम्पराएं सारी टूट गई हैं। (विघ्न)

चौ. बंसी लाल : स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, आप बैठिये।

चौ. बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय,****

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। (विघ्न) अभी सब्जेक्ट मैटर आने दीजिए। अभी आप बैठिये।

श्री ओम प्रका । चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे हैरानी और अफसोस तो इस बात का है कि जो आदमी कहता है कि हमें बोलने का समय नहीं दिया गया है उसने भासनकाल में दो महत्वपूर्ण बिल इस सदन में पास करवाए एक लोकपाल का और एक बिजली के प्राईवेटाईजे ान का। चौधरी बंसी लाल जी, आप उस समय मुख्यमंत्री थे और विपक्ष की बेंचों पर हम थे। आज चौधरी भजन लाल जी के साथ आप इकट्ठे हो रहे हो उस समय भजन लाल जी को भी सदन से निकाला गया था और मुझे भी निकाला गया था। उस समय सदन में विपक्ष का एक भी सदस्य नहीं था (विघ्न)। चौधरी साहब, आप अपने दिन याद करें आपके राज में बिल पास हुए थे और विपक्ष का एक भी सदस्य नहीं था।

चौ. बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय,**** **** ****

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी की कोई बात रिकार्ड न करें क्योंकि ये बगैर इजाजत के खड़ हैं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उस समय सदन में विपक्ष का एक भी सदस्य नहीं था लेकिन कल जो बिल पास हुए हैं वे आपकी मौजूदगी में पास हुए हैं अगर कोई न बोलना चाहे तो हम उसका क्या करें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ और आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से भी कहूंगा कि डैकोरम बरकरार रखें। जिसने जो बात कहनी है आराम से कहे सरकार उसको सुनने के लिए तैयार है। हैल्दी क्विंटिसिज्म करें हम उसे बर्दाश्त करेंगे, आप कुछ अच्छे रचनात्मक सुझाव दें हम उनको भी मानेंगे। हम चाहते हैं कि प्रजाजान्त्रिक प्रक्रिया पूरी हो क्योंकि बंसी लाल जी जैसे तानाशाह की मार चौधरी भजन लाल जी पर भी पड़ी है और हमारे ऊपर भी पड़ी है, हम उसके भुक्तभोगी हैं।

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बरज, यदि सभी सहमत हों तो आपकी सहमति से क्वैश्चन आवर पुट कर देते हैं।

आवाजें : ठीक है जी।

नियम 45(1) के अधीन चेयर के आदेशानुसार सदन की मेज पर रखे गए अतारांकित प्रश्नों के रूप में आज के तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

श्री अध्यक्ष : एक बार पहले भी जब मेरे खिलाफ अवि वास प्रस्ताव आया था मैंने उस समय भी क्वै चन आवर पुट ऑफ किया था और विपक्ष के लोगों ने उसका विरोध किया था लेकिन आज आप लोगों को समझ आई है जब सरकार के खिलाफ अवि वास प्रस्ताव आया है तो आपने स्वयं क्वै चन आवर पुट ऑफ करने के लिए कहा है इसलिए सब की सैंसज से क्वै चन आवर पुट ऑफ करते हैं। माननीय सदस्यगण, कांग्रेस पार्टी एण्ड अदर्स की तरफ से, 23 एम.एल.एज. की तरफ से, एक नो कांफिडेंश मो इन ऑफ मिनिस्ट्रज के अगेन्स्ट आया है मैं इसे ऐडमिट करता हूँ। हुड्डा साहब, यदि हाउस सहमत हो तो क्वै चन आवर पुट ऑफ किया जाता है और आज के जो क्वै चन हैं वे अनस्टार्ड रिप्लाइड माने जाएंगे

Inclusion of Kalayat Under accelerated Water Supply Scheme

***1229. Shri Dina Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to include Kalayat under the Accelerated Urban Water Supply scheme during the current financial year ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : कलायत गहर के लिए जल वितरण योजना का 544.18 लाख रुपये का अनुमान पहले ही त्वरित भाहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत मास सितम्बर 2002 में स्वीकृत किया जा चुका है।

Construction of Bus Stand

***1198. Shri Jai Prakash Gupta :** Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new Bus Stand in Sector-12, Karnal; if so] the time by which it is likely to be constructed?

परिवहन मंत्री (श्री अ गोक कुमार अरोड़ा) : यह मामला सरकार के विचाराधीन है तथा इस बारे में धन की उपलब्धता तथा हुडा भूमि का प्रावधान किये जाने पर निर्णय लिया जायेगा।

Construction of Roads

***1202. Shri Lila Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads in district Kaithal :-

(i) Bye-Pass from Jind road to Khanauri road ; and

(ii) from village Dewal to Bamniwala ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialize?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Amount of Reward given to Players

*1220. **Shri Nafe Singh Rathi** : Will the Chief Minister be pleased to state the details of amount of reward given to the players belonging to the Haryana State during the period from 20-8-1999 to 31-8-2002 ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हरियाणा राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा उनकी खेल उपलब्धियों के आधार पर पुरस्कार दिये गए हैं जिनका वांछित विवरण निम्न प्रकार से है :-

अवधि		पुरस्कार	
	खिलाड़ियों की संख्या		राशि
20-5-91 से 20-5-96	875	1/-	35,36,26
22-5-96 से 27-7-99	1200	0/-	81,17,00
24-8-99 से 31-8-2002	1500	00/-	1,27,33,0

उपरोक्त के अतिरिक्त हाल ही में आयोजित कॉमनवैल्थ खेलों तथा राष्ट्र/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों

को उनकी 2001-2002 की उपलब्धियों पर 103.10 लाख रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में देकर सम्मानित किया गया है। एशियन खेलों, 2002 में पदक विजेता खिलाड़ियों को 7-11-2002 को 1.09 करोड़ रुपये की राशि पुरस्कारों के रूप में देकर सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है।

Construction of Roads from Lakhwana to Ganga/Saktakhera to Mositan

***1215. Shri Sita Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the roads from Lakhwana to Ganga and Saktakhera to Mositan in Dabwali Constituency ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : नहीं, श्रीमान् जी।

Upgradation of Sub-Tehsil, Pundri

***1224. Shri Tej Vir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government, to upgrade Sub-Tehsil, Pundri as Tehsil : and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

राजस्व मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) आगामी कार्यवाही पुनः सीमांकन आयोग, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 9-8-2002 के अनुसार की जायेगी, जिसके अनुसार 1 अगस्त, 2002 के पचास तक जब तक पुनः सीमांकन कार्य की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक प्रशासकीय इकाइयों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये।

Setting up of Yamuna Nagar Thermal Power Plants

***1226. Shri Rajinder Singh Bista :** Will the Chief Minister be pleased state-(a) Whether there is any scheme under consideration of the Government to set up Yamuna Nagar Thermal Power Plant : and

(b) if so, the power generation capacity of the above said Thermal Plant ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हां श्रीमान्। दसवीं योजना के दौरान यमुनानगर ताप बिजली संयंत्र को सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने की योजना है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(ख) स्वीकृतिक के अनुसार यमुनानगर में 250 मैगावाट क्षमता की दो इकाइयां जिनकी कुल क्षमता 500 मैगावाट होगी, स्थापित की जाएगी।

Repair fo Road

***1205 Shri Jasbir Mallour :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government Bhurangpur : if so, the time by which the aforesaid road is likely to be repaired ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान् जी। समय अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि धन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है।

Extension of Madina Minor

***1231. Shri Balbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that the sanction for the extension of Madina Sub-minor which off-take from Bhiwani Sub-branch was accorded during the year, 1988 ; and

(b) Whether it is also a fact that no work has been done so far on the said minor, if so, the time by which the work of the said minor is likely to be started ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) जी हां।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार प्र न ही नहीं उठता।

Construction of Kalanwali Bus Stand

***1214. Shri Sita Ram :** Will the Minister for Transport be pleased to state whether the construction work of Kalanwali Bus Stand in Dabwali constituency has been started : If so, the amount sanctioned for the purpose together the time by which it is likely to be completed ?

परिवहन मंत्री (श्री अ गोक कुमार अरोड़ा) : हां श्रीमान् जी। कालावाली में ए-टाईप बस अड्डे के निर्माण के लिए 9,00,200/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह बस अड्डा निर्माणाधीन है तथा इसके चालू वित्त वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है।

Surplus Primary Schools Teachers

***1221. Shri Nafe Singh Rathee :** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that the Primary Schools Teachers, who have been declared surplus according to the new Education Policy (Rationalization) are being transferred to other districts against vacant posts ; and

(b) if so, the criterion, if any laid down for maintaining of their seniority ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने पहले दिनांक 31-12-2000 की छात्र संख्या के आधार पर प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों का

वैज्ञानिकरण किया। वैज्ञानिकरण के फलस्वरूप 3126 अध्यापक फालतू हो गये। फालतू अध्यापकों को पहले रिक्तियों, सेवा निवृत्ति, पदोन्नति, त्यागपत्र अथवा मृत्यु के कारण हुई रिक्तियों के समक्ष उन्हीं जिलों में समायोजित किया गया। अब 31-8-2002 की छात्र संख्या के आधार पर वैज्ञानिकरण प्रक्रिया आरम्भ की गई है। अन्ततः फालतू शिक्षकों को कमी वाले जिलों में समायोजित/फिट किया जाएगा जिसके लिए यथोचित नीति निर्धारित की जाएगी।

Repairs of Roads

***1199. Shri Jai Parkash Gupta :** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that roads in Ram Nagar, Shiv Colony and Prem Nagar in Karnal City are in dilapidated condition ; and

(b) if so, whether there is any proposal to construct/repair the roads as at 'a' above along with time by which the aforesaid roads are likely to be repaired/constructed ?

नगर विकास मंत्री (श्री सुभाश गोयल) :

(क) करनाल भाहर में राम नगर, शिव कालोनी तथा प्रेम नगर में कुछ सड़कों को सुदृढ़ एवं मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है।

(ख) इन सड़कों का निर्माण/मरम्मत किये जाने का प्रस्ताव है। यह कार्य मार्च, 2003 तक पूरा किये जाने की सम्भवना है।

Setting up 33 KV Sub-station af Farmana

***1230. Shri Balbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that the canction for the setting up of 33 KV Sub-station at village Farmana, was accorded during the year 1998 ; and

(b) if so, the time by which the work on the aforesaid Sub-station is likely to be started ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : वर्ष 1988 के दौरान गांव फरमाना (जिला रोहतक) में 33 के.वी. उपकेंद्र स्थापित करने के लिए कोई स्वीकृति नहीं दी गई थी।

Upgradation of Government High School Ismailpur

***1217. Dr. Bishan Lal Saini :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the construction work of 66 KV Sub-station, Talachaur, district Yamuna Nagar is likely to be started, the foundation-stone of which has already been laid down by the Chief Minister ?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला) : नए 66 के.वी. तलाकौर पर निर्माण कार्य दिसम्बर 2002 के दौरान प्रारम्भ होना संभावित है।

Cases fo Rape/Murder etc. Registered in the State

***1234. Shri Pawan Kumar Diwan :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of cases of murder/rape/loot and dacoity registered in the State during period from 1st January, 2002 to 30th September, 2002 ; and

(b) the number of cases out of those as referred to in part 'a' above in which the accused have been traced out/arrested along with looted property recovered so far ?

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला) : वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरण

(क) (ख),	और	अपराध	दर्ज कीसंख्या	मुकदमों प्रथम	मुकदमों की संख्या जिनमें अभियुक्त पकड़े / गिरफ्तार किए	बरामद सम्पत्ति (रु0 लाख में)
			जनवरी 2002 से सितम्बर 2002 तक	30		

	हत्या	595	490	लागू नहीं
	बलात्कार	278	276	लागू नहीं
	लूट	251	177	251.49
	डकैती	45	32	120.12

Upgradation of Government High School

Mithathal

***1209. Shri Shashi Parmar :** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government High School, Mithathal in Mudhal Khurd Constituency into 10+2 System School ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid school is likely to be upgraded ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) :

(क) हां, श्रीमान ।

(ख) यह विद्यालय वित्तीय/प्रशासकीय व्यवस्था होने उपरान्त स्तरोन्नत हो जायेगा।

Damage of Wheat Crops in Fire

129. Shri Krishan Lal : Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that the wheat crops were destroyed due to fire in the State during the last five years ; and

(b) whether any compensation/relief has been give to the affected farmers whose crops have been destroyed during the period referred to in part 'a' above, if so the details thereof ?

राजस्व मन्त्री (श्री धीर पाल सिंह) :

(क) हां, श्रीमान।

(ख) उपायुक्तों से प्राप्त सूचना अनुसार किसानों को मुआवजा/राहत के रूप में प्रदान की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र.स.	वर्ष	मुआवजा/राहत राशि
1.	1998-99	1,85,158
2.	1999-2000	2,17,489

3.	2000-2001	2,28,797
4.	2001-2002	14,09,171
5.	2002-2003	2,05,618
	योग :	22,46,233

मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble member I have received a Notice of Motion of No Confidence from Shri Bhupinder Singh Hooda and other M.L.As against the Council of Ministers in Haryana which reads as under :-

“we move the motion expressing want of confidence in the Haryana Ministry headed by Shri Om Parkash Chautala, Chief Minister”

I hold the Notice of Motion of No Confidence in order and it will be taken up immediately i.e. on today the, 31st October, 2002 just now.

Now, I request those members who are in favour of leave being granted to move the motion, to please rise in their seats,

(At this stage more than 18 members rose in their seats).

Mr. Speaker : The leave is granted because more than 18 members have risen in their seats, Now, I fix two hours for its discussion, according to the strength of the House.

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आज का पूरा दिन इस पर बहस होनी चाहिए। आज का बाकी का काम कल करिए या परसों करिए उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। आज के लिए अप इस पर कितना समय देते हैं

श्री अध्यक्ष : इसके लिए दो घंटे का समय तय किया है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, दो घण्टे में क्या होगा। (विघ्न) एक घण्टा तो सत्तापक्ष के लोग ले जाएंगे फिर हम क्या करेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : वे लोग तो ज्यादा समय लेंगे ही क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, दो घण्टे का समय तो कुछ भी नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : एक मैम्बर के हिस्से डेढ़ मिनट का समय आता है आपका एक मैम्बर बोले, दो बोलें या सारे के सारे मैम्बर्ज बोलें आप हमें बोलने वाले मैम्बर्ज की लिस्ट दे दें। एक बात में कहना चाहूंगा कि जो बात बोलनी है वह बोलें रैपीटी 1न नहीं करना चाहिए। आपको अपनी बात कहने का अवसर है आप अपनी बात कहें जो बात हुड्डा साहब कहें, वही बात भजन लाल जी कहें और वही अरोड़ा साहब बोलें तो वह अच्छा नहीं रहेगा। आप लोग कंस्ट्रक्टिव बोलें, इस बात का ध्यान रखें। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हम ठीक बोलेंगे और सही बात कहेंगे गलत नहीं कहेंगे (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप अपनी पार्टी की तरफ से बोलने वालों के नाम भेज दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जो समय दिया गया है, वह बहुत कम है। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सुनना क्यों नहीं चाहते हैं, सदन का समय बहुत बहुमूल्य है और दो घण्टे का समय काफी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इन सदन के नेता ने इतने खुले दिल से बात कही है और उन्होंने कहा कि हैल्थी क्विटिसिज्म करें लेकिन समय बहुत कम है इसलिए समय बढ़ाया जाना चाहिए। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, अगर ये समझते हैं कि दो घण्टे का समय कम है तो आप इसे अढ़ाई घण्टे कर दें। (विघ्न) इसका एक विकल्प और भी हो सकता है कि अढ़ाई घण्टे सदस्य बोल लें और रिप्लाइं अलग कर देंगे फिर तो इनको कोई ऐतराज नहीं होगा। (विघ्न) रिप्लाइं तो मैं दूंगा लेकिन ये लोग सदन के सदस्य के नाते बोलेंगे और

समय अढ़ाई घण्टे रहेगा। (विघ्न) रिप्लाइ का समय उससे अलग होगा। अध्यक्ष महोदय रिप्लाइ के लिए तो कुछ है नहीं इसलिए रिप्लाइ की जरूरत नहीं है। (विघ्न) काहे को इस चक्कर में पड़ते हो। (विघ्न) आपके पास कहने को तो कुछ नहीं होगा तो मैं रिप्लाइ क्या दूंगा। (विघ्न) चलो भजन लाल जी की बात को भूपेन्द्र सिंह हुड्डा तो मानते नहीं हैं मैं मानता हूँ और इसके इस समय को 2.30 घण्टे से बढ़ा कर 3 घण्टे कर देते हैं। (विघ्न) मुझे हुड्डा बार-बार कहता है कि भजन लाल और तुम मिले हुए हैं। (विघ्न) आप मुझे बार-बार यह कहते हो। (विघ्न) मैं तो जो भी कहता हूँ मुंह पर कहता हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि चौधरी बंसी लाल और आप मिले हुए हो। यह बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आज सदन में कुछ स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं और ये नए भारत के उज्ज्वल भविष्य हैं। इनके सामने ये ऐसी कोई बात नहीं करें, ये बच्चे यहां से ऐसी कोई बात मन में लेकर न चले जाएं। सभी मैम्बरज संयम में रहकर के, जपत में रहकर के बात करें। ये बच्चे हमारी कार्यवाही देख रहे हैं और इनको पता लगेगा कि यहां पर क्या होता है। चौधरी बंसी लाल जी को तो एक बात की छूट है इनको तो एक कान से सुनता ही नहीं है और ये अपने पड़ौसी को बार-बार परे गान करते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की सहमति से नो कान्फीडेंस मो गान पर बहस के लिए 3 घण्टे का समय निर्धारित

किया जाता है। (गोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आपके जितने मैम्बर्ज हैं उनके हिसाब से आप अपना समय तय कर लें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप दोनों में मतभेद होगा, लेकिन मैं तो कांग्रेस का नेता अब भी भजन लाल को मानता हूँ। (विघ्न) हुड्डा जी, आप भजन लाल से कहलवा दें कि सदन में भजन लाल के नेता आप हैं। आप यह कहलवा दो। (विघ्न) जब हम अपोजी गान में होते थे तो मैं सदन में खुलकर कहता था कि सदन में हमारा नेता सम्पत सिंह है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जो बात प्रत्यक्ष रूप में ठीक है उसको कह देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज 2 मिनट प्रति मैम्बर के हिसाब से बहस पर समय बनता है। हाउस में 90 मैम्बर्ज हैं। आप सब पार्टी वाइज अपना-अपना समय निर्धारित कर लें कि किस ने कितने-कितने मिनट बोलना है और किस-किस ने बोलना है। भूपेन्द्र सिंह जी, आप चाहे अपनी पार्टी के एक मैम्बर को ही बुलवाएं इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। आप अपने मैम्बर्ज की लिस्ट भेज दें कि कौन-कौन बोलना चाहता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : ठीक है जी।

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, आपने 2 मिनट के हिसाब से प्रत्येक मैम्बर को बोलने का समय दिया है। ये सब पार्टी वाइज तय कर लें चाहे ये दो मैम्बर्ज को बुलवाएं, 10

मैम्बर्ज को बुलवाएं या 20 मैम्बर्ज को बुलवाएं। सदन में 90 मैम्बर्ज हैं और 2 मिनट पर मैम्बर के हिसार से 180 मिनट बनते हैं। अब पार्टी अपने उस समय में दो मैम्बर्ज को बुलाए, 10 को बुलवाएं या 20 को बुलवाएं। ये इनको देखना है।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर सर, सरकार ने अपना जवाब देना है उसके समय को हमारे समय से अलग रखा जाए और कांग्रेस पार्टी को कम से कम दो घण्टे का समय दिया जाना चाहिए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी दूसरे मैम्बर्ज भी हैं, उनको भी तो बोलने का समय देना पड़ेगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने बहस के लिए सदन का समय तय कर दिया है। अब कांग्रेस के लोग अपना समय तय कर लें कि कितने समय किसको बोलना है। दूसरी पार्टीज भी तय कर लें और हमें भी अपना समय तय कर लेंगे और किस-किस को बुलवाना है तय कर लेते हैं। (विघ्न) में आपको यह बताना चाहूंगा कि यह जो आप बोल रहे हैं यह समय भी उसी समय में से जा रहा है। इसलिए आपको यह तय कर लेना चाहिए कि कौन कितने समय बोलेगा। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह अवि वास प्रस्ताव हम लाए हैं, अपोजी उन लाई है इसलिए इनको हमें सुनना पड़ेगा और यह सिद्धान्त की बात है। आपने जो तीन घण्टे का

समय दिया है वह आप आपोजी उन को दे दें और ये अपना जवाब इन तीन घण्टों से अलग से एक घण्टे में दें।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप बैठिए आपकी पार्टी के लीडर बोलने के लिए खड़े हुए हैं। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी, आप अपना मो उन पढ़ें।

Shri Bhupinder Singh Hooda : Mr. Speaker Sir, “We the following Members of Haryana Vidhan Sabha express lack of confidence against the Council of Ministers led by Shri Om Parkash Chautala, hereby move the resolution of no confidence under rule 65 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly and request you to suspend all business.”

आपने यह एडमिट कर लिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Mr. Speaker : Motion moved-

“We move a motion expressing want of confidence in the Haryana Ministry headed by Shri Om Parkash Chautala, Chief Minister.”

हुड्डा साहब, अब आप बोलना शुरू करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (किलोई): अध्यक्ष महोदय, जैसा सदन के नेता ने कहा कि आप सारे विपक्ष दल जिनमें चौधरी बंसी लाल और हम सब कांग्रेसी आते हैं, एक होकर सरकार के खिलाफ अवि वास का प्रस्ताव लेकर आए हैं लेकिन हम यह अवि वास

का प्रस्ताव क्यों लेकर आए हैं इसके बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा। कल की जो सदन में कार्यवाही हुई और जिस प्रकार से सरकार की कार्य भौली है या जिस तरह से हर फ्रंट पर, हर एक मोड़ पर सरकार बुरी तरह से विफल रही है उसको देखते हुए ही यह अवि वास प्रस्ताव लाया गया है। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या कोई और बात हो हर मोड़ पर सरकार विफल रही है। आज पूरे दे 1 की निगाहें हरियाणा पर टिकी हुई हैं और पूरे हरियाणा का सिर भार्म से झुक रहा है। यहां तक कि दे 1 की विपक्षी नेता श्रीमति सोनिया गांधी जी भी स्वयं उन गांवों में आयी जहां पर यह दुलीना कांड हुआ और जहां-जहां पर हमारे दलित भाई मारे गये। इसके अलावा दिल्ली में जब प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे थे तो उन्होंने भी यह कहा कि झज्जर में जरूर कुछ हुआ। इस तरह की और भी बातें उन्होंने कहीं। जिस गंभीरता से हरियाणा सरकार को यह मामला लेना चाहिए था वह उसने नहीं लिया। जिस दिन यह घटना घटी उसके 9 या दस दिन के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी वहां पर गए और वहां पर जाकर इन्होंने कहा कि मेरे को यहां पर आने में देरी इसलिए हो गयी क्योंकि मुझे इस बात का पता नहीं चल पाया था। जब मुझे बताया गया तब मैं यहां पर आया और देरी से आने के लिए मैं माफी मांगता हूं। इस तरह की बातें इन्होंने वहां पर कहीं। इन्होंने वहां पर यह भी कहा आप जिसको कहोगे उससे मैं इस मामले की इक्वायरी करवा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज अगर प्रदे 1 का मुख्यमंत्री 9 दिन बाद

यह कहे कि मेरे को मालूम नहीं था तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब इन्होंने एक आवासन वहां पर लोगों को दिया कि जिस मर्जी एजेंसी से आप इसकी इंकवायरी करवा लें तो जब आज सारे दलों की तरफ से यह मांग आ रही है कि इस मामले की इंकवायरी सी.बी.आई. से करवायी जानी चाहिए तब क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी इस मामले की इंकवायरी सी.बी.आई. से क्यों नहीं करवा रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स बड़े काबिल हैं इन्होंने कल धारा 228(ए) का हवाला दिया था लेकिन अगर ये संविधान की धारा 212 भी पढ़ लेते तो इनको भायद यह हवाला भी नहीं देना पड़ता। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से ऐसी घटनाएं प्रदेश में घट रही हैं लेकिन हम यहां पर इन घटनाओं के बारे में डिसकस नहीं कर सकते। यहां पर जिस प्रकार से प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है वह पूरा देश देख रहा है। आज चाहे वह कानून व्यवस्था का मामला हो या चाहे दलितों के साथ हुआ अन्याय हो। इस प्रकार के मामले ऐसे ही जाने वाली बात नहीं हैं। आज जिस प्रकार का सरकार का रवैया है वह सहन करने लायक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों हो रहा है ? इसका एक ही कारण है कि पूर्ण रूप से सरकार इस मामले में स्वयं दोषी है। पुलिस कस्टडी में पांच-पांच आदमियों की हत्या हो जाए और सरकार कुछ भी न करे, तो क्या यह उन लोगों के साथ अन्याय नहीं है ? किस तरह से वे लोग पकड़े गये थे और किस प्रकार से गायों को मारने का केस रजिस्टर हुआ एवं किसकी रिपोर्ट पर हुआ यह

सरकार की तरफ से नहीं बताया गया है। वे लोग उस समय जिंदा थे या मारे गये थे इसका भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, अब आप वाइंडर अप करे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने बोलना ही भुरू किया है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपकी तरफ से 12 मैम्बरज के नाम बोलने के लिए आए हैं हर मैम्बर को बोलने के लिए दो मिनट का समय बनता है। अब अपने दूसरे मैम्बर के समय में अगर बोलना चाहें तो खुलकर आप बोल सकते हैं। आपकी पार्टी को बोलने के लिए चालीस मिनट मिले हैं। अभी जो आपकी तरफ से कैप्टन अजय सिंह ने नाम दिए हैं तो मैं उनको कैसे मना करूंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सरकार के इसी रवैये ने हमें अवि वास प्रस्ताव लाने के लिए बाध्य किया है। एक तरफ तो सदन के नेता कहते हैं कि हर मैम्बर खुलकर बोल सकता है और दूसरी तरफ आप मुझे बैइने के लिए कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपकी पार्टी को चालीस मिनट मिले हैं अगर आप चाहें तो इतने समय में केवल आप ही बोल सकते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप इनको बोलने दें, हम दूसरे मैम्बर्ज का नाम काट देंगे। हमारा समय चालीस मिनट का नहीं बल्कि दो घण्टे का है।

श्री अध्यक्ष : अगर आप दूसरे मैम्बर्ज का नाम काट देंगे तब मुझे कोई ऐतराज नहीं है, हुड्डा साहब बोल सकते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में सरकार को अपना रवैया स्पष्ट करना चाहिए कि दलितों की जो हत्या हुई है उसके लिए कौन दोशी है। अगर ये समझते हैं कि वे लोग निर्दोश थे तो इस मामले की सी.बी.आई. से इंक्वायरी करवा दें, इससे दूध कादूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह बात मानने में इनको क्या ऐतराज है। अगर ये ऐसा नहीं करते तो इनको सुप्रीम कोर्ट के जज से या हाई कोर्ट के सीटिंग जज से इस मामले की इंक्वायरी करवा देनी चाहिए। केवल कमि नर की इंक्वायरी से न लोग और न ही हम संतुष्ट होने वाले हैं क्योंकि यह ऐसा मसला है जिसके बारे में पूरा दे । हमारी ओर देख रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारा प्रदे । आज सूखे की चपेट में बुरी तरह से आया हुआ है और इससे जो नुकसान किसान को हुआ उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को गंभीरता से सूखे की तरफ ध्यान देना चाहिए लेकिन ये लोग जिस तरीके से ध्यान दे रहे हैं वह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। दे । के कृषि मंत्री हरियाणा में आकर कहते हैं कि हमारे को हरियाणा सरकार ने राहत के लिए अब तक लिख कर नहीं दिया। लेकिन

पिछले सत्र में जब इन्होंने कालिंग अटैं इन मो इन पर जवाब दिया था तब कहा थाकि हमनें केन्द्र सरकार के समक्ष 1100 करोड़ रुपये की मांग रखी है, फिर 5 सितम्बर को टोटल 1800 करोड़ की मांग रखी है। 8 अगस्त को पूरा प्रदे 1 सूखाग्रस्त घोशित कर दिया गया था उसके बाद स्पे 1 ल गिरदावरी की बात कही गई लेकिन उसमें खाली जमीन के लिए किसान का नुकसान की भरपाई की कोई बात नहीं कही गई। जो लोग खेती पर निर्भर हैं उनके लिए फूड फॉर वर्क का कार्य भुरु नहीं किया गया। किसी मंत्री का दौरान नहीं दिखाया गया। कोई मंत्री वैटरनरी हॉस्पिटल में नहीं गया। कृशि मंत्री ने कहा कि हम 3 करोड़ रुपये के बीज दे रहे हैं उसमें 3-4 चीजें जरूरी होती हैं एक तो deferment of loan, waivement of interest, food for work, बिजली और पानी की आपूर्ति करनी होती है जोहड़ों में पानी भरना होता है जोहड़ पानी से नहीं भरे गए। आज एक रवैया बन गया है कि सरकार किसी मामलों को गंभीरता से नहीं लेती है। कल जैसे लॉटरी और कैसीनो का बिल लेकर आए उस पर पूरा हाउस डिसकस करना चाहता था।

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, हम कोई लॉटरी का बिल कल लेकर नहीं आए। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : वह बिल, गैबलिंग का था, मुझे माफ करिए। जो कैसीनो का बिल लेकर आए उस पर सारा हाउस डिसकस करना चाहता था लेकिन इनको उसको पास करवाने की

बहुत जल्दी थी। आज हम समझ रहे हैं कि यह जो स्पे 11 ल
सै 11 न बुलाया है इसमें कैसिनो बिल पास कराना था। यह प्रदे 11
कृष्ण की भूमि है, ये चीजें हमारी संस्कृति को खराब करने वाली
हैं। कोई अन्य प्रदे 11 ऐसा बिल लेकर नहीं आया। इनको बहुत
जल्दी थी। यह अखबारों में भी छप चुका है कि इन्होंने पहले ही
किसी से एम.ओ.यू. दस्तख कर लिया है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप वाइंड-अप करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इनको कैसिनो
को अमल में लाने की जल्दी है और हमारी यह मांग है कि इस
बिल को विदड़ा किया जाए इस बिल के द्वारा मुख्यमंत्री जी हमारे
प्रदे 11 की संस्कृति को और नौजवानों को किस दि 11 में ले
जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। मैं
बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम इसको
निरस्त करेंगे। (विध्न) जो सदन के नेता ने कहा है कि हमारे को
इस हाउस की गरिमा रखनी चाहिए। व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करने
चाहिएं, मैं व्यक्तिगत कटाक्ष करता नहीं हूँ और मुझे इस बात की
बड़ी तकलीफ है कि ऐसी आदत हमारे सदन के नेता की है।
व्यक्तिगत छींटाक 11 के अलावा इनको और कोई कार्य नहीं आता
है। इन्होंने न सूखे को गंभीरता से लिया, न दुलीना कांड के
मामले को गंभीरता से लिया, आज कर्मचारियों की छंटनी की जा
रही है। चार-चार हजार आदमियों की छंटनी की जा रही है। एम.
आई.टी.सी. जैसे जनहित के आर्गेनाजे 11 न बंद किए गए हैं, कुछ

और आर्गेनाइजे ान भी बंद किए जा रहे हैं और यह कहकर किए जा रहे हैं कि यह नुकसान में जा रहे हैं। वे आर्गेनाइजे ान नुकसान में वेवमेंट ऑफ लोन की वजह से जा रहे हैं। यही मापतौल का तरीका रहा तो जनहित का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। कई साल से आप लोग घाटे का बजट दे रहे हैं इस हिसाब से तो इस सरकार को भी चलता हो जाना चाहिए। तुम क्यों बैठे हो ? यहां कोई प्रजातंत्र नहीं है ताना ाही का काम है। यहां पर बहुत सारे काबिल साथी बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, * * * * *

10 बजे

श्री अध्यक्ष : जो हुड्डा साहब कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपका समय समाप्त हो गया है। आपका समय दस मिनट का था लेकिन आपको बोलते हुए 11 मिनट हो गये हैं इसलिए आप बैठ जायें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के हर वर्ग ने, हर व्यक्ति ने इस सरकार में विवास खो दिया है इसलिए इस सरकार को एक मिनट के लिए भी नहीं रहना चाहिये। मेरा यह अनुरोध है कि ये

नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर हरियाणा को और हमारे को छुटकारा दें।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप बोलिये।

चौधरी भजन लाल (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, भुरु करने से पहले मेरा अनुरोध है कि बीच में टोका टाकी नहीं होनी चाहिये। हमारे को टाईम देने के बाद आप इनको भी बोलने का टाईम देंगे। अब हुड्डा साहब बोल रहे थे तो कम से कम इनको आधे घण्टे का टाईम बोलने के लिए देना चाहिये था। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूँ ता `बीच में टोकना नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार बनी हुई है चौधरी ओमप्रका । चौटाला साहब की यह पूरी * * * पर आधारित है।

श्री अध्यक्ष : यह * * * भाब्द अनपार्लियामेंटरी हैं इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, झूठे वायदे करके लोगों से वोट लेकर आते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का जो तरीकाहै इनता दुःखद और घटिया कह दिया तो आप कहेंगे कि घटिया कह दिया इतना औछा कहें तो लगभग ठीक लगता है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आपके रोल को भी इन्वोल्वड कर रखा है। मैं आप पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ मैं तो इस सरकार के बारे में कह रहा हूँ कि ये ऐसे कहते हैं कि ये करो वह करो।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आपका जमाना नहीं है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जो कल यहां बैठे हुए थे आज उधर बैठे हुये हैं। उनमें से कुछ इस संसार में ही नहीं रहे। एक दिन इस संसार से सभी ने चले जाना है। इसलिए मैं कहता हूं कि कायदे-कानून से इस हाउस को चलने देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप किस टोपिक पर बोल रहे हैं। क्या अवि वास प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। इतनी देर में आपका टाईम खत्म हो जायेगा।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो कानून-व्यवस्था की है। अगर अपने नागरिकों की जान और माल की रखवाली सरकार नहीं कर सके तो उस सरकार को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इतनी बुरी हालत आज प्रदे ा में है कि आज किसी आदमी की किसी लिहाज से भी कोई सेफ्टी नहीं है। पिछड़ी हुई जाति के गरीब और दलितों और भाड्यूल्ड कास्टर के पांच-पांच आदमियों को मार दिया जाये और मुख्यमंत्री वहां पर न जाये और न ही कोई मंत्री वहां पर जाये इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। इस बात को लेकर सारे दे ा में हरियाणा पर बड़ा भारी कलंक का टीमाक लग गया है कि भाड्यूल्ड कास्ट के लोगों को पुलिस कस्टडी में मार दिया

गया। कल भाोक प्रस्ताव को पढ़ते हुए इन्होंने यह कह दिया कि उन लोगों को उग्र भीड़ ने मार दिया है। भाोक प्रस्ताव होने के कारण मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। उन लोगों को उग्र भीड़ ने नहीं मारा बल्कि उनको बाकायदा पुलिस ने मारा है। मैं पुलिस पर सीधा इल्जाम लगाता हूँ। एक आदमी को पुलिस ने मार जिसका नाम अमरीक था फिर पुलिस ने समझा कि उन पर 302 का मुकदमा बनेगा तो उन्होंने भीड़ को कहा कि देखो ये लोग गाय को मार रहे थे इसलिए बाकी को उग्र भीड़ ने मार दिया। वहां पर कुछ मारपीट तो लोगों द्वारा हुई लेकिन भुरुआत पुलिस ने की थी, इसकी जांच सी.बी.आई. करेगी तो सारी बात सामने आ जाएगी। यह कितना अन्याय हो रहा है और उन पुलिस वालों को बचाने के लिए मुखमंत्री महोदय ने कह दिया कि पुलिस निर्दोश है उसका कोई दोश नहीं है। लेकिन उनको निर्दोश कहने से पहले जांच की रिपोर्ट तो आने दें। इसलिए पहले इस केस की जांच कराएं। लेकिन इन्होंने अभी तक सी.बी.आई. यहां आए और इस केस की जांच करे तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस दिन 5 आदमी मरे उससे अगले दिन 26 तारीख को मैं, हुड्डा साहब और हमारे साथी मौके पर गए।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप वाइंड अप करें। आपको बोलते हुए पांच मिनट हो गए हैं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं बोलता ही नहीं।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : भजन लाल जी, आप खुलकर बोलें, आपको कोई नहीं टोकेगा।

चौधरी भजन लाल : सोनिया गांधी जी मौके पर गईं और सभी मृतकों के परिवारों को एक-एक लाख रुपये पार्टी की तरफ से देकर आईं और उन गरीब लोगों की मदद की। हमारी मांग है कि इस केस की बकायदा सी.बी.आई. जांच करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अध्यक्ष महोदय, कल ये कैसीनो, जुए और लाटरी का बिल लाए।

श्री अध्यक्ष : लाटरी का बिल नहीं लाए, गैम्बलिंग का बिल लाए हैं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, गैम्बलिंग का मतलब हमारे हिसाब से लाटरीही है। आप इसे कुछ और कहते हो तो पता नहीं।

श्री अध्यक्ष : गैम्बलिंग जुआ तो ठीक है, लाटरी नहीं।

चौधरी भजन लाल : चलो गैम्बलिंग का बिल लाए और उसकी आड़ में कैसीनो का बिल लाए। यह हरियाणा प्रदेश का ऋषि मुनियों की धरती है, यहां श्रीभगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। (विघ्न) कैसीनो से भद्दी बात और क्या हो सकती है। कैसीनो * * * * * का, जुए का खुला अड्डा है, * * * * * का खुला अड्डा है।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने जो अनपार्लियामेंटरी भाब्द कहे हैं वे भाब्द कार्यवाही से निकाल दिये जाएं।

चौधरी भजन लाल : कैसीनो का मतलब यही है। सारे प्रदेश में चौधरी देवी लाल मैमोरियल पार्क बनाए जा रहे हैं तो इस कैसीनो का नाम भी चौधरी देवी लाल के नाम से रख दिया जाए तो हम मान लेंगे क्योंकि आप कहते हैं अच्छी चीज है।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, इस सारी डिसकशन पर किताब लिखी जानी है, अगर कोई थीसिस लिखेगा तो आपके बारे में क्या सोचेगा, इसलिए ऐसे भाब्दों का प्रयोग मत करो।

चौधरी भजन लाल : मैंने कोई गलत नहीं कहा।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ ऑर्डर है। कैसीनो के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि चौधरी भजन लाल जी और मैं छुप छुप कर नेपाल में कैसीनो खेलने जाते रहे हैं। (हंसी)

चौधरी भजन लाल : मैं जिन्दगी में एक बार कैसीनो खेलने गया हूँ और कभी नहीं गया। (गौर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लीगली जाना कोई गलत बात नहीं है, सभी लीगली चीजें अच्छी हैं। कायदे-कानून के हिसाब की सब बातें ठीक हैं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था जो कैसीनो लगाने जा रहे हैं उसका नाम भी चौधरी देवी लाल के नाम से रख लें तो अच्छा होगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी और हम इसकी मुखालफत भी नहीं करेंगे। बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है कि खड़े वक्त बिल लाया गया और उसको पास कर दिया गया। किसी मैम्बर को बोलने नहीं देते इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। हम भी इस हाउस के मैम्बर हैं, हमें बोलने नहीं देते। डिप्टी स्पीकर साहब यहां बैठें तो अच्छी बातें करते हैं और * * * * *

श्री अध्यक्ष : चेयर के प्रति जो गलत भाब्द कहे गए हैं वह कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, सरकार जो गैम्बलिंग और कैसिनो बिल लाई है इस पर चर्चा हो जाती तो बहुत अच्छी बात थी।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, यह बात हुड्डा साहब कह चुके हैं। प्लीज आप इसे दोबारा न दोहरायें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि सत्तापक्ष के भी कई सदस्य इन बिलों के हक में नहीं हैं। बी.जे.पी. के भाई यहां बैठे हुए हैं ये भी इन बिलों के हक में नहीं हैं। यदि कल इन बिलों पर आप वोटिंग करवाते तो बी.जे.पी. वाले इन बिलों के हक में वोटिंग नहीं करते

और सबको पता चल जाता कि सरकार की क्या हालत है। वोटिंग होने पर जनता को भी पता लग जाता कि ऐसे कौन-कौन से विधायक हैं जो जुआघर के पक्ष में हैं, कैसिनो के पक्ष में हैं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, प्लीज आप बैठिये। आपकी पार्टी के दूसरे सदस्यों ने भी बोलना है। यदि आप ही बोलते रहेंगे तो उनको समय नहीं मिलेगा और आपकी पार्टी के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वह आप ही समाप्त कर देंगे। प्लीज आप बैठें।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, इन दोनों बातों को लेकर हरियाणा की जनता पर बड़ा भारी जुल्म हुआ है, हरियाणा की जनता के साथ वि वासघात हुआ है। इन बिलों को लाकर तथा दूसरे कामों को लेकर सरकार ने हरियाणा की जनता को बड़े धोखे में रखा है। आज हरियाणा में सूखे की मार किसान झेल रहे हैं लेकिन किसानों को सूखा राहत के रूप में एक पैसा भी नहीं मिला है, न ही किसानों को गन्ने की पेमेंट मिली है। अध्यक्ष महोदय, धान की खरीदारी को लेकर यह सै ान बुलाया गया है लेकिन उस पर चर्चा न होकर ये किसी दूसरी बात पर चर्चा करने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि कहीं पर भी किसी तरह की ि ाकायत नहीं है, ि ाकायतें तो हैं लेकिन ये ि ाकायतें सुनते नहीं हैं। हमने राज्यपाल महोदय, को अपनी ि ाकायत लिखकर दी लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस सरकार पर जनता का कोई वि वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है

इसलिए सराकर को चाहिए कि इस्तीफा देकर दोबारा से जनता का फतवा हासिल करें। अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था के बारे में जितना कुछ भी कहा जाये उतना थोड़ा है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप प्लीज वाईड अप करें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में सूखे की बहुत बुरी हालत है और किसान को एक पैसा भी राहत के रूप में नहीं मिला है और ये कहते हैं कि स्पेशल गिरदावरी करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, प्लीज आप बैठियें आपकी पार्टी के दूसरे सदस्यों ने भी बोलना है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जो जरूरी बात मैंने कहनी थी वह तो रह गई।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आपको जरूरी बात पहले कहनी चाहिए थी, प्लीज आप बैठें।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा. एम.एल. रंगा) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हमारे विपक्षी साथी लगातार हरिजन हितैशी होने की बात कह रहे हैं सबसे पहले इस बात से वे अंदाजा लगायें कि आज उनके पक्ष में कितने दलित विधायक हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के 50 साल के भासनकाल में जो लगातार दलितों की दुहाई देती आ रही है आज वे कितने

दलित विधायकों को अपने साथ लाने में कामयाब हुए हैं। वे पहले अपने अंदर झांककर देखें। दूसरा आत तक के भासन काल में दलितों पर अत्याचार, हत्याएं क्यों होती रही उस बात को बखान करने की बजाय ये आकस्मिक हादसे को जिस प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं उस विशय पर मैं इनको जानकारी भी दे रहा हूँ जो तथ्यों के आधार पर है। जो ये दुलीना कांड की बात बार-बार कर रहे हैं। कांड की परिभाशा इनको हिंदी पढ़कर सीखनी चाहिए। कांड होता है प्रिप्लान्ड, पूर्व नियोजित ढंग से। यह जो दुलीना में हुआ है it was not preplanned, यह कोई नियोजित ढंग से नहीं हुआ। (गोर एवं व्यवधान) कृपा करके आप सुन लें। उसके बाद अपने विचार देना।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, प्लीज आप बैठिये। आपका प्वायंट आफ आर्डर नहीं बनता।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उस पर मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, प्लीज आप बैठें। चौधरी भजन लाल जी, आप और चौधरी बंसी लाल जी कई साल तक लीडर आफ दी हाउस रहे हैं। उस दौरान भी मिनिस्टर बोलते रहे

हैं। आज मिनिस्टर के बोलने पर आपको क्या प्रोब्लम है। यदि आपके समय में कोई मिनिस्टर न बोला हो तो आप बतायें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यदि किसी मिनिस्टर का संबंधित मंत्रालय हो तो वह जवाब दे सकता है।

श्री अध्यक्ष : अवि वास प्रस्ताव पर कोई महकमा नहीं होता। कोई भी मिनिस्टर जवाब दे सकता है।

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों में फिर विनम्र निवेदन करूंगा कि बाकायदा से यह तय हुआ है कि 90 के 90 विधान सभा के सदस्य 2-2 मिनट के हिसाब से बोल सकते हैं। किधर से कौन कितना बोले वह अलग बात है लेकिन रिप्लाइ उसके बाद होगा। सरकार के खिलाफ विपक्ष का जो अवि वास प्रस्ताव आया है उसकी रिप्लाइ मुझे देनी है लेकिन ये जितने भी सदस्य बैठे हैं, ये बतौर मैम्बर के अपनी बात कह सकते हैं, यह इनका अधिकार है। अगर आप फिर टोकाटाकी करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा, हमारी तरफ से टोकाटाकी नहीं है। अगर आपके पास बोलने के लिए कोई मसला नहीं तो हम क्या करें। आप खुलकर बोलो। जो बात कहनी है, वह कहो। बीच में बिना वजह टोकाटाकी करोगे, तो उससे सदन का समय खराब होता है।

श्री अध्यक्ष : रंगा जी अब आप कन्टीन्यू करें।

डा. एम.एल. रंगा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर अपराधों, हत्याओं की बात चली तो मैं भुरुआत करना चाहूंगा चौधरी भजन लाल जी के समय से। इनके समय में हत्याओं की संख्या 591 से बढ़कर 704 हुई। उससे आगे चौधरी बंसी लाल जी के समय में यह संख्या 836 पर पहुंची। इसके विपरीत हमारे समय में एक वर्ष में 106 की संख्या कम हुई, इस हिसाब से 16 से 19 प्रति त की कमी आयी है। इसके अलावा ये जो हरिजनों की बात करते हैं, उस बारे में भी मैं कुछ जानकारी इनको देना चाहूंगा। हरिजनों के प्रकरण में चौधरी भजन लाल जी के समय में 25 हरिजनों की हत्या की गई। 16 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और 3 महिलाओं का किडनैप किया गया। वहीं यह संख्या बंसी लाल जी के समय में बढ़ गई, हरिजनों की हत्या 19 की गई और 17 महिलाओं के साथ रेप हुआ और अपहरण के केसिज 99 हुए जबकि यह संख्या हमारी सरकार के आने के बाद 10 से ऊपर नहीं पहुंची। यह जानकारी आपको सूचना के लिए है। ये भाई दुलीना प्रकरण की बात करते हैं। दुलीना प्रकरण क्या है, वह मैं बताना चाहूंगा। यह द गहरा के दिन की बात है। कैला ग जो करनाल का रहने वाला था उसने खाल का ठेका लिया हुआ था। उसके पास ठेकेदारी का लाईसेंस था। वह अपने साथ लोगों को लेकर अकलीमपुर, टीका और बाद गहपुर से खाल इकट्ठी करके ले जाता था। उस दिन उसके पास 200 के करीब खालें थी, जब वह फरुखनगर पहुंचा तो फरुखनगर में खाल का ठेका एक मुस्लिम भाई के पास गि। उसने बताया कि एक ब्राह्मण के घर के सामने

रात को एक गाय मरी पड़ी हुई थी। 100 रुपये में उसका ठेका करके रेहड़े में ले करके हढ़वाड़ी तक पहुँचा। लेकिन इत्तिफाक से उस दिन द ाहरा था और द ाहरे के दिन लोगों ने कहा कि आज खाल नहीं उतारने देंगे। फिर वह मरी हुई गाय के 200 रुपये और देकर के टाटा 407 में डाल करके ले गया। वे लोग झज्जर की तरफ जा रहे थे। रात का समय था। दिन छिप चुका था। सात पौने सात का समय था। वे लोग दुलीना पुलिस चौकीभी कौस कर एक किलोमीटर आगे जा चुके थे। जो मरी हुई गाय हो उसमें पस आ जाती है यानि पानी आ जाता है जिस कारण मरी हुई गाय झोल मार रही थी और उसकी वजह से टाटा 407 अनबैलें ा हो रहा था। इसलिए उसी समय उन्होंने मरी गाय को उतार कर खाल को उतारना भुरू ही किया था कि जहां पर वे लोग खाल उतार रहे थे तो कुछ लोग द ाहरा देख करके आ रहे थे। द ाहरे के दिन रावण दहन दिन छिपने के आसपास होता है। दिन छिपने पर रावण दहन झज्जर में हुआ। वहां से जब कुछ लोग द ाहरा देख करके दुलीना की तरफ लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि टाटा 407 खड़ा हुआ है और खाल उतारी जा रही है। उन्होंने सोचा कि क्या ये मार तो नहीं रहे हैं। लेकिन जिस समय वे खाल उतार रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा कि तुमने गाय मारी है। कुछ लोगों ने उन लोगों के साथ बहस की और उन लोगों को पीटा। यह देखते देखते और लोग आ गए। वहां कम से कम 200-300 लोग इकट्ठे हो गए। वे लोग इन 5 लोगों को पीटते-पीटते वापस दुलीना चौकी के अंदर ले आये; दुलीना चौकी

में जब ले करके आए तो वहां पर जो स्टाफ था एसमें से केवल आधा स्टाफ ही वहां पर था और आधा स्टाफ ड्यूटी पर गया हुआ था। जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने उनको बहुत समझाया लेकिन वे नहीं मानें। उसके बाद बड़ी होि गयारी से वहां के इन्चार्ज श्री हुि गयार सिंह ने यह कहा कि आप यहां बैठें। मैं फरुखनगर जाकर के दरयाफत करके आता हूं कि वास्तव में यह गाय मरी हुई थी क्या वास्तव में ये लोग उसको ले करके आए हैं। वहां का इन्चार्ज, जो लोग इकट्ठे हो गए थे, उनमें से एक व्यक्ति श्री महाबीर सिंह को साथ लेकर के फरुखनगर गए। वहां पर जा कर यह तसल्ली की कि वास्तव में मरी हुई गाय 200/- रुपये में वहां से ली है। जब तक वे वापिस पहुंचे वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी और उनको पीटना भुरु कर दिया था। पुलिस ने उनको बचाया और कमरे के अंदर बन्द कर दिया। उस चौकी के बाहर कोई चारदीवारी नहीं थी। दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी गई और पुलिस से भीड़ बेकाबू हो गई और उनको पीटा और मारा। इस बात को लेकर हमारे विपक्ष के साथ कह रहे हैं कि वे पैसों की मांग कर रहे थे मुझे आप यह बताइये अगर ऐसी बात होती तो दुलीना चौकी तो वे कास कर चुके थे और एक किलोमीटर आगे जा चुके थे। दूसरी बात यह है कि 200-300 आदमी उनको साथ ले कर आए थे क्या 200-300 आदमियों के बीच में कोई पुलिस वाला पैसे की मांग करेगा, यह तो मूर्खता वाली बात है। लोगों ने वहां आग लगा दी, उन्हें जलती आग में डाल दिया गया और वे लोग मारे गए। अध्यक्ष

महोदय, हम वहां पर सहानुभूति के तौर पर गए थे और वहां पर पूरे प्रकरण को देखा। मुझे उन लोगों से सहानुभूति है, यह सत्य है कि वे निर्दोश लोग मारे गए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी सहानुभूति प्रकट करने के लिए उनके गए। इससे पहले जो 25 हरिजन मरे थे या 19 हरिजन लोग मारे गए थे कोई भी मुख्यमंत्री उस समय किसी हरिजन परिवार के घर नहीं गया था। अध्यक्ष महोदय, उनको यह भी भाव हो सकता है कि वे मेव लोग होंगे जो गाय लेकर आ रहे हैं। इस तरह की बात परिजनों ने हमें बताई है। हमने परिजनों को परिवार में बैठकर सांत्वना दी उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं हमें रोजगार मिले ताकि हम अपने बच्चों का लालन पालन कर सकें। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने उसी समय कहा कि योग्यता के आधार पर एक-एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। उनके लालन-पालन की बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि लालन-पालन के लिए आपके परिवार को कोई दिक्कत नहीं आए और आपके परिवार को दर-दर न भटकना पड़े, पांच लाख रुपये हर परिवार को उसी समय देने की घोषणा कर दी। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बताइये कि मैंने पहले जो कहा है हरिजनों की हत्याएं हुई हैं जो कि सुनियोजित ढंग से की गई थी किसी भी मुख्यमंत्री ने हरिजन परिवारों को उनके सदस्यों की हत्याओं के लिए किसी को एक नया पैसा दिया है और मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बावजूद अलग से जा कर मैंने भी उनसे यह कहा है कि इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की सेवा और सहायता

की कोई भी आवश्यकता हो तो आप किसी भी समय आइये हमारे से जितनी भी सेवा होगी जितनी इमादद होगी हम करेंगे। हम करनाल में कैलाश के घर पर भी गए जिसकी इस हादसे में मृत्यु हो चुकी थी। उसके परिजनों को भी हमने सांत्वना दी। उसकी बिटिया बीमार थी उसको भी हमने सांत्वना दी और कहा कि उसका आपसे पान भी करवाएंगे अगर सिकी और सहायता की आवश्यकता होगी तो वह भी करेंगे। यहां तक कि हमने परिजनों से एक बात कही थी कि श्री आर.आर. बंसवाल कमिश्नर हैं आकर बहुत ही स्वच्छ छवि वाले ईमानदार व्यक्ति हैं उनको हमने इस मामले की इन्क्वायरी दी हुई है और बहुत अच्छे ढंग से वे इन्क्वायरी करेंगे। यह मुख्यमंत्री जी की दिलेरी है उन्होंने वहां पर बैठकर यह बात कही है कि मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, इन्क्वायरी में जो भी दोषी पाया जायेगा उसमें अगर मेरा बेटा भी दोषी होगा तो उसको भी सजा दी जाएगी। इस प्रकार की बात और कोई कर नहीं सकता। इस इन्क्वायरी में यह सच है कि अगर कोई भी दोषी मिलेगा उसको सजा दी जाएगी। हमारे इन्क्वायरी में यह सच है कि अगर कोई भी हमें दोषी मिलेगा उसको सजा दी जाएगी। हमारे इन्क्वायरी आफिसर वह भी दलित हैं और वे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। वे पूरी इन्क्वायरी करेंगे इसमें किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। वे अच्छी तरह से इन्क्वायरी करेंगे। हमने परिजनों से कहा था कि आपकी अगर आयुक्त की इन्क्वायरी से तसल्ली नहीं है तो हमें बैठ करके, सलाह करके 2-3 या 4 दिनों में बता दें कि इस इन्क्वायरी से

हमारी तसल्ली नहीं है या हम हाईकोर्ट के जज से, सुप्रीम कोर्ट के जज से या जो भी वे चाहेंगे इन्क्वायरी करवा देंगे। लेकिन आज यह बात खत्म हो गई है क्योंकि उन सभी परिजनों ने सलाह करके हमें बता दिया है। उन्होंने सलाह करके हमें बताया कि इन्क्वायरी ठीक चल रही है इसको चलने दीजिए हम इससे सन्तुष्ट हैं। उन परिजनों ने हमसे सी.बी.आई. से इन्क्वायरी करवाने की बात नहीं कही है। हमने निष्पक्ष इन्क्वायरी की बात की है जो भी रिपोर्ट आएगी और उसमें जो भी चिन्हित दोषी होंगे उन दोशियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के वक्त किसी भी दलित पर कोई अत्याचार न हुआ है और न ही होगा। इतिहास से इस हादसे को यदि दलित अत्याचार कह करके कोई नेता दलितों के नाम पर राजनैतिक रोटियां संकना चाहेगा तो हम उनको रोटियां संकने नहीं देंगे। अब मायावती यू.पी. से यहां पर आकर भाषण दे रही थे तो उस वक्त कानपुर में 3 दलितों को खम्बे से बांध कर गोलियों से मार दिया गया था। उनके बारे में तो कोई बात नहीं की गई। उन्हें अपने प्रदेश की बजाए यहां की चिन्ता है। इसी प्रकार कई लोग यहां पर धर्म परिवर्तन की बात करते हैं और कई किसी और तरह की बात करते हैं। बिहार में भी रणबीर सेना ने कितने ही दलितों को मारा तब तो किसी ने यह बात नहीं उठाई थी। आज ये यह बात करते हैं आज उनका कांडों की सीरीज लगातार बढ़ती जा रही। सुप्रीम कोर्ट कांड है, करनाल का द्रोपदी कांड है, चाहे रत्नबाला कांड है, चाहे पूनम कांड है, चाहे

कुरुक्षेत्र या सोनीपत और कथूरा का कांड है। लगातार इस तरह के कांडों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले तो कभी किसी हरिजन की हत्या की बात नहीं उठाई, उनके प्रति रोश नहीं जताया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा के दलित सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे और इस प्रकार की हत्याओं को कोई सामाजिक रंग देने की कोशिश नहीं करेगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप यह कहें कि यह गलत हो रहा है हम उसके बारे में इन्क्वायरी करवाएंगे। आपका यह सब कहने का हक और आपको कहना भी चाहिए। अगर दोशियों को सजा नहीं दी जाएगी तो हम कसूरवार हैं लेकिन इन्क्वायरी रिपोर्ट आने के बाद जो भी उसमें दोशी होगा उसको जरूर सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने उन परिजनों को कहा था कि अगर इसमें उनका अपना बेटा भी दोशी पाया जाएगा तो उसको भी जरूर सजा दी जाएगी। वहां से मुख्यमंत्री जी उनकी तसल्ली होने के बाद ही उठकर आए थे और मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद मैं दोबारा उन परिजनों के पास गया था और उनसे पूछा था कि आपकी इस इन्क्वायरी से तसल्ली है या नहीं। जब उन्होंने कहा कि हमारी इस इन्क्वायरी से तसल्ली है तब ही वहां से मैं उठकर आया था। इस बात को आप राजनैतिक रंग न दें, यही मेरा आप से निवेदन है। कानून व्यवस्था आपने पहले भी देखी होगी और आज भी देख रहे हैं। इसके अलावा आपके पास कहने को कोई बात नहीं है। आप दुलीना प्रकरण को कांड का नाम देकर के इत्तिफाक हादसों की बात करें। हम उनकी पूरी सहायता कर रहे हैं और उनकी कानूनी रक्षा

करेंगे। हम कानून के पक्ष के हैं। उस बारे में भी हम आपको एक बार फिर साफ कर दें कि उसमें जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी।

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : स्पीकर सर, श्री रंगा जी के बोलने से पहले श्री भजन लाल जी ने कमेंट किया था कि खुद मिया फजीहत औरों को नसीहत। स्पीकर सर, 19-12-1991 को भजन लाल जी सदन के नेता थे और इनके खिलाफ अवि वास प्रस्ताव आया था। (विघ्न) तो उस वक्त भी अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी और उस समय भी एफ. एम. साहब सरकार के पक्ष में बोले थे, पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर बोले थे, आर.एम. और आई.पी.एम. भी सरकार के पक्ष में बोले थे। (विघ्न) यह आपको याद दिला रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि आप अपनी यादा त के तेल लगाया करो।

राव धर्मपाल सिंह (सोहना) : अध्यक्ष महोदय, आज जो अवि वास प्रस्ताव हमारी पार्टी और दूसरे हमारे साथी लेकर आए हैं मैं उनके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, सदन में जो जो बातें हुई हैं मैं उनको दोबारा से दोहराना नहीं चाहूँगा उन बातों को मेरे से पहले बोलते हुए मेरे काफी साथी कह चुके हैं लेकिन यहां पर जो रंगा साहब बड़ी होठियां से और तरीके से दुलीना कांड का विवरण दे रहे थे, इसमें पांच आदमी जो मारे गये हैं तो उनमें चार आदमी मेरे हल्के के थे। वीरेंद्र पुत्र श्री रत्न सिंह बाद गहपुर का हरिजन है, दया

चन्द पुत्र बुध राम भी बाद गहपुर गांव का ही रहने वाला है। इसके अलावा राजू पुत्र श्री रामफल टिकली गांव का है और तोता राम गुड़गांव का रहने वाला है। इसमें जो पांचवां आदमी कैला था वह करनाल का रहने वाला है। अध्यक्ष महोदय, द गहरे का दिन था और उस दिन बहुत ही दुःखद यह घटना हुई। हर आदमी ने इसकी निन्दा की और हर आदमी का दिल भी इससे दुखा। यह बहुत ही नाजायज हुआ। अभी हमारे सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि इसको कांड की परिभाषा नहीं दी जानी चाहिए लेकिन इसको हम घटना तो कह सकते हैं। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। रंगा साहब कह रहे थे कि वे उनके परिजनों से मिलकर आये और उनसे उनके परिजनों ने यह कहा कि उनको अब कोई पिकायत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय भी वहां पर संवेदना व्यक्त करने गए थे। ये उनको कुछ आर्थिक सहायता भी देकर आये हैं। दूसरी पार्टी के नेतागण भी वहां पर उनको संवेदना व्यक्त करने और उनकी मदद करने गए थे। मैं अब किस किस का नाम लूं। वहां उनको कोई भड़काने नहीं गया था अगर इनमें से कोई या हो तो मुझे पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बीस तारीख को वहां पर तकरीबन पचास या साठ गांवों की एक पंचायत हुई थी जिसमें फैसला लिया गया था कि जो इन साथियों के साथ हुआ है वह बहुत ही बुरा हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि मुख्यमंत्री जी की भावना उनके खिलाफ थी। मैं यह भी आरोप नहीं लगता कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। अभी जैसा रंगा साहब कह रहे थे कि यह कांड प्रिप्लान की वजह से हुआ लेकिन ऐसा नहीं था। मैं

इतना जरूर कहूंगा कि जिनती उनको आर्थिक सहायता दी गयी है उससे मृतकों के परिजनों की पूर्ति नहीं हो सकती। यह तो एक टैम्परेरी रिलीफ हुई। इससे थोड़ी देर के लिए तो उनका काम चल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस मामले की एक एफ.आई.आर. लौज हुई है इसको लौज करने वाला एस.एच.ओ. राजेन्द्र सिंह है। अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. कम्प्लेनैन्ट क `नाम से दर्ज की जाती है। इसमें जहां पर कम्प्लेनैन्ट का नाम आया है वहां पर नाम एवं पता न मालूम लिखकर इस एफ.आई.आर. की खाना पूर्ति की गयी है। अध्यक्ष महोदय, मरने वाला तोता राम एक ब्राह्मण गांव का रहने वाला था। उस गांव में सारी ब्राह्मण बिरादरी रहती है। अध्यक्ष महोदय, हमने बाद में पुलिस चौकी में जाकर देखा था वहां पर खून के धब्बे लगे हुए थे। इससे जाहिर था कि इन आदमियों को पुलिस चौकी के अंदर ही मारा गया है। इस बात से भाक होता है कि पुलिस प्र ासन की एवं पुलिस अधिकारियों की चाहे वे किसी पद पर भी थे, उनकी मिलीभगत थी। इससे यह भी जाहिर होता है कि उनकी हाजिरी में ही यह कांड हुआ। अध्यक्ष महोदय, मरने वाला तोता राम कह रहा था कि मैं तो ब्राह्मण गांव का रहने वाला हूं जब उसकी जान ली जा रही थी तो उसने यहां तक कह दिया कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए आप मुझे न मारो। रंगा साहब ने यह तो जाहिर कर दिया कि यह गऊक ि नहीं थी हम भी यह बात मानते हैं कि गाय मरी हुई थी लेकिन पुलिस कर्मचारियों या अधिकारियों के द्वारा इस घटना को घटित होने से रोका तो जा सकता था।

श्री अध्यक्ष : राव साहब, अब आप वाइंड अप करें।

राव धर्मपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, उसने जब यह कहा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ मुझे मत मारो लेकिन फिर भी उसको मार दिया गया। उसने तो यहां तक कहा था कि मैं तो ट्रक चलाने वाला हूँ, मुझे मत मारो लेकिन उसके बावजूद भी उस आदमी को मार दिया क्योंकि पहले जो और आदमी मारे गये थे इसलिए उनको मारने वालों का यह डर था कि यह आदमी अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ गवाही दे देगा इसलिए इसको भी मार दो। उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो इसलिए तोता राम को मार दिया गया। अब तो अध्यक्ष महोदय, उन लोगों की दो ही मांगें हैं कि एक तो जो सरकार ने आर्थिक सहायता दी है वह थोड़ी है दूसरी बात जो वे चाहते हैं मुख्यमंत्री जी जब संवेदना व्यक्त करने वहां गए तब इन्होंने वहां वि वास दिलाया था कि इन्साफ दिलाएंगे। उन्होंने एक ऐप्लीके टन भी लिखी है वे चाहते हैं कि इस कांड की जांच सी.बी.आई. से हो। दूसरी बात जो दोषी हैं, जो एफ.आई.आर. है वह संदिग्ध है इससे उनकी तसल्ली नहीं हो पा रही है। इसमें दोशियों का नाम भी नहीं है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार दोशियों का पक्ष न ले और दोशियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। इसमें यह है कि उनकी मौत चोट मारने से हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले की सी.बी.आई. से जांच कराकर मरने वाले उन लोगों के परिजनों को न्याय दिलाएं।

श्री अध्यक्ष : अब कंवर पाल सिंह बोलेंगे ।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, उसने जब यह कहा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ मुझे मत मारो लेकिन फिर भी उसको मार दिया गया। उसने तो यहां तक कहा था कि मैं तो ट्रक चलाने वाला हूँ, मुझे मत मारो लेकिन उसके बावजूद भी उस आदमी को मार दिया क्योंकि पहले जो और आदमी मारे गये थे इसलिए उनको मारने वालों को यह डर था कि यह आदमी अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ गवाही दे देगा इसलिए इसको भी मार दो। उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो इसलिए तोता राम को मार दिया गया। अब तो अध्यक्ष महोदय, उन लोगों की दो ही मांगें हैं कि एक तो जो सरकार ने आर्थिक सहायता दी है वह थोड़ी है दूसरी बात जो वे चाहते हैं मुख्यमंत्री जी जब संवेदना व्यक्त करने वहां गए तब इन्होंने वहां वि वास दिलाया था कि इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने एक एप्लीके टन भी लिखी है वे चाहते हैं कि इस कांड की जांच सी.बी.आई. से हो। दूसरी बात जो दोषी हैं, जो एफ.आई.आर. है वह संदिग्ध है इससे उनकी तसल्ली नहीं हो पा रही है। इसमें दोशियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। मानवता और नैतिकता के नाते उनकी पुकार सही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मेरे पास है, इसमें यह है कि उनकी मौत चोट मारने से हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले की सी.बी.आई. से जांच कराकर मरने वाले उन लोगों के परिजनों को न्याय दिलाएं।

श्री अध्यक्ष : अब कंवर पाल सिंह बोलेंगे ।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो नामों की लिस्ट मैंने आपको दी है उसमें पहला नाम मैंने अपना दिया था और मैंने यह कहा था कि हमने अपना समय बांट रखा है । जब पहले नंबर पर मेरा नाम है और दूसरे नंबर पर कंवर पाल जी का है तो पहले मुझे बोलने दें ।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी सहमति है आप हमारे लीडर को बुलाएं ।

श्री अध्यक्ष : कंवर पाल जी, आप खड़े हुए थे आप बोलें ।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने में दिक्कत क्या आती है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बाद में बोल सकते थे । आपने उनका भी नाम दे रखा था इसलिए मैंने खड़ा कर दिया । अब आप ही बोलें ।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर (मेवला महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारी अनु गसित पार्टी है अगर लीडर खड़ा हो गया तो उसका साथी विधायक खड़ा नहीं होगा । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । अपोजी गन की तरफ से जो अवि वास प्रस्ताव आया है मैं उसके

विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। समय की सीमा में आपने हमको बांध दिया है। मसाला बहुत था लेकिन समय इजाजत नहीं देता। कितना समय हमारा है आप बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपकी पूरी पार्टी के लिए 12 मिनट का समय निर्धारित है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम दुलीना में जो हरिजन भाइयों की हत्या हुई उसकी मैं अपनी पार्टी की तरफ से घोर निंदा करता हूँ और सभी दलों से निवेदन करता हूँ कि उसका राजनीतिकरण न करें क्योंकि यह हरियाणा के लिए बहुत दुःखदायी घटना है। हम सबकी कोर्टि आनी चाहिए कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और दोशियों को सजा मिले। जैसाकि मुख्यमंत्री जी ने कहा हमने समाचार पत्रों में भी पढ़ा कि अगर मरने वालों के परिवार के लोग चाहेंगे तो हम सी.बी.आई. से जांच करवा देंगे और अभी हम सुन रहे थे कि राव धर्मपाल जी ने कहा कि उन परिवार के लोगों ने कहा है कि हम सी.बी.आई. से जांच कराना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले की अगर सी.बी.आई. से जांच कराये तो कोई हर्ज नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, कल जिस तरह से कैसीनो का बिल माननीय वित्त मंत्री जी ने * * * * *

श्री अध्यक्ष : जो मंत्री जी के बारे में कहा गया है वह रिकार्ड न किया जाये।

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत्त सिंह) : स्पीकर सर, माननीय साथी मजबूरी बता रहे हैं। इनकी अपनी कोई मजबूरी रही होगी। इस सरकार के सत्ता में आते ही मैंने वित्त मंत्री के नाते भुरु में ही कहा था कि हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सिज भी जुटायेंगे। उस वक्त के आप भी गवाह हैं और प्रैस भी गवाह है। हमने भुरु में कहा था कि हम लाटरी भी चलायेंगे और कैसीनो भी चलायेंगे। उस टाइम ये नहीं बोले। हम यह बिल पब्लिक ओपिनियन के बाद लेकर आये हैं। इस तरह की अनर्गल बात कहना इनके लिए मुनासिब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कोई पर्सनल बात नहीं कही जाये।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, हां तो मैं कह रहा था कि जिस तरह से कल उस बिल को पास किया यह बड़ा दुर्भाग्य था। एक तो समय पर उस बिल को दिया नहीं गया और इतनी हाबड़-ताबड़ में उसको पास कर रहे हैं यह बात मेरी समझ से परे है। सरकार को कौन सा डर सता रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर विधायक को बोलने का अधिकार नहीं होगा तो विधायक अपनी बात और जनता की बात कहां कहेंगे। मुझे लगता है कि पूरे देश में अगर विधायिका सिस्टम कहीं टूटा है तो वह सर्वप्रथम हरियाणा है जहां विधायिका सिस्टम टूट रहा है। स्पीकर सर, हमारी पार्टी सैद्धान्तिक रूप से लाटरी के खिलाफ है, जुए के खिलाफ है और कैसीनो के खिलाफ है। इसलिए हम सैद्धान्तिक रूप से इसका विरोध करते हैं। कल भी हमने उस बिल का विरोध

किया था। अगर कल उस बिल पर बोलने दिया जाता तो मुझे लगता है कि आज यह अवि वास प्रस्ताव भायद नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कैसीनो के लिए कहा कि इससे प्रदेश का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं बल्कि सामाजिक पतन होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी बात याद दिलाऊँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र के श्री विजय गोयल के अभिनन्दन समारोह में कहा था कि हम हरियाणा में लॉटरी रूपी सामाजिक बुराई को बन्द करेंगे। मुझे अफसोस इस बात का है कि लॉटरी बन्द नहीं हुई जुआ घर को और ले आये। हम समझते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी विदेशों में जा रहे हैं बड़े उद्योगों के साथ एग्रीमेंट साईन करके आयेंगे। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये जुआ घर का सौदा करके आयेंगे। हमने कभी सोचा नहीं था कि लन्दन में कौन सा एम.ओ.यू. साईन हुआ किससे हुआ यह मैं इनसे पूछना चाहूँगा। एम.ओ.यू. साईन किस कारण हुआ, यह कुछ और ही इत्सा करता है। अध्यक्ष महोदय अभी मंत्री जी कल कह रहे थे कि कैसीनो में अमीर लोग खेलेंगे। इन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। गरीब लोग लाटरी से बर्बाद हो रहे हैं। माध्यम और अमीर लोग सट्टे से बर्बाद होंगे, कैसीनों से बर्बाद होंगे। ये लोगों के विना प्रदेश पर विकास करना चाहते हैं। बर्बादी पर आबादी बसाना चाहते हैं, ये सरकार कब्र पर महल बनाना चाहती है। इसलिए कैसीनो हरियाणा के लोगों के हित में नहीं है। हरियाणा के लोगों को ऐसा विकास नहीं चाहिए जिसमें हरियाणा के तमाम

लोगों का विना टा छुपा हो। अध्यक्ष महोदय, अफसोस इस बात का है कि विभिन्न तरह के टैक्सज बढ़ा दिए गए। हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया। लेकिन एरिया डिवैल्पमेंट टैक्स पर ये आज एक और बिल लाने जा रहे हैं। इसको ये बढ़ाकर 4 प्रति टात से 10 प्रति टात करने जा रहे हैं। लोकल एरिया डिवैल्पमेंट टैक्स की अधिकतम सीमा ये 10 प्रति टात करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृष्ण पाल जी, आप वाइंड अप करें।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, तरह-तरह के टैक्सज लगाकर हरियाणा का विकास नहीं हुआ तो कैसीनो चालू करके ये विकास करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृष्ण पाल जी, आप समय का ध्यान रखें, और भी मैम्बर्ज ने बोलना है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलते हुए अभी 3 मिनट हुए है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कैसीनो बिल, गैम्बलिंग बिल हरियाणा के हित में नहीं है। मैं चाहूंगा कि अभी समय है और इस पर अभी भी रोक लगाई जा सकती है, इसको हरियाणा में भुरू न किया जाए। हरियाणा के लोगों के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए इसको भुरू नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सूखे के मामले में क्या हुआ, मुख्यमंत्री महोदय जी बताएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी कुछ और कहते हैं और केन्द्र के कृषि मंत्री कुछ और कहते हैं। केन्द्र के

कृषि मंत्री जी कहते हैं कि इन्होंने गिरदावरी के बारे में ज्ञापन लिखकर नहीं भेजा है और ये कहते हैं कि इन्होंने ज्ञापन भेज दिया है। सूखे के नाम पर जो गिरदावरी हुई है वह बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमें अफसोस इस बात का है कि अपने आप को किसान पुत्र कहने वाले मुख्यमंत्री महोदय सूखे के मामले में किसानों के हितों की चिन्ता नहीं कर पाए हैं। बारि 1 न होने की वजह से 50 प्रति ात खेतों पर बिजाई नहीं हुई, 50 प्रति ात खेत जिन पर बिजाई हुई उसमें से 25 प्रति ात फसल बिजली न होने की वजह से, नहरों में पानी न होने की वजह से, बारि 1 न होने की वजह से सूख गई और लोगों ने उसकी जुताई कर दी। सिर्फ 25 फीसदी फसल ही खड़ी रह पाई है और 75 प्रति ात फसल बगैर पानी के बर्बाद हो गई है उसको सूखे में लिया जाये। फरीदाबाद और गुड़गांव के किसानों का तो केवल 11 फीसदी नुकसान ही दिखाया गया है। बड़े अफसोस की बात है कि यह सरकार अपने आप को किसानों की सरकार कहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि चौधरी देवी लाल किसानों के सबसे बड़े हितैशी थे, परलोक में उनकी आत्मा की भांति के लिए तो ये किसानों के भले का कोई काम करें।

श्री अध्यक्ष : आपका एक मिनट बकाया है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है लेकिन मेरे पास मसाला बहुत है। आज विकास किसका हो रहा

है इस बारे में सारा हरियाणा जानता है। आज खानों के अन्दर लूट मची है। धौज गांव में एक विधायक का पुत्र सरेआम 500 एकड़ पहाड़ पर बगैर पर्ची, बगैर लीज और बगैर रॉयल्टी के खनन करके लूट मचा रहा है, उस बारे में कोई सुनने वाला और कोई देखने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब, आप बैठे आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गए हैं।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय * * * *

Mr. Speaker : Nothing to be recorded, कृष्णपाल जी प्लीज आप बैठिये, आपका समय समाप्त हो चुका है। आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गये हैं। आपने 10:38 बजे बोलना भुरु किया था और अब 10:50 का समय हो गया है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker : Nothing to be recorded, कृष्णपाल जी प्लीज आप बैठें। आपकी पार्टी का पूरा समय समाप्त हो चुका है आप 12 मिनट बोल चुके हैं। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जा रही है, प्लीज आप बैठें।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण –

श्री जाकिर हुसैन, एम.एल.ए. द्वारा

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। सूंध गांव के पहाड़ में दो खसरा नम्बर हैं। एक खसरा नम्बर की लीज कानूनी तौर पर जिस फर्म ने ले रखी है उसमें मेरी वाईफ भी पार्टनर है। उसमें कोई चोरी नहीं हो रही है। जो चोरी हो रही है वह दूसरे खसरा नम्बर में हो रही है। गुड़गांव के अंदर रॉयलटी और सेल्जटैक्स सबसे ज्यादा दी जाती है और आप जिस फर्म में मेरी पत्नी पार्टनर है वहां से भी पूरी रॉयलटी और सेल्जटैक्स दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, क्या कानूनी तौर पर बिजनैस करना गलत बात है। हमारी आदत इनकी तरह चोरी की बसें चलाने की नहीं है।

मंत्रिमंडल के विरुद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : कृष्ण पाल जी बगैर इजाजत के बोल रहे हैं इसलिए इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी) : स्पीकर सर, विपक्ष ने मंत्री परिशद के खिलाफ जो अवि वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उस पर अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी-अपनी भूमिका होती है। सत्ता पक्ष अपना काम करके लोगों तक पहुंचाना चाहता है और विपक्ष सरकार की जो कमियां हैं उनको उजागर

करता है। विपक्ष ने अवि वास प्रस्ताव रखकर एक मायने में तो अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है क्योंकि डैमोक्रेसी में चैक और बैलेंस बहुत आवयक है। लेकिन स्पीकर सर, You will agree with me that democracy is a polity of majority. डैमोक्रेसी में क्या बात ठीक है, क्या गलत है वह संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है और अगर विपक्ष के अवि वास प्रस्ताव की बात की जाये तो विपक्ष साथी अच्छी जन कल्याणकारी योजनाओं के पक्ष में नहीं बोलेंगे बल्कि उसका भी विरोध करेंगे। इससे ऐसा महसूस होता है कि विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए ही यहां उपस्थित है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मैजोरिटी की ताकत पर सब तथ्यों का निर्धारण होता है। आज विपक्ष ने जो मुद्दे उठाये हैं उन तथ्यों में कितना दम है उसका निर्धारण भी गिनती के हिसाब से होगा और अगर सही मायनों में देखा जाये तो अब गिनती भी मायने नहीं रखती क्योंकि जब से इस रिप्रजन्टे इन एक्ट में संशोधन हुआ है तब से गिनती भी जो पार्टी के नेता होते हैं उनकी होती है यानि संबंधित पार्टी के नेता अपनी-अपनी पार्टी के सदस्यों के नाम व्हीप जारी कर देते हैं। व्हीप जारी होने के बाद कोई भी सदस्य अपने मन की बात नहीं कह सकता। आज कांग्रेस के लोग वही बात कहने के लिए मजबूर हैं जो उनके नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा कहेंगे। आज राम कि इन फौजी भी वही बात कहने के लिए मजबूर हैं जो हरियाणा विकास पार्टी के अध्यक्ष श्री बंसी लाल जी कहेंगे। यानि सब अपने अपने मन की बात नहीं कह सकते। अपने मन की बात केवल हम कह सकते हैं क्योंकि हमारे

ऊपर कोई व्हीप जारी नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि यदि नो-कांफिडेंस मोशन पर मन की आवाज से आप चाहते हैं कि सरकार के प्रति लोगों का विश्वास है या नहीं तो अपने मन की बात से जो हम 11 इन्डीपेन्डेन्ट्स बैठे हैं अकेले इनका मतदान करा कर देख लें कि इन नो-कांफिडेंस का नतीजा क्या निकलता है। (विधन)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप बैठिये।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने जो नो-कांफिडेंस मोशन रखी है उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा बात यानि जो मुख्य विपक्षी नेता बोले हैं उन्होंने सभी ने दुलीना काण्ड की बात की है। इस दुलीना काण्ड के तहत यह कहा जा रहा है कि भायद प्रदेश में ला एण्ड आर्डर बहुत खराब हो गया है और सारे प्रदेश का भार्म से सिर नीचा हो गया है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि Opposition and other members are trying to blow this to blow this issue out of proportion. यह ठीक है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्पीकर साहब, इस घटना को जैसे प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है उससे ऐसा लगता है कि भायद हरियाणा प्रदेश में कोई एक ऐसा वातावरण मौजूद है कि कोई एक जाति दूसरे के प्रति सिस्टेमैटिक तरीके से एक प्लैनिंग के तरीके से, एक विचारधारा के तरीके से उनको खत्म करना चाहती है, उन पर अत्याचार करना चाहती है लेकिन अध्यक्ष महोदय, ऐसी

कोई बात नहीं है। हमारे प्रदेश में पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब जातियां, सब तबके, सब कौमों, सब कम्युनिटीज, सब प्रकार के काम करने वाले लोग यहां पर मिलजुल कर रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, अच्छे वातावरण में रह रहे हैं। यह तो खाली एक राजनीतिक बात की जा रही है। यह एक हादसा था, उसको ऐसे ही कहा जा सकता है कि कोई तंजीम, अपनी किसी विचारधारा को अंजाम देने के लिए जैसे कि अन्य स्थानों पर होता है कि कोई थोट को आगे बढ़ाने के लिए, किसी विचारधारा को आगे करने के लिए बार-बार कोई काइम किया जाता है। यह एक हादसा है, यह एक दुखदायक घटना है और ऐसी घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं। रोजाना कहीं न कहीं पर इस प्रकार के हादसे घट जाते हैं जो किसी के कन्ट्रोल में नहीं होते, किसी के नियंत्रण में नहीं होते, वह घट जाते हैं और उनका हमें दुख है। सब को उनका दुख है। कोई भी व्यक्ति हो अगर किसी प्रकार से किसी की जान जाए या जान ले ली जाये तो इससे बड़ा और कोई घृणित काम हो नहीं सकता। लेकिन इस एक घटना को जो एक भोप दी जा रही है, जो एक कम्यूनल भोप दी जा रही है, वह गलत है। इस प्रदेश की एक जो इमेज है हरियाणा की सारे हिन्दुस्तान में जो इमेज, हरियाणा की जो इमेज विदेशों में है वह यह है कि कोई भी कम्यूनल वायलेंस यहां नहीं है। उस इमेज को योजनाबद्ध तरीके से खराब करने की कोशिश की जा रही है इसलिए मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने राजनीति करनी है तो मुद्दों की राजनीति करें, लोगों की

लागों पर अपनी राजनैतिक रोटियां न सेकें। (विघ्न) लोगों के जनहित के मुद्दे उड़ाएँ। अनेकों मुद्दे उठाये जा सकते हैं, बता सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं तथा सुझाव दे सकते हैं। मैं एक बात कह सकता हूँ कि जहां तक सरकार के खिलाफ नो-कांफिडेंस मोशन की बात करते हैं और जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा उठा नहीं सकता तो इससे स्वतः यह बात सिद्ध हो जाती है कि इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है इसलिए नोन इटू को इटू फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कहने के लिए कोई और बात नहीं है। सरकार हर क्षेत्र में अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। स्पीकर साहब, समय सीमित है लेकिन मैं चन्द भावों में चन्द बातें जो मेरे दिल को छूती हैं, जो मुझे लगती हैं वे कहना चाहता हूँ। वे आपको कैसी लगती हैं मैं नहीं जानता। लेकिन जो मेरे दिल को छूती है, जिनको मैं अच्छा मानता हूँ वह यह है कि सरकार अच्छा काम यह सरकार कर रही है वह मुझे सबसे अच्छी बात लगी है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रजातन्त्र के इतिहास में कभी कहीं पर नहीं हुआ होगा कि कोई सरकार खुद चल कर जाए और लोगों के बीच में बैठे, लोगों की समस्याएं सुनें और उनका वही पर समाधान करें। एक ऐसा प्रयोग हमारे प्रदेश में किया जा रहा है जिससे आम जनता में सरकार के प्रति आस्था पैदा हुई है। अगर लोगों को कुछ कहना है, अगर लोगों को सरकार से कुछ रंज है, अगर लोगों को सरकार से कोई द्वेष है तो लोग बड़े बैखोफ हो कर जहां दरबार लगते हैं वहां पर अपनी बात को कह सकते हैं।

“सराकर आपके द्वारा” कार्यक्रम में तैंतीस हजार विकास कार्यों को अन्जाम दिया जा चुका है यह इतना बड़ा काम है। बाकी सब कामों को एक तरफ रख दिया जाए सरकार के विकास के काम एक तरफ हैं जिसमें लोगों को बेहतरीन सुविधाएं मिली हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि बाकी के प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी हरियाणा के मुख्यमंत्री से सीख लेनी चाहिए। (विधन) अब से पहले जो लेटैस्ट टेक्नीक मैनेजमेंट की है that technique is to minimize the gap between the managers and the public. इस दिशा में मैं समझता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है जिसके तहत लोगों और सराकर के बीच में कोई दूसरा नहीं है। एम.एल.ए. भी नहीं है, इसमें एम.सी. या सरपंच भी नहीं है, जनता और सरकार बिल्कुल आमने-सामने है और वे अपनी बात एक-दूसरे को कह सकते हैं। (विधन) एम.एल.ए. का अपना दायित्व है और वह अपना काम करता है लेकिन सरकार और जनता आमने-सामने है। (विधन) अध्यक्ष महोदय, बिजली के क्षेत्र में सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनकी बाबत मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन में यह पहल गर्भियां हैं जिनमें हमें ठीक-ठाक बिजली मिली है। सरकार की जो उपलब्धियां हैं, आप सब लोग मेरी बात से एग्री करते हैं। (विधन) 11.00 बजे

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, *** **

श्री अध्यक्ष : फौजी साहब, आप बैठ जाएं। (विधन)
इनकी कोई बात रिकार्ड न करें। (विधन) चौधरी बंसी लाल जी,

इन्हें समझाइये ये बिना इजाजत के खेड़े हैं। (विघ्न) फौजी साहब, आप बैठिये। (विघ्न) विज साहब, अब आप वाईड अप करिये। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एस. वाई.एल. के मामले में भी एक महत्वपूर्ण काम हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमारे पक्ष में आई है। जैसे कर्नाटक में कावेरी के मामले में भी हम सबने देखा है कि सब को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना पड़ा है इसलिए इस मामले में भी 15 तारीख के बाद यूनियन गवर्नमेंट को भी एस.वाई.सल. का काम भुरू करना पड़ेगा। सरकार के लिए और हरियाणा के लोगों के लिए यह एक लाईफ लाईन है और इस पर काम भुरू होना सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। साथ ही साथ सो 1ल सैक्टर में भी सरकार काम कर रही है जैसे कि पैं 1न डबल कर दी गई है घुमन्तु बच्चों को एक रुपये की बजाए पांच रुपये देने का प्रावधान कर दिया गया है। लड़कियों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार "देवी तक सैल्फ असैसमेंट करने की नीति सरकार ने लागू की है जो की बहुत ही सराहनीय है। इससे व्यापारियों को बहुत ही लाभ मिला है और उनकी बहुत सी कठिनाइयां कम हुई है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बहुत से नये उद्योग लगाए गए हैं। और लगभग 28 हजार करोड़ रुपये का इन्वैस्टमेंट इनमें किया जा रहा है। ड्रग फारेन इन्वैस्टमेंट में भी तीन हजार करोड़ रुपये के लगभग हमारे प्रदे 1

में लगाए जा रहे हैं। स्पीकर सर, इसके अलावा, इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में पहली कक्षा से अंग्रेजी लागू करी है और छठी कक्षा से कम्प्यूटर लागू किया गया है। (गौर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर हम सरकार के विरोध में बात करते हैं तो हमें सरकार के पक्ष की जो बातें हैं उनको भी जानना चाहिए, हमें उसे समझना चाहिए और सुनना चाहिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, लोकल बाडिज में भी इस सरकार ने एक सराहनीय काम किया है। इस सरकार से पहले कई वर्षों से सरकार की इस बारे में कोई नीति नहीं होने की वजह से हरियाणा में कई अनअथौराईज कालोनिज बन गई थी। इस सरकार ने 761 अनअथौराईज कालोनिज को अथौराईज किया है। इससे हरियाणा के हजारों लाखों लोगों को फायदा हुआ है। ट्रक यूनियनज को, सुअरों को और डेयरियों को भाहर से बाहर निकालने के लिए भाहरों के सौंद्यकरण करने का काम भी किया जा रहा है। रोडवेज में भी बहुत सुधार किया गया है। 1100 नई बसें रोडवेज में भामिल की गई हैं और 322 बसें और भामिल करने की कोशिश की जा रही है। रोडवेज में जो घाटा था वह कम किया है। नए बढ़िया बढ़िया बस स्टैंडज बनाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। स्पीकर सर, सबसे बढ़िया बात यह है कि जो हाई-वे पर पैट्रोलिंग भुरू करी है उसकी वजह से आज एक्सीडेंट रेट में बहुत गिरावट आई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही कहना है कि आज विपक्ष का नौ-कान्फीडेंस मोडान लाना कोई मायना नहीं रखता है। मैं तो यह कहूंगा कि हरियाणा

की सुन्दर छवि को, हरियाणा की अच्छी छवि को और हरियाणा की सौहादपूर्ण छवि को विपक्ष ने बिगाड़ने का प्रयास किया है इसलिए इनके अवि वास प्रस्ताव को ध्वनि मत से रद्द किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

चौधरी बंसी लाल (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, आज जो अवि वास प्रस्ताव पर जिस पर आपने बहस शुरू करवाई है। सबसे पहले मैं दुलीना हत्या कांड की बात कहूंगा। दुलीना हत्या कांड में जो बात कही जा रही है, कहीं से कुछ और कहीं से कुछ। कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि चौधरी बंसी लाल जी ने कहा था कि मैं इन चीजों पर राजनैतिक रोटियां सेकना नहीं चाहता। यह बिल्कुल सही बात है। जब मेरे पास कोई चीज थी नहीं तो अखबार में पढ़ा है Mistaken Entity. तो मैं इन चीजों पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकता। लेकिन मैंने मेरे साथी रामकिान फौजी और उनके साथ विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष प्रो. छत्तर सिंह चौहान जी और दूसरे लोग भी उनके साथ मौके पर गए थे। इन्होंने क्या देखा कि वहां पर पुलिस वाले इनको मिले, पुलिस वालों ने कहा कि हजारों लोग गए और दरवाजे तोड़ दिये। अध्यक्ष महोदय, दरवाजे लोहे के पत्तरे के थे। उनके ऊपर एक धक्का मारने का निगान भी नहीं है। जब हजारों आदमी गए तो फिर श्री रामकिान फौजी और प्रो. छत्तर सिंह चौहान ने कहा कि तुम्हारे इस दरवाजे पर कोई निगान नहीं है तोड़ने का, फोड़ने का, किसी किस्म का। फूलों के गमले तुम्हारे आगे इतने

रखे हैं यह भी यह भी कोई नहीं टूटा, ये सब साबूत रह गए। आदमी मारे गए। हकीकत यह है कि उन्होंने कहा कि हम फारूखनगर से 200 रुपये में एक मरी हुई गाय खरीद कर लाए हैं। दो कांस्टेबल पुलिस के उनको लेकर यह तसल्ली करने के लिए फारूखनगर चले गए। फारूखनगर में यह बात साबित हो गई कि मरी हुई गाय 200 रुपये में खरीद कर लाए थे। वो जब तक वापिस आए तो बाकी 3 आदमी मारे जा चुके थे। खैर उन्होंने यह सोचा के दो मौके के गवाह बाकी क्यों रहें उनको भी मार दिया। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि पुलिस वाले जो उनको फारूखनगर लेकर गए तो वहां से 8 या 7 किलोमीटर के फासले पर झज्जर में उनका थाना था वहां पर क्यों क्यों नहीं लेकर गए तो। यह काम एस.एच.ओ. का था और वही तफती करता। उन लोगों को वहां पर छोड़ आते। यह पैसे के लेने-देन पर झगड़ा हुआ है। एक आदमी मर जाए, दो मर जाए बाकी उन्होंने अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरों को इसमें भामिल कर लिया। हजारों आदमी वहां पर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते क्योंकि वह गांव बे-चिराग है। कई हजार आदमी झज्जर से न कभी रामलीला देखने आए न कभी देखने गए। आज तक हमने देखा नहीं। झज्जर हमारे लिए कोई नई जगह नहीं है। यह जो चीजें कहीं जा रही हैं यह बनावटी चीजें हैं। इसके अलावा इंकवायरी कमी इन सरकार ने बिठाया कमि इनर का। पांच हत्याएं हो गईं, पांच दलितों की हत्याएं हो गयी हत्याएं क्यों हो गयी क्योंकि वह गरीब थे। कोई साहूकार आदमी चमड़ा नहीं उतारते मरे हुए पतुओं

का। वे गरीब आदमी कमाकर खा रहे थे ठेका था उन्होंने अपना लाईसेंस दिखा दिया कि हमारे पास लाईसेंस है चमड़ा उतारने का या हड्डियों का। किसी ने नहीं देखा साफ कर दिया। मैं यह नहीं मान सकता कि जब दो आदमियों को फारूखनगर ले जाने का टाईम उनको मिल गया तो उसके बाद उनको इस तरह मार दिया जाए। यह बात जचने वाली नहीं है। मारा गया जान बुझकर क्योंकि उनसे आदमी मारा गया है।

श्री अध्यक्ष महोदय : चौधरी साहब, अब वाईड अप करें।

चौ. बंसीलाल : इन्होंने कमि नर से इंकवायरी के लिए कहा है कमि नर क्या करेगा। मुख्यमंत्री तो रोज ब्यान दे रहे हैं कि पुलिस का कोई कसूर नहीं। कमि नर ने क्या करना है। जिस तरह से उन दलितों को मार दिया गया और यहां दलितों की बात उठाने पर गला घोटा जाता है। इसी तरह से उस दलित का गला घोंट दिया जाएगा। * * * * *

श्री अध्यक्ष : इनकी यह बात डिलीट कर दें। किसी ओफिसर के बारे में इस तरह के भाब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए।

चौ. बंसीलाल : उनका अंगूठा लगवाया जाएगा और मुख्यमंत्री जी बाद गहपुर होकर गए, ला रें गांव में आयी पड़ी थी लेकिन इन्होंने यह को र्ि र नहीं की कि वहां जाएं। सी.बी. आई. से इंकवायरी करवाने की बात पर रंगा साहब कह रहे थे कि

वे कहते हैं कि हमको सी.बी.आई. की इंकवायरी नहीं चाहिए। वहीं के ही एक ऑनरेबल मैम्बर ने यह कह दिया कि मेरी दरख्वास्त ले लो और सी.बी.आई. से इंकवायरी करा लें। सी.बी.आई. से इंकवायरी करवाने में इनको क्या एतराज है। सी.बी.आई. भी इनकी है।

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, अब आप बैठिए आपका टाईम हो गया है।

चौ. बंसीलाल : बस, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : चार मिनट आपको बोलते हुए हो गये हैं। आपकी पोजिशन ही यही है आपके दो मैम्बर हैं।

चौ. बंसीलाल : मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ श्रीमान जी। आप धक्का तो न करें।

श्री अध्यक्ष : चार मिनट आपको बोलते हुए हो गये हैं अब आप बैठें। आपकी चार मिनट की ही हैसियत है ज्यादा होती तो आप बोल लेते।

चौ. बंसीलाल : यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि क्या दलितों को जिन्दा रहने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप बैठें।

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, इनके सामने एक दुविधा थी। ये दो से ज्यादा ले तो आते हैं लेकिन फिर सिम्बल पर अटक जाते हैं। इनका बेटा और बेटी दो का ही सिम्बल है। ये अपने धर्म संकट में हैं। अब भी ये दो ही बैठे हैं चिढ़े से, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

चौ. बंसीलाल : अध्यक्ष महोदय, खरकड़ा में दिन के साढ़े दस बजे स्पीड ब्रेकर के ऊपर जब गाड़ी धीरे हुई, व्यापारी की, बनिये की गाड़ी थी खुद चला रहा था उसका नौकर बराबर में बैठा था। जब गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर धीरे हुई तो तीन गुंडे भागकर उसमें चढ़ गए। दो गुंडे गाड़ी के पीछे बैठ गए और एक गुंडा गाड़ी में आगे आकर बैठ गया। उन्होंने मालिक को नौकर की तरफ धकेल दिया। नौकर वहीं बैठा था जब नौकर ने कहा कि यह क्या कर रहे हो तो उन्होंने नौकर को गोली मार दी। गोली मारकर उसको एक ड्रेन में डाल दिया और बनिये के लिए उन्होंने कहा कि दो आदमी तो हम खून से गाड़ी धो लेते हैं परन्तु जब मालिक ने जिद की तो उस मालिक को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर भाग गए। यह बात दिन के साढ़े दस बजे की है ने नल हाईवे पर मेहम-रोहतक सड़क की।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, अब आप बैठिये। आपकी बात हो गयी है अब तो आपने चुटकले भुरु कर दिए। अब आपका समय समाप्त हो गया है।

चौ. बंसीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो कुछ कहना चाहता हूँ। मैं यह छोड़ देता हूँ और दूसरी बात पकड़ लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया है आप बड़े डिसिप्लंड हैं इसलिए अब आप बैठें। आपने तो 6-7 मिनट ले लिए।

चौ. बंसीलाल : इसी तरह कैसीनों का जो बिल पास किया गया है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, अब आप बैठ जाएं। अब आपकी बात रिकार्ड नहीं हो रही है। आपका समय समाप्त हो गया है। (विघ्न) चौधरी साहब की कोई बात रिकार्ड न करें। चौधरी साहब, आप अपने इम्पोर्टेंट इ थू बोल चुके हैं, आपको बोलते हुए सात मिनट हो गये, अब आप बैठें।

चौ. बंसीलाल : * * * * *

श्री अध्यक्ष : अब इनकी बात रिकार्ड न करें। अब राजेन्द्र सिंह बिसला बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सदन में अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। आपने मुझे इस पर बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कल से लेकर आज तक जो चर्चा के केन्द्र बिन्दु रहे हैं वह हैं दुलीना कांड, बिजली का मामला, कैसीनो बगैरहा। पिछले

दिनों बड़ा गरमागर्मी का माहौल रहा है। दुलीना में पांच लोग मारे गए। यह अति निंदनीय है और हम सभी के लिए खेद का विशय है यह जो अधिकारी आर.आर. बांसवाल हैं। (विघ्न)

वाक आउट

चौ. बंसीलाल : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी पूरी बात कहने का मौका नहीं दिया इसलिए हम एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के सदन में उपस्थित दोनों सदस्य सदन से वाकआउट कर गए।) (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, जब चौधरी बंसी लाल जी अपना कोई प्रोटैस्ट तथ्यों सहित दर्ज नहीं करा पाए और कोई प्रैस लायक खबर नहीं दे पाए इसलिए उन्होंने केवल मात्र दिखावा करने के लिए वाकआउट किया है and that was also after-thought. He was unsuccessful. कोई आदमी बोलने के दस मिनट बाद वाकआउट करता है तो यह आफ्टर थोट है।

मंत्रिमंडल के विरुद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि इस मामले की जांच

आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रोहतक डिवीजन के कमि नर आर. आर. बांसवाल को सौंपी है, मैं इस अधिकारी को पिछले काफी समय से जानता हूं। 1977 में जब मैं विधायक था तब ये बल्लबगढ़ में एस.डी.एम. रहे हैं आपने सारे लम्बे कैरियर में ये बहुत ही स्टेट फारवर्ड, कर्मठ निश्ठावान और ईमानदार छवि के अधिकारी रहे हैं। मुझे उस अधिकारी पर वि वास है और हमें धैर्य रखना चाहिए। सदन के सभी सदस्य चाहे विपक्ष की पार्टी के हैं, इस कमि नर को धैर्य से इस केस की पूरी छानबीन और इंकवायरी करने दें। मुझे पूर्ण भरोसा है कि इनकी जो इंकवायरी होगी उससे हम सभी संतुष्ट होंगे, इनकी इन्वैस्टीगे इन से हम सभी संतुष्ट होंगे और जो उनका निर्णय होगा सरकार उस पर कार्यवाही कर लेगी। किसान का जो विशय है उस पर मैं। खेद के साथ विचार प्रकट करना चाहूंगा कि हमसे जो सीनियर पोलिटीयि यंज हैं, जिन्होंने बड़े-बड़े पदों को सु पोभित किया है वे न पूर्ण गंभीरता के साथ चिंतन करते हैं न गहराई तक जाते हैं और अपोजी इन फॉर दि सेक ऑफ अपोजी इन इन विचारों में बह जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन से यह प्र न करना चाहूंगा और इनका ध्यान इस बात कि ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज सारे हरियाणा में ि ाक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा केवल मात्र समाज के धनी वर्ग या मैं कहूंगा कि जो पूंजीपति वर्ग हैं ये सुविधाएं उनके अधिकार में चली गई हैं। हम प्रदे ा में कितने पोलिटिकल लोग हैं या हम मौजूदा कितने विधायक हैं, कितने आई.ए.एस., आई.पी.एस. या ब्यूरोक्रेटस हैं जिनके बच्चे

सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं गांव से सम्बन्ध रखते हैं अब तो गुड़गांव बहुत बड़ा भाहर हो गया है। आप इन्टरनेशनल फेम के प्लेयर रहे हैं। पहले गांवों के बच्चे आई.ए.एस., आई.पी.एस. और बड़े-बड़े पदों तक गये हैं। लेकिन आज गांव के सरकारी स्कूलों की शिक्षा खत्म ही हो गई है। पिछले 15 सालों से गांव के सरकारी हाई स्कूल से किए हुए मैट्रिकुलेटस आई.ए.एस., आई.पी.एस. या एच.सी.एच. के पदों पर नहीं पहुंच पाये हैं। शिक्षा के साथ-साथ जो स्वास्थ्य की बात है। स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे सरकारी होस्पिटल्स हैं उनमें भी बड़े लोगों का ट्रीटमेंट नहीं होता है। बड़े-बड़े भाहरों में जिनते भी फाईव स्टार कल्चर के नर्सिंग होम हैं पैसे वाले वहां पर इलाज करवाते हैं। गरीब वर्ग, हरिजन और बैकवर्ड वर्ग, किसान वर्ग है इनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। आज प्रश्न यह है कि किस प्रकार से जो बेसिक एमिनिटीज हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की उनके लिए फण्डज जुटाये जायें, आर्थिक स्रोत बढ़ाये जायें। समाज के जो 80 फीसदी आदमी हैं वे विशेषकर गांवों में रहते हैं और भाहरों की छोटी-छोटी कालोनियों में रहते हैं उनको शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से पैसा जुटाकर सुविधाएं मुहैया करवाई जायें; सरकार का जो मेन उद्देश्य है वह कैसीनो का केवल मात्र पैसा जुटाकर रिसोर्सिज बढ़ाकर इस प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने का है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ साथी हैं और दूसरे साथी हैं उन्होंने कैसीनो को इस प्रकार प्रोजैक्ट किया

है कि उन्होंने इसको जुए का नाम दिया और कल वाक आउट भी किया कि सरकार जुआ घर खोल रही है। कैसीनो का सिस्टम क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे स्वयं यूरोप जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : बिसला जी, आप वाईड अप करें।

राजेंद्र सिंह बिसला : उपाध्यक्ष महोदय, यूरोप में एक आर्य समाज की ट्रिपपर मैं गया था। जब हम यूरोप में घूम रहे थे तो हमें मौनेको जो कि वहां का प्रिंसली स्टेट है वहां पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, आप आ चर्यचकित होंगे कि वहां पर कोई टैक्स नहीं है। एजूके इनल, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्टे इन वहां पर सारी की सारी सुविधाएं फ्री हैं। मौनेको जो कि वहां का प्रिंसली स्टेट है वहां की अर्थव्यवस्था सारी की सारी कैसीनो पर टिकी हुई है। हमारे हरियाणा प्रदेश में भी जब कैसीनो चालू होगा तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा का एक परसेंट आदमी भी इससे एडवर्स एफैक्टिव नहीं होगा। आप यह मानकर चलिए कि कैसीनो से 200-250 करोड़ की इन्कम एक साल में होगी और हमारी सरकार उस पैसे को आम आदमी की शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में खर्च करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : बिसला साहब, आप वाईड अप करें।

श्री राजेंद्र सिंह बिसला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन मिनट और लूंगा। निश्चित रूप से यह कैसीनो हरियाणा प्रदेश में

के लिए लाभान्वित होगा। दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कैसीनो का जहां लाइसेंस दिया जाएगा वहां फाइव स्टार होटल बनेगा, स्विमिंग पुल बनेगा। आज कम्प्यूटर का और ग्लोबलाइजेसन का युग है। पैसा उसी आदमी से ले सकते हैं जिसके पास पैसा हो, गांव के किसी आदमी से टैक्स लेकर दिखा दें। पैसा विकास के कार्यों के लिए उसी से लिया जा सकता है जिसके पास टैक्स देने की क्षमता हो। आज दिल्ली के नजदीक हरियाणा में कैसीनो चालू होगा। इतने एम्बेसीज हैं और वर्ल्ड के हर कोने से जो लोग इंडस्ट्रीज और बिजनेस के हिसाब से हरियाणा में आ रहे हैं। उन लोगों का कल्चर है कि भ्राम को अपनी मेहनत से कमाए पैसे को अपने ऊपर खर्च करें। कैसीनो से कोई नुकसान नहीं होगा जैसा कि विपक्ष के साथियों ने प्रदर्शित किया है बल्कि इससे कई सौ करोड़ रुपये की आमदनी हमारी हरियाणा सरकार की होगी और मैं समझता हूँ कि यह सारे का सारा पैसा जो आम आदमी है यानि कि 85 प्रतिशत हरिजन, बैकवर्ड और किसान हैं, उनके सोशल अपलिफ्ट के लिए होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय साथियों से निवेदन करूंगा कि भजन लाल जी, हुड्डा जी बड़े सम्पन्न लोग हैं, ये मोनैको जैसे सिस्टम को यहां अपनाएं। (विधन) क्योंकि मैं वहां होकर आया हूँ और सारे सिस्टम को देखकर आया हूँ। मोनैको का आम नागरिक डायरेक्टली कैसीनो से प्रभावित नहीं है। वर्ल्ड का कोई ऐसा देश नहीं जहां अमीर लोग कैसीनो खेलने न जाते हों। उनके अलग से एयरपोर्ट बने हुए हैं। उपाध्यक्ष

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां हरियाणा में कैसीनो स्थापित किया जा रहा है वहीं हरियाणा में एयर बेस भी बनाया जाए। (विघ्न) हुड्डा साहब, बिजली के मामले में, ट्रांसमिशन के मामले में, आगुमेंटेड इन और डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में जितना काम इन तीन सालों में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के साथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि यह कैसीनो जिस प्रकार से खोला जा रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि सारे हरियाणा के लोग वहां जाकर खेलें। इससे करोड़ों की इन्कम होगी और प्रदेश का विकास होगा। क्योंकि आज प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के सामने फाइनेंशियल काइसिज हैं, वे न तो बिजली के टैक्स बढ़ा सकते हैं और न ही बसों आदि के किराए बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष के साथियों ने जो कैसीनो को हौवा बनाया हुआ है, वह गलत है। इससे निश्चित रूप से हमारी सरकार का रैवेन्यू बढ़ेगा और यह पूरी तरह से प्रदेश के लिए फायदेमंद होगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी बात जल्दी-जल्दी में कहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं दुलीना कांड की एफ.आई.आर. के बारे में बात करना चाहूंगा। रंगा साहब यहां बैठे हुए हैं इन्होंने मंत्री के तौर पर दुलीना कांड का जवाब दिया था। एफ.आई.आर. लिखने वाले राजेन्द्र सिंह, एस.एच.ओ. थे और

उन्होंने अपने बयान में लिखा है कि गऊकसी करने वाले उन पांच युवकों को गांव वालों ने घेर लिया और उन्होंने उन गऊकसी करने वालों को बचाने की कोशिश की। क्या मंत्री जी ने अपना जवाब देने से पहले यह रिपोर्ट पढ़ी थी। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का गैर जिम्मेदाराना रोल इस बात से भी नजर आता है कि इन पांच दलित युवकों की हत्या हो गई और सरकार 15 हरिजन विधायक सरकार के साथ हैं। जिस समय इन पांच दलित युवकों की निर्मम हत्या हुई उस समय वहां पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी थाने के चारों तरफ मौजूद थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि इन दलितों की हत्या के खिलाफ जो एफ. आई.आर. दर्ज की गई उसमें हरिजनों के खिलाफ जो स्पेशल प्रोविजन्स होते हैं जिन्हें हरिजन एक्ट कहा जाता है, वह आज तक इस केस में नहीं लगाया गया है। हरिजन एक्ट इस केस में न लगाने से उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के लोगों के मन में यह भांका है कि किस तरीके से उनके परिजनों को न्याय मिलेगा। जब इस केस में किसी की गिरफ्तारी होगी, जो भी जांच की रिपोर्ट आयेगी तब किस तरीके से उन युवकों के परिजनों को न्याय मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस केस में हरिजन एक्ट भी लगना चाहिए। जब हमारी पार्लियामेंट ने देश के हर राज्य में हरिजन एक्ट लगाने का प्रावधान कर रखा है तो इस केस में यह एक्ट क्यों नहीं लगाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत हुआ कि पांच हरिजन युवकों की निर्मम हत्या हो गई और इस केस में हरिजन एक्ट नहीं लगाया गया।

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा क्योंकि जिन दलितों की हत्या हुई है, वह गांव मेरे गांव से और भाई धर्मपाल जी के गांव से दो कि.मी. की दूरी पर है। मैं उनके घर चार दफा गया हूं। मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मृतकों के परिवार वालों की असलियत में मांग यह है कि यह एफ.आई.आर. कैंसिल की जाये और वे चाहते हैं कि जो धब्बा उनके ऊपर लगा है वह खत्म होना चाहिए। वे चाहते हैं कि जो गऊकसी वाली बात है वह इसमें ने आये। उन्होंने कहा कि वे रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं। दलाल साहब, यह मांग उनके परिवार वालों की है।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम लिया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उनके परिवार वालों ने जो दरखास्त दी है उसमें चाहा है कि सी.बी.आई. से इन्क्वायरी करवाकर दोशियों को सजा दिलवाई जाये तथा जो इन्क्वायरी वाली बात है वह बेसलैस है।

श्री उपाध्यक्ष : धर्मपाल जी, मैं केवल दलाल साहब की एफ.आई.आर. वाली बात के बारे में बता रहा था। मैं चार दफा उनके परिवार वालों के पास गया हूं।

श्री कर्ण दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सरकार हरिजनों के प्रति गंभीर नहीं है। अगर ये हरिजनों के प्रति गंभीर होते तो ये हरिजन उत्पीड़न एक्ट

भी इसमें लगाते। उपाध्यक्ष महोदय, उनके परिजनों ने जो दरखास्त दी है वह मेरे पास है।

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, यह दरखास्त धर्मपाल जी पढ़ चुके हैं इसलिए आप इस दरखास्त को रिपीट न करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की चर्चा है कि मौजूदा सरकार हरियाणा में कैसीनो खोलने जा रही है और इस बारे में कल सदन में बिल भी लाया गया। इस बिल के बारे में बिसला साहब और दूसरे कई साथियों ने कहा कि यह जुआ नहीं है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का जो हिन्दी में अनुवाद है उसमें लिखा है द्युत बिल, आप भी इसकी एक कापी मंगवाकर देखें। 'द्युत' जो भाब्द है वह कैसा माना जाता है यह आप सब जानते हैं। इसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। मौजूदा सरकार ने कुरुक्षेत्र में भापथ ग्रहण की थी जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के कारण हमें कितना नुकसान उठाना पड़ा था और यह युद्ध जुए के कारण हुआ था इससे इस सरकार को भी सीख लेनी चाहिए। महाभारत के युद्ध में जानमाल का बहुत नुकसान हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, यदि हरियाणा जैसे भांति प्रिय प्रदेश में कैसीनो के नाम पर जो बिल लाया गया है इससे हरियाणा प्रदेश की बर्बादी निश्चित है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, प्लीज आप वाईड अप करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : डिप्टी स्पीकर साहब, आपको गुड़गांव के लोगों ने चुन करके भेजा है। ये जितने भी जुए के अड्डे बनेंगे उन के बारे में हमें डर है कि सबसे ज्यादा अड्डे फरीदाबार और गुड़गांव में बनेंगे। गुड़गांव के लोगों के साथ आपकी मौजूदगी में, आपकी रहनुमाई में कोई गलत काम हो, तो उस बारे में मैं आपको याद दिला रहा था कि आपको कम से कम इसका विरोध करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी बात सुन लें। गुड़गांव में एक फाईव स्टार होटल है। और इस फाईव स्टार होटल के बारे में चौधरी भजन लाल जी जानते हैं। अगर कोई वहां पर जुए का अड्डे खुलेगा तो सबसे पहले वहां पर खुलेगा इसलिए इसकी चिन्ता न तो आपको करनी चाहिए और न मुझको करनी चाहिए। इसकी चिन्ता तो भजन लाल जी करेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, जो अवि वास प्रस्ताव आज हम लाए हैं उसकी एक वजह यह भी है कि दुलीना काण्ड के साथ-साथ प्रदे 1 की कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। पिछले दिनों अग्नि के नाम पर हरियाणा पुलिस ने अवैध हथियारों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया। उस अभियान के मातहत हरियाणा के गांवाकें और भाहरों

में भारीफ लोगों को पुलिस ने पकड़-पकड़ कर बेहरहमी से मारा। पुलिस ने बुरी तरह से पैसे के नाम पर पिटाई की। जो लोग पैसा दे देते थे उनको छोड़ देते थे और जो पैसा नहीं देते थे उनको पीटा जाता था। पैसे न देने की वजह से हथीन के हसन की पुलिस द्वारा पिटाई की गई उसको इतना पीटा गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसी तरीके से हरियाणा में जो 10-12 हजार एडहोक टीचर्स पढ़ाने में लगे हुए हैं उनकी नौकरियां भी खत्म करने पर यह सरकार तुली हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज वाईड अप।

श्री कर्ण सिंह दलाल : ये टीचर हाईकोर्ट में गए हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह शिक्षा का मामला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम जो अध्यापक स्कूलों में पढ़ाने में लगे हुए हैं उनकी नौकरियों को समाप्त करने का जो मामला हरियाणा सरकार ने चला रखा है और उन अध्यापकों के मन में जो डर है उसको समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिये। आप अपनी बात समाप्त करिए। आप अपनी बात एक मिनट में कनकल्यूड करें। आपका बोलने का केवल दो मिनट का समय था।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, आपकी मेहरबानी, आपने दो मिनट से ज्यादा का समय दिया। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव दे रहा हूँ कि द्युत

के नाम पर और कैसीनों के नाम पर जो ये जोर देने पर लगे हुए हैं उस बारे में चौधरी भजन लाल जी ने कहा था कि कैसीनों का और इन जुआ घरों का नाम यह सरकार चौधरी देवीलाल के नाम पर रख दे तो मैं इसका समर्थन करता। मैं सरकार से एक और अनुरोध करता हूँ कि इनका नाम चौधरी देवीलाल के नाम पर रख दें ताकि हरियाणा के लोगों को पता चल सके।

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिये। अब जगजीत सिंह सांगवान जी बोलेंगे। सांगवान साहब, आप भी बोलते समय, समय का ध्यान रखें।

श्री जगजीत सिंह सांगवान (दादरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और विपक्ष जो अवि वास प्रस्ताव लेकर आया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे से पहले कांग्रेस पार्टी के आदरणीय साथियों ने और दूसरे साथियों ने इस प्रस्ताव पर काफी कुछ बोला है। मैं जल्दी से जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा और मैं कोई बात रिपीट नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई बात रिपीट नहीं करें तो अच्छा नयी बात करें।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नयी बात ही बताऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, दुलीना काण्ड के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। दुलीना काण्ड दुलीना चौकी के पास हुआ था। दो

चार फ़ैक्टरियां दुलीना चौकी के आसपास खाल साफ करने की हैं। इस विशय पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहां पर यह खालों का धन्धा अक्सर होता है। वहां पर जो चौकी है वह और जो सड़क है वह इन फ़ैक्टरियों से हो करके जाती है, वह मेन मुहाने पर है। वहां पर बहुत मोटा पैसे का लेन-देन होता है। वहां पर खाल अक्सर जाती है, धुलती है और बिकती है। वहां पर सारे धन्धे होते हैं। जब पुलिस को पैसा नहीं मिलता तो ऐसे ही काण्ड जन्म लेते हैं। यह है इसकी असलियत। इसलिए इसकी जांच की मांग की गई है। यह बिल्कुल सही बात है। कुछ साथियों ने कहा है कि यह एक सोची समझी घटना नहीं थी, यह बिल्कुल ठीक बात है लेकिन यह पुलिस ने मौके पर की है लेकिन यह कोई

। ड़यंत्र नहीं था। लेकिन मौके पर पुलिस को पैसा नहीं मिलने की वजह से यह घटना हुई। इस घटना को अंजाम दिया इसलिए इसकी जांच सी.बी.आई. से करवानी जरूरी है। नम्बर दो सूखे के ऊपर भी कल चर्चा हुई। सूखे के नाम पर गिरदावरी हुई है और सरकार ने बाकायादा ब्यान दिया है कि रैण्डम चैकिंग हुई है और अधिकारियों ने उसे सही मान लिया है। लेकिन किसान को अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है यह बहुत ही बुरी बात है, सारे प्रदे का किसान इस बात से बहुत दुखी और खफा है। 25 तारीख को भिवानी के अन्दर केन्द्रीय कृशि मन्त्री आए थे और उन्होंने भी यह कहा है कि आज तक सरकार के मन्त्री या मुख्यमन्त्री ने कोई सीधी बात नहीं की है इसलिए वे इस स्थिति में नहीं है कि सही तस्वीर केन्द्र के सामने रख सकें, इस तरह का

उनका ब्यान भी आया था (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, कैसीनो का जो बिल कल पास हुआ है उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार आज भी इस बात को दोबारा कंसीडर कर ले और इस बिल को वापिस ले लें तो यह सरकार और लोगों के हित में ही होगा और आने वाली पीढ़ियों के भी यह हित में होगा वरना तो इस बिल को पास करवाने वाले लोगों को हरियाणा की आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे साथी कर्ण सिंह दलाल ने कर्मचारियों की छटनी के बारे में जो बात कही है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही मैं आप का धन्यवाद करता हूं।

श्री रामबीर सिंह (पटौदी-अनुसूचित जाति) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के साथियों ने सरकार के प्रति जो अवि वास प्रस्ताव पे किया है उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। आज दुलीना प्रकरण के ऊपर विशेषतौर पर बहुत चर्चा हुई। कल भी हमारे विपक्ष के साथी इस पर काफी चर्चा करना चाहते थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि आज इन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके इस प्रकरण के ऊपर जो बड़ा भारी राजनीतिक कचरा है उसको साफ करने का प्रयास किया है। दुलीना प्रकरण में बार-बार हमारे विपक्ष के साथी यह बात कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार के सत्ता पक्ष के जो दलित विधायक हैं उनमें से कोई भी

उन परिवारों से सहानुभूति प्रकट करने के लिए नहीं गया। मेरे जिला गुड़गांव के अंदर ही मेरे पड़ौसी विधान सभा क्षेत्र में ही यह घटित हुआ और जहां घटित हुआ वह भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में दूसरी तरफ लगता है जहां दुलीना स्थित है। मैं स्वयं वहां पर तीन बार गया हूं और दुलीना में भी गया हूं तथा सहानुभूति प्रकट करने के लिए उन परिवारों के पास भी गया हूं। मैं बाद गहपुर और टीकलीपुर में भी गया हूं। मैं उन परिवारों के पास संवेदना प्रकट करने के लिए तथा सरकार की ओर से बात करने के लिए भी गया हूं इसलिए यह कहना गलत है कि सत्ता पक्ष का कोई भी विधायक वहां पर नहीं गया। कल से ही विपक्ष के साथी इस बात को बार-बार प्रचारित कर रहे हैं कि कोई भी दलित विधायक वहां पर नहीं गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि जो कुछ हुआ गलत हुआ और विशेष तौर पर वह निन्दनीय था। यह किसी की सोची समझी चाल नहीं थी। बार-बार दलित कह कर इसको प्रचारित किया जा रहा है और इसको भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, वह भी वास्तव में निन्दनीय है। जो हुआ वह गलत हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी निंदा की है और यह घोषणा की है कि जो भी इस कांड में दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वे मेरे परिवार के सदस्य ही क्यों न हो। फिर भी इसको बार-बार प्रचारित किया जा रहा है। ये लोग कभी सी. बी.आई. से इन्क्वायरी की मांग करते हैं, कभी किसी और चीज की मांग करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि अगर आपकी तसल्ली श्री आर.आर. बंसवाल कमीशन की जांच से नहीं होती है

तो जिस पर आप उंगली टेकोगे उसी से जांच करवा ली जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी करवा दिया जाएगा। यह कोई सोची-समझी चाल नहीं थी सरकार इसमें कहीं दोशी नहीं है मुख्यमंत्री जी का इसमें कहीं कोई दोश नहीं है। फिर क्यों बार बार यह प्रचारित यिका जा रहा है कि विपक्ष की ओर से। सही पूछें हमें बार बार दलित दलित कह करके कांग्रेस की ओर से और दूसरी पार्टियों की तरफ से प्रचार किया जा रहा है कि हम दबे हुए और कुचले हुए लोग हैं। मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि अब यहां कोई भी दलित नहीं है। अब इस देश के अंदर कोई भी दलित नहीं है। हमें भी वही अधिकार हैं जो कि आप लोगों के पास हैं। बार बार इस बात को दलित दलित कह करके प्रचार किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या ये दलित की परिभाषा भी जानते हैं। दलित वह होता है जो दबा हुआ होता है, कुचला हुआ होता है। आज देश के अंदर कोई भी दलित नहीं है। संविधान के अंदर सबको बराबर के अधिकार दिए हुए हैं। पता नहीं आज ये कहां से दलित भाब्द ले आए। क्या उस भीड़ ने उनको यह सोच कर मारा था कि वे दलित हैं या किसी जाति से सम्बंध रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पहले राव धर्मपाल जी ने अपनी बात बोलते हुए कहा था कि एक व्यक्ति ने तो खड़ा होकर भी कहा था कि मैं ब्राह्मण हूं, फिर भी भीड़ ने उसको मार दिया तो मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि फिर दलित का प्रचलन कहां से आ गया। इसका मतलब क्या यह है कि इस पर राजनीति की जा रही है।

वहां पर कभी कोई पार्टी जा रही है और कभी कोई पार्टी जा रही है। (विघ्न) राव धर्मपाल जी ने कहा है कि एक व्यक्ति ने तो खड़ा होकर यह भी कहा था कि मैं ब्राह्मण हूं, हरिजन नहीं हूं, दलित नहीं हूं और न ही मुसलमान हूं। फिर भी भीड़ ने उसको मार दिया। किसी ने उसकी बात सुनी नहीं। (विघ्न)

राव धर्मपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि उसने अपनी जान बचाने के लिए यह कहा था कि मैं ब्राह्मण हूं। असल में वह वाल्मीकि था।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिना इजाजत के खड़े न हों। आप अपनी सीट पर बैठिए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री राम बीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वह कोई भी था लेकिन भीड़ ने यह सोच क नहीं मारा कि वह कौन है। इव तो कह भी रहा था कि मैं पण्डित हूं फिर भी भीड़ ने उसको क्यों मारर दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बार बार दलित कह कर क्यों यह प्रचारित यिका जा रहा है। यहां पर एक बात और प्रचारित की जा रही है कि पुलिस ने रि वत मांगी थी। उपाध्यक्ष महोदय, वे फरूखनगर से गाय लेकर गए थे। बाद ाहपुर की तरफ से वे आ रहे थे जो गाय उन्होंने फारूखनगर से डाली थी। वह क्षेत्र मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। जिनको वहां से जोगरफिया का पता है, जिनको वहां के भूगोल का पता है वे ही बता सकते हैं कि उपाध्यक्ष महोदय, फरूखनगर से झज्जर को यह रोड जाती

है। जहां पर वह हादसा हुआ, जां पर वे गाय उतार रहे थे वह जगह फरूखनगर से एक किलोमीटर आगे है। वहां का यह हादसा है। उपाध्यक्ष महोदय, वे लोग तो चौकी कोस कर गए थे। मैं इनसे वह पूछना चाहता हूं कि क्या उनसे वहां जाकर रि वत मांगी गई थी। ये बार बार यहां पर कह रहे थे कि पैसे न मिलने की वजह से पुलिस ने उनको मारा है। यह बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, चौकी को वे लोग कोस करके चले गए थे। रि वत मांगने का प्र न पैदा ही नहीं होता है। भीड़ के साथ उन लोगों का झगड़ा हुआ है। भीड़ उनको चौकी के अंदर पीटती हुई लाई है और उसके कारण यह सारा प्रकरण हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, राव धर्मपाल सिंह जी ने एक बात और यहां पर भी कही कि वे लोग सी.बी.आई. से जांच करवाना चाहते हैं। इस बारे में उन लोगों ने पत्र लिखा है। उपाध्यक्ष सर, आज जो अखबार आया है उसको सभी सदस्यों ने पढ़ा है। उन्होंने यह भी पढ़ा होगा कि कैला । के परिवार को छोड़ कर सभी चार परिवार कल झज्जर में आर.आर. बांसवाल के सामने अपने ब्यान दर्ज करवाने गए थे। (विधन) आप अखबार

पढ़ ले, आज के अखबार में है। वे चारों परिवार कल आर.आर. बांसवाल के सामने पे । हुए हैं और यह रिकार्ड की बात है। आप झज्जर से इस बारे में रिकार्ड मंगवा कर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने झज्जर के कमि ।नर आर. आर. बांसवाल को इन्क्वायरी आफिसर नियुक्त किया है उनके सामने पे । हुए हैं।

इस सब के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने उन परिवार वालों को कहा है कि अगर आपकी इनकी जांच से संतुष्टी नहीं होती है तो हमें बताएं। उपाध्यक्ष महोदय, आर. आर. बांसवाल के बारे में हम सब जानते हैं। उनकी बहुत ही अच्छी छवि है और उन पर कोई एक कप चाय लेने का दाग भी नहीं लगा सकता है। वे निष्पक्ष फैसला करेंगे। इस सब के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने उन परिवार वालों से कहा है कि अगर वे इनकी जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे परिवार वाले जिससे भी कहेंगे उससे ही जांच करवा ली जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय साथियों से यह कहना चाहता हूँ कि बार बार इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। वहां पर मायावती जी का भी दौरा हुआ है। सोनिया जी भी वहां पर गई हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब बिहार के अंदर रणबीर सेना 15-15 दलितों को लाईन में खड़ा करके गोलियों से उड़ा देती है तब तो सोनिया जी वहां पर कभी नहीं गईं। (विघ्न) में सोनिया जी की बात कर रहा हूँ। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : सैनी जी, आप अपनी सीट पर बैठें। रामबीर सिंह जी, आप वाईड-अप करें। (गोर एवं व्यवधान)

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हुड्डा साहब, राव धर्मपाल जी और चौधरी भजल लाल जी आप रिकार्ड उठाकर देख लें। हुड्डा जी आप पार्लियामेंट में भी रहे हैं और अब यहां

पर हैं, भजन लाल जी, आप पार्लियामेंट में भी रहे हैं और अब विधानसभा में हैं। हम भी इस बात को मानते हैं कि जो सदस्य यहां पर नहीं आ सकता है उसका नाम नहीं लेना चाहिए। (विघ्न) राव धर्मपाल जी ने अब यहां पर कह दिया है कि सोनिया जी वहां पर गई थी। (विघ्न) सदन में आपने कहा है और अब आप उसको एक्सपंज क्यों करवा रहे हो। (विघ्न)

श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला हमारे प्रदेश का था सोनिया जी यहां आयी थी जबकि वे बिहार की चर्चा कर रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंह : हरियाणा आए तो ठीक और अगर वे बिहार न जाएं तो ठीक। वाह हुड्डा साहब वाह। (गोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह) : डिप्टी स्पीकर सर, बात यह नहीं है बल्कि इनको तकलीफ यह है कि बिहार की गवर्नमेंट को तो कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है इसलिए लोक सभा की लीडर ऑफ अपोजी इन हरियाणा तो आ गई लेकिन वे वहां पर नहीं जाती चाहे वहां कुछ भी होता रहे क्योंकि वहां की गवर्नमेंट को इनकी पार्टी सपोर्ट कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपने जो यहां पर सोनिया जी का नाम दर्ज करवाया है वह किसी बैड सेंस में नहीं था। इनकी भी ऐसी कोई बात नहीं है। रामबीर जी आप बोलिये।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक धर्म परिवर्तन की बात है तो इस बारे में बहुत प्रचारित किया गया कि जिन परिवारों के लोगों की हत्याएं हुई हैं उनके परिवारों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। न उनके परिवार धर्म परिवर्तन में शामिल हैं और न ही आज तक किसी ने धर्म परिवर्तन किया है। उन्होंने तो धर्म परिवर्तन करने की बात का खण्डन भी किया है और कहा है कि यह एक धिनौना प्रयास है हम हिन्दू हैं और हिन्दू ही रहेंगे। धर्म परिवर्तन करने का कोई प्रयास उनकी तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन हम सबको भी इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि इस तरह की हत्याएं ओ न हों और इस पर राजनैतिक रोटियां सेकने से हमको बाज आना चाहिए। यही मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रामबीर जी, अब आप वाइंड अप करे।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह कैसीनो के बारे में कल भी और आज भी काफी हो हल्ला किया गया। हमारे विपक्ष के नेता ने कहा कि हरियाणा श्री कृष्ण जी की धरती है इसलिए कैसीनो हरियाणा में न खोला जाए। उपाध्यक्ष महोदय, यह हम भी मानते हैं कि हरियाणा श्री कृष्ण जी की धरती है लेकिन इनको इस बात का भी ध्यान होगा कि उसी महाभारत का जब प्रकरण आता है तो उसमें द्युत कीड़ा का प्रकरण भी आता है। पांडवों ने भी इसको खेला था और उस समय कृष्ण जी ने पांडवों का साथ दिया था।

श्री भूपेंद्र हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सर, कृष्ण जी का नाम मैने जिस सेंस में कहा था उसका ये दूसरी तरह से ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठिए।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक विपक्ष के नेता ने सामाजिक परिवे । बिगड़ने की बात कही मैं इनको बताना चाहता हूं कि जितने भी बड़े बड़े फाइव स्टार होटल्ज हैं उनमें कोई भी माध्यम वर्ग का व्यक्ति नहीं जाता है। विधान सभा के 90 सदस्य हैं लेकिन इनमें से भी एक या दो को छोड़कर कोई भी फाइव स्टार होटलों में नहीं जाता है क्योंकि हमारी क्षमता ही नहीं है। लेकिन जिनके पास धन है अगर उनसे थोड़ा सा धन ले लिया जाए और वह धन गरीबों में बांट दिया जाए तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। यह धन समाज कल्याण के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं पर और शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। जो फाइव स्टार होटल्ज में होता है उस पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। अगर सरकार के पास धन होगा संसाधन होंगे तो ही वह विकास के कार्या करवा सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जितने फाइव स्टार होस्पिटल आजकल खुले हुए हैं जैसे अपोलो है, बत्तरा है या एस्कोर्ट है, इनमें कौन लोग जाते हैं इनमें आम आदमी तो नहीं जाता लेकिन बंद करने की किसी ने कभी बात नहीं की। इन होस्पिटल्ज में पांच-पांच, दस-दस लाख रुपये के बिल्ज बनते हैं। उनको तो कोई नहीं

पूछता। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। हमारा जो कुनबा है वह एक संयुक्त परिवार है इसलिए इसमें फूट डालने का प्रयास इनको नहीं करना चाहिए। मैं एक बात और अब य कहना चाहूँगा। एक परिवार था वह कमाई के लिए कहीं दूसरे स्थान पर जाने लगा। जंगल में से जब वह गुजर रहा था तो रात काटले के लिए उस परिवार ने पीपल के पेड़ के नीचे भारण ली। उस पीपल के पेड़ के अंदर एक प्रेत था। वह कहने लगा कि मैं खाऊंगा मैं प्रेत हूँ। परिवार एकजुट था, बोला लइयो रे छोरा रस्सी लाइयो, किसी ने सोटा उठाया किसी ने रस्सा उठाया और प्रेत को बांधने का प्रयास किया तो उस प्रेत ने कहा कि ये जो जमीन है इसके नीचे खजाना है वह खजाना निकाल लो और मुझे छोड़ दो। उस परिवार वालों ने छोड़ दिया और खजाना लेकर परिवार का पालन-पोषण बढ़िया तरीके से होने लगा। कुछ दिन बाद मोहल्ले वालों ने पूछा भई तुम लोग आजकल बड़े मजे में रह रहे हो, हमें भी कोई तरीका बताओ तो वे बोले कि तुम उस पीपल के पेड़ पर चले जाओ। भजल लाल जी मैं आपसे व हुड्डा साहब से कह राह हूँ। वह परिवार भजन लाल जी हुड्डा जी का था उन्होंने जाकर भूत को देखकर हुड्डा साहब को कहा कि रस्सी ले आओ तो हुड्डा साहब ने कहा कि अपने आप उड़ा ले मैं तेरा नौकर थोड़ी हूँ। प्रेत ने इन सारों को बांध लिया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा परिवार संयुक्त है हम अच्छे से अच्छे प्रेत को भी बांध लेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : यह जो बातें रामबीर सिंह ने कहीं हैं ये ही फूट की निगानी हैं अगर फूट न होती तो यह बस कहने की जरूरत ही नहीं थी।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हुड्डा जी, फूट की जगह यह पूछ लो कि प्रेत कौन सा था।

श्री उपाध्यक्ष : अब कैप्टन अजय सिंह बोलेंगे। आपकी पार्टी 32 मिनट तक बोल चुकी है 9 मिनट आपके पास बाकी हैं समय सीमा का ध्यान रखें।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रेवाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हमारी पार्टी नो-कांफीडेंस मोशन लेकर आई है उसका मुख्य कारण यह है कि विपक्ष चाहे ऐडजर्नमेंट मोशन लेकर आया या कालिंग अटेंशन मोशन लेकर आया। चाहे वह ला एण्ड आर्डर के ऊपर था, चाहे सूखे के ऊपर था, (विधन) चाहे वह पानी के बारे में था वह हमारे रिजैक्ट कर दिये। हम एक कालअटेंशन मोशन रिट्रिचमेंट ऑफ इम्प्लौयीज के बारे में लेकर आए थे वह भी रिजैक्ट कर दी। खासतौर पर जो दुलीना कांड हुआ, जिसकी वजह से पांच दलित जिस तरीके से मारे गए वह हरियाणा में एक इतिहास बना है। आप जानते हैं कि वह इस बात को लेकर हमारी पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी स्वयं वहां गई 15 तारीख को यह हादसा हुआ और 17 तारीख को खुद मुख्यमंत्री जी दमदमा गांव

में गए, वहां से होकर गए लेकिन वे उन परिवारों की सांत्वना देने नहीं गए जबकि दिल्ली से हमारी अध्यक्ष वहां पहुंची।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह बताएं कि उनका संस्कार कब हुआ था।

कैप्टन अजय सिंह यादव : यह हादसा 15 तारीख का है पर मुख्यमंत्री जी जब वहां से निकल रहे थे तो जा सकते थे उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि वहां डी.एस.पी. मौजूद था, तहसीलदार मौजूद था, सारा प्रशासन वहां मौजूद था और प्रशासन की मौजूदगी में वे लोग मारे गए। मैं यह नहीं कहता कि यह साजिश थी लेकिन जिस प्रकार से पुलिस वहां कुछ नहीं कर पाई तो क्या अगर वहां पर कोई वी.आई.पी. या मुख्यमंत्री जी होते तो क्या पुलिस भीड़ पर गोली नहीं चलाती। वे लोग वहां मारे गए और यह इसलिए हुआ कि वे गरीब आदमी थे। पुलिस को इस बारे में कोई एक्शन लेना चाहिए था, पूछना चाहिए था। (गौर एवं व्यवधान) उनको बचाना चाहिए था। जो ऐलीमेंट्स इस तरह के काम करें उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए मैं यह कहता हूँ कि इनकी पार्टी में 15-16 विधायक ऐसे हैं जो रिजर्व कांस्टीच्यूएंसी में हैं मुझे लगता है कि उनकी आत्मा जागेगी, क्योंकि इनका बड़ा मामला हो गया। नो कांफीडेंस मोशन इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर लेकर हम आए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह मानवता की हत्या है। मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इस मामले की इन्क्वायरी सी.बी.आई. से कराएं। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो

धर्म के ठेकेदार हैं और वे प्रचारित कर रहे हैं और वे कहते हैं कि देखते हैं कि कैसी दोशियों के खिलाफ ऐव इन होता है ? हालात यहां तक हो गए हैं कि अखबारों में धर्म परिवर्तन की खबरें आने लग गई हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अजय सिंह जी, आप जिम्मेवार आदमी हैं, आप बतायें कि धर्म परिवर्तन से बजे कुछ निकला क्या ? मैं भी गुड़गांव से हूं, ये भी हैं । यह तो उसकी पोल खुली है यह तो उस मामले की पोल असलियत में उजागर हुई है । 12.00

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले की सी.बी.आई. से इंकवायरी की जरूरत है । वहां पर मुआवजा पांच लाख की बजाये दस लाख रुपये मिलना चाहिये । दूसरा गऊक पी की एफ.आई.आर. को सकैप किया जाये और वह एफ.आई.आर. वापिस की जाये और जो मौजूदा सैव इन 228(a) है उसके तहत कल जो हमारा एडजर्नमेंट मो इन डिसअलाऊ किया गया वह केवल मीडिया और प्रैस के लिए था । बकायदा मैं यह कहना चाहूंगा कि जा `हत्या हुई है, मैं और राव नरेंद्र सिंह उन लड़कों के गांव गये थे और उन लोगों ने हमें कहा था कि आप यह मामला विधान सभा में उठाना । मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि आर्टीकल 212 के तहत जुडी ियारी को कोई अधिकार नहीं है कि वह असैम्बली की बात पर सुपरवाईजरी पावर इस्तेमाल करे । जो बात असैम्बली में डिसकस होती है वह जुडी ियारी से बाहर है । वह एडजर्नमेंट मो इन डिसअलाऊ किया गया उसके

फलस्वरूप ही यह नो कांफीडें । मो । न यहां लाना पड़ा दूसरा कैसीनो का मामला है । खासतौर से इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कैसीनो बिल कल पे । किया गया लेकिन इससे पहले 28 सितम्बरको एम.ओ.डी. मिस्टर संधू और दूसरे स्टाफ के साथ मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में एम.ओ.यू. साईन हुआ था । जबकि कोई फोरन फर्म यहां पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती । आप इसको गेम एक्टिविटी कहते हैं, गैम्बलिंग एक्टिविटी कहते हैं । जिस प्रकार महाभारत में द्रोपदी का चीर हरण हुआ था वह जुए के कारण ही हुआ था उसी प्रकार से हरियाणा में गैम्बलिंग के कारण चीर हरण होगा और इससे हरियाणा की जो पुरानी संस्कृति है वह खत्म हो जायेगी । मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इससे हरियाणा राज्य का विना । हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप वाईड अप कीजिए । (विघ्न)

कैप्टन अजय यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह सै । न पैडी के बारे में बुलाया गया था । जबकि असल में यह सै । न कैसीनो बिल पास करने के लिए बुलाया गया था । यह कैसीनो बिल पास करना था जिसमें कहा गया है कि इससे फण्ड जुटायेगे और उस फण्ड से गरीब परिवारों का पालन पोशण होगा । उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सूखे के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : आप वाईड अप कीजिए। इस बारे में
(विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां किसान अपनी बुआई नहीं कर पाये और आज भी हमारे दक्षिणी हरियाणा में यह हालात है कि वहां पर खारा पानी है। हमारे हिस्से के पानी का बंटवारा सही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठिये आपका समय समाप्त हो गया है। अब श्री बिनालाल सैनी जी बोलेंगे।

डा० बिनालाल सैनी (जगाधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा जो अविवास का प्रस्ताव लाया गया है मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 'सरकार आपके द्वारा' प्रोग्राम चलाया गया है उसके दो चरण पूरे हो चुके हैं और तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि आज प्रदेश के अंदर जो विकास के काम हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इतने काम कभी भी सरकार के समय में नहीं हुए, जितने काम इस सरकार ने कराये हैं। आज किसी भी गांव में हम जाकर देखें तो हर एक गांव में कहीं गंदे पानी की निकासी के लिए नाले बनाए जा रहे हैं, कहीं हरिजन चौपालों का निर्माण हो रहा है और कहीं स्कूलों के कमरों पर प्लस्टर किया जा रहा है। ये सभी काम मुख्यमंत्री जी की सोच के मुताबिक सारे हरियाणा प्रदेश में हो

रहे हैं। लेकिन दुलीना के अंदर जो कांड हुआ, उससे भार्मनाक घटना कोई और हो नहीं सकती, इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि मरने वालों के परिवार वाले किसी भी एजैन्सी से चाहे सी.बी.आई. से या किसी और एजैन्सी से इस कांड की जांच कराना चाहे तो करवा लें और उन्होंने यह भी कहा कि इस कांड में जो भी दोशी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इन्होंने यह भी कहा कि इसमें जो दोशी पाया जाएगा, चाहे वह कितना बड़ा आदमी हो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा लेकिन जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वह हरियाणा प्रदेश में आई। इस बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस दिन रामविलास जी वहां गए, वहां के लोगों ने डिमांड की थी और कहा था कि अगर हरियाणा प्रदेश में हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के पास चलकर जाएंगे और उनकी मांग पर ही मायावती जी हरियाणा में आई। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, मैं आज मायावती जी का आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने हरियाणा के दलित समाज के पीड़ित लोगों को सांत्वना दी और मौके पर ही मृतक के परिवार वालों को 3-3 लाख रुपये देकर गई। स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे कि वे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहां आई तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि वे 3-3 लाख रुपये देकर गई हैं। (तोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, कैसीनो बिल के बारे में मैं सरकार से पूरी तरह से सहमत हूँ। (इस समय मेजें थपथपाई गईं) क्योंकि दिल्ली के जो भी अमीर लोग हैं वे वहां जुआ खेलने के लिए जाएंगे और इससे हरियाणा प्रदेश की आमदनी होगी और वह पैसा समाज कल्याण के लिए, सड़कें बनाने के लिए तथा दूसरे काम काजों के लिए खर्च किया जाएगा। इसलिए कैसीनो का जो प्रस्ताव लाया गया है इसके लिए मैं सरकार के साथ हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि दुलीना कांड की जांच सी. बी.आई. से करवाई जाए और जो भी दोषी पाया जाए उसको पोटा के तहत हिरासत में लिया जाए और अध्यक्ष महोदय, इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री मांगेराम गुप्ता (जींद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारी तरफ से जो नो-काँफ़ीडेंस मोशन लाया गया है मैं उस पर होने वाली चर्चा में भागमिल होने के लिए आपकी इजाजत से खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो भी विधायक जनता के द्वारा चुने जाते हैं उनमें मैजोरिटी वाले विधायक सत्ता पक्ष में बैठते हैं और माइनोरिटी वाले विधायक विरोधी पक्ष में बैठते हैं। विरोधी पक्ष के विधायकों को बड़ी इंतजार रहती है कि सरकार किस वक्त विधान सभा का सेशन बुलाए और उसमें हम अपने हल्के के लोगों की, सरकार की चाहे वह लॉ एण्ड आर्डर की समस्या हो या किसान की, मजदूरी की, मजदूर की, कर्मचारी की या फिर व्यापारी की

तकलीफ हो वह आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में लाएं ताकि सरकार उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करे। इसमें कोई राजनीतिक रोटियां संकने वाली बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कल ये कह रहे थे कि सूखे के कारण हुए नुकसान की वजह से सरकार ने जीरी पर 20 रुपये क्विंटल किसानों को बोनस दिलाने का प्रयास किया है और यह भी कहा कि किसानों की 85 प्रति तत जीरी सरकार ने परचेज की है। मेरी जींद मंडी में 50 सालों से आढ़त की दुकान है और वहां पर किसानों की जीरी खूब बिकने के लिए आती है। तो इस तरह में मुख्यमंत्री महोदय की बात से सहमत हूं कि 85 प्रति तत पी. आर. जीरी खरीदी गई। मेरी जींद की मंडी में तो 85 प्रति तत की बजाय 95 प्रति तत पी.आर. जीरी की खरीद हुई और उस पर 20 प्रति तत बोनस दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, किसान किसी के कहने से जीरी नहीं बोता और न ही किसी के कहने से कोई पार्टिकुलर वैरायटी बोता है। किसान अपनी मर्जी से फसल बोता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में जीरी की पी.आर.-6 वैरायटी की बिजाई 10-15 प्रति तत से ज्यादा नहीं होती और 10-15 प्रति तत ही जीरी की अच्छी क्वालिटी होती है। इस क्वालिटी को व्यापारी 580 से 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदने के लिए तैयार होते हैं इसलिए उस पर बोनस देकर सरकार ने कोई बहुत बड़ा अहसान नहीं किया। लेकिन सवाल यह है कि सूखे की मार हर वैररायटी की जीरी पर पड़ी है। चाहे वह जीरी बासमती है, चाहे जीरी डुप्लीकेट बासमती है, चाहे जीरी सरबती है, जिसे

देसी भाशा में मुछल कहा जाता है जो कि 80 से 85 प्रति टा तक बोई जाती है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सूखे का असर जीरी की हर फसल पर पड़ा है इसलिए 20 प्रति टा बोनस सभी प्रकार की जीरी की फसलों को मिलना चाहिए और आपके माध्यम से सरकार इस बारे जवाब दे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्पोर्ट प्राईस का संबंध है इस बारे मैं कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट प्राईस तय किया जाता है यह तब किया जाता है जब व्यापारी फसल न खरीदें और सरकार फसल को न खरीदे और सरकार फसल को स्पोर्ट रेट पर खरीदे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब व्यापारी ही किसान की फसल को न खरीदे तब किसान को स्पोर्ट प्राईस दिया जाता है। लेकिन आज के दिन तो व्यापारी ही किसान की फसल खरीदने को तैयार है, इसमें सरकार का कोई बहुत बड़ा पार्टीसीपे टन नहीं है। (गोर एवं व्यवधान)

परिवहन मंत्री (अ गोक अरोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कल इस बात पर चर्चा के दौरान विपक्ष के साथियों ने कहा कि जीरी की खरीद में सरकार ने कोताही बरती है आकर आज मांगेराम गुप्ता जी कह रहे हैं कि सरकार ने 95 प्रति टा फसल स्पोर्ट प्राईस पर खरीदने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी वैरायटी का इन्होंने जिक्र किया है। मांगेराम गुप्ता जी मंत्री भी रहे हैं इनको अच्छी तरह से मालूम है कि जो फसल सरकार द्वारा खरीदी जाती है उस पर बोनस दिया जाता है और जो फसल

प्राइवेट व्यापारी खरीदते हैं उस पर बोनस नहीं दिया जाता। यदि पहले कभी भी व्यापारियों द्वारा खरीदी गई फसल पर बोनस दिया गया हो तो ये बतायें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सूखे की बात है, मैं मानता हूं कि सूखे के कारण किसानों का खर्च ज्यादा हुआ है लेकिन इस बार सरकार ने बिजली 24 घंटे देकर किसानों की फसल पकवाई और उसका नतीजा यह हुआ कि किसान की उपज भी अधिक हुई है।

श्री मांगेराम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि जो सरकार परचेज कर रही है उस पर ही बोनस दिया जाता है लेकिन मैं यह कह रहा था कि सूखे का असर तो सारी पैडी पर हुआ है और सभी फसलों को नुकसान हुआ है। उस बारे सरकार क्या सोच रही है तथा 20 प्रति 100 बोनस तो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जा रहा है न कि हरियाणा सरकार द्वारा दिया जा रहा है। (गोर एवं व्यवधान)

कृशि मंत्री (श्री जसविन्द्र सिंह संधू) : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे साथी को बताना चाहूंगा कि वह बोनस हमने ही दिलवाया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने अपने साथियों के दल बल के साथ जो डैमोकेसी में प्रजातंत्र का तरीका नहीं होना चाहिए था वह अपनाया है। वह आज के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाला स्टेट है उसके बाद हरियाणा का नाम आता है। उनको चाहिए तो यह था कि प्रधानमंत्री के साथ,

केन्द्र के दूसरे मंत्रियों के साथ समय प्राप्त करके टेबल पर बैठ करके उनके साथ विचार-विमर्श करते, किसानों की वकालत करते। विचार-विमर्श में उनको बताते कि ड्राउट की वजह से फार्मर्ज का पर-एकड़ ज्यादा खर्च आया था, उसकी दिक्कतें बताते। वहां कहने की बजाये कहा कि हम धरना देंगे और हम रोज रैलियां करेंगे। वे वहां से कुछ लेकर नहीं लौटे बल्कि खाली हाथ लौटे। मैं समझता हूं कि चौधरी देवीलाल जी के बाद आज हिन्दुस्तान में यदि किसानों की या कमेरे वर्ग की आवाज उठाने वाला कोई है, या जिससे आशा की उम्मीद की जा सकती है तो वह अकेले हरियाणा का मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला है। पीछे चाहे गेहूं का भाव बढ़ाने की बात थी तो उस वक्त मीडिया में इस बात का जब प्रसार हो रहा था कि गेहूं के भाव 60 रुपये प्रति क्विंटल कम होंगे तब भी हमारे मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी ने बड़े अच्छे ढंग से इस मसले को पंजाब के उस वक्त के मुख्यमंत्री सरकार प्रकाश सिंह बादल को और आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चन्द्र बाबू नायडू को साथ ले करके गेहूं का भाव 30 रुपये बढ़ाने की बात की और अब की बार भी किसानों का भाव बढ़ाने का श्रेय किसी को दिया जाता है तो वह केवल मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी को ही जाता है जिनकी वजह से पैडी का भाव 20 रुपये ज्यादा मिला है। (विघ्न)

श्री मांगेराम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार इस बात को रपीट नहीं करता। मैंने एक बात कह दी कि पी.आर.—6

हमारे सारे इलाके में सिर्फ 10-15 परसेंट है। मेरे भाई, आज चाहे जीरी का भाव 600 रुपये है, उसमें सरकार का कोई अहसान नहीं है। (विघ्न) मैंने नहीं कहा। मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपकी मार्फत करना चाहता हूँ। आप हाउस के कस्टोडियन हैं। आप जैसा आदेश करेंगे उसी तरह से हाउस चलता है और आप को ठीक ठीक करते हैं और प्रोसीजर एडोप्ट करे सही तरीके से हाउस को चलाते हैं। यह आपकी मेहरबानी है और आपको सही तरीके से ही हाउस चलाना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप भी कई बार बतौर मैम्बर हाउस में आये हैं। आज आप अध्यक्ष के रूप में हैं और इससे पहले मंत्री भी रहे हैं। हमने पहली बार सन् 1977 में इस विधान सभा का सदस्य बन करके दिखा है। आप ही बताएं कि क्या यह प्रोसीजर नहीं होना चाहिए कि जब भी कोई नया बिल आये तो उस बारे में पूरी डिटेल्ड सदस्यों के सामने सरकार की तरफ से रखी जानी चाहिए। खास कर जब ऐसे किसी नये बिल पर जिस पर सभी को एतराज हो। उस सूरत में हाउस में कोई ऐसा बिल आए तो उस बिल की नाराजगी को दूर करने के लिए बिल को पुटअप करते वक्त उस बिल के बारे में पूरी तरह से सदन में एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि सदस्यों की भांकाएं दूर हो सकें। जिस तरह से आज अपोजी इन बैंचिज की तरफ से नो कांफीडेंस मोशन चल रहा है उसकी ये वकालत कर रहे हैं। इसके साथ ही कैसीनों का बिल भी वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया। हाउस में बिल प्रस्तुत करने की इनकी ड्यूटी बनती है। What was the object. (विघ्न)

धीरपाल जी, मैं आपके बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। यह एक प्रोसीजर है कि जब बिल पे 1 हो तब पहले हाउस में मंत्री को उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, अब आप बैठिये।

श्री मांगेराम गुप्ता : मुख्यमंत्री जी आ गए इसलिए बैठा रहे हो क्या?

श्री अध्यक्ष : मुझे आपके गले की ज्यादा चिन्ता है इसलिए आप बैठ जाएं।

श्री मांगेराम गुप्ता : मैं तो बगैर आपकी इजाजत के बोलता ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपका टाईम पूरा हो चुका है इसलिए आप बैठ जाएं। मेरी आपके साथ हमदर्दी है।

श्री मांगेराम गुप्ता : चलो आप मेरे हमदर्द हैं। हमदर्द तो होना ही चाहिए। मुझे घना गला खोलने की जरूरत नहीं है। जब आप वक्त देते हैं तभी बोलता हूँ वैसे तो मैं बोलता ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप बैठिये। आपका गला सूख गया है।

श्री मांगेराम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हाउस में यह जो बिल कैसीनो का और गैम्बलिंग का आया है, ये बिल्कुल नये बिल थे।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप बैठिये। आपके बोलने का टाइम खत्म हो गया है और भी दूसरे मैम्बर ने बोलना है इसलिए आप बैठ जायें। (विघ्न)

श्री मांगेराम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी की कोई बात रिकार्ड न की जाये।

श्री मांगेराम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजजात से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। समय की बात को देखते हुए मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि जो यहां पर दलितों वाले काण्ड की दुलीना गांव के इ जू पर बहुत चर्चा हो गई है। मैं यह कहता हूँ और मेरी आत्मा की आवाज यह कहती है कि कोई भी सरकार हो चाहे आज की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार भी रही, चाहे बंसी लाल जी की रही किसी सरकार की भी अपने प्रदे में चाहे दलित हों, किसान हों, मजदूर हों किसी की हत्याएं करवाना, किसी को मरवाना नीयत नहीं हो सकती। अगर किसी सरकार की नीयत ऐसी है तो वह सरकार जनता के हित की सरकार नहीं हो सकती। मैं नहीं समझता कि जो हत्याएं हुई हैं इनमें सरकार का कोई हाथ हो। यह जो काण्ड हो गया है, ऐसे मामलों में सरकार

की जिम्मेदारी तो बनती ही है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी घटना घटित होती है जैसे कण्डेला में नौ किसानों के कत्ल हुए और दलितों के भी पांच कत्ल हुए, इन का कारण क्या रहा या कैसे यह सब हुआ, यह अलग बात है लेकिन सरकार इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। यह जिम्मेदारी सरकार की है कि वह इन्हें रोके। प्रदेश में जो हत्याएं हो रही हैं खासकर वह सरकार जो खुद को किसानों और मजदूरों की सरकार कहती है इस सरकार में सब से ज्यादा कत्ल हुए हैं तो वह किसानों के हुए हैं (गोर एवं व्यवधान) * * * * *

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है इसलिए अब आप बैठिए। (विघ्न) इनकी कोई बात अब रिकार्ड न करें। (विघ्न) गुप्ता जी, आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है इसलिए अब आप बैठें। (विघ्न)

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख और हर्ष के साथ यह कहना पड़ रहा है कि विपक्ष के साथियों ने भायद इसका टाईटल भी नहीं पढ़ा ओर बिल का अध्ययन भी नहीं किया। इसमें जो एक्ट का उल्लेख किया गया है उसमें पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867 जो स्टेट एप्लीकेबल है उसमें सुधार करके हरियाणा में गेमिंग किया है न कि गैम्बलिंग है। इससे हमारे टूरिज्म को परमो नान मिलेगा। इससे इम्पलॉयमेंट बढ़ सकेगी और इस से जो आमदनी होगी उस आमदनी से सरकार

डिवैल्पमेंट कार्य करेगी। विपक्ष द्वारा इसको जुआ कह-कह कर बदनाम करने की एक्सरसाईज की जा रही है।

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ अवि वास प्रस्ताव लाया गया है और उन्होंने इसमें अपना उद्दे य भी स्पष्ट किया है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, क्या इन्होंने जवाब भुरु कर दिया है या हमारे मैम्बर्ज को बोलने का समय मिलेगा ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मांगेराम जी का समय आना बाकी है 38 मिनट चार लोगों ने बोलने में लिये हैं और आपकी पार्टी के चालीस मिनट बनते थे (विघ्न) मांगेराम जी का टाईम अभी आना है। मैं समझता हूं कि दस मिनट से ज्यादा तो उनके भी हो गये होंगे इसलिए अब आप बैठिए। (विघ्न) नाम तो बकाया है लेकिन समय सीमा तो लांघ गए हैं (विघ्न) अब आप बैठिए। प्रोफैसर सम्पत सिंह जी, आप अपनी बात कहिए।

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जैसे मैंने कहा आज विपक्ष के साथी सरकार के खिलाफ अवि वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। इसमें इन्होंने अपना उद्दे य भी बताया है कि ये लोग यह प्रस्ताव इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये लोग कल अपनी बात नहीं कह पाए इसलिए आज अपनी बात कहना चाहते हैं वरना यह प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं थी। कल भी पूरा समय था और

बार-बार यह खुद कहते रहे कि आज हमारी तैयारी नहीं है इसलिए इस बिल को कल के लिए पोस्टपोन कर दें, यह कर दें, वह कर दें। तैयारी करके आना तो विपक्ष का काम है और ऐट रैंडम भी कोई ई पू आ जाता है इसलिए इनको हमें आ इस बात के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। इससे एक झलक नजर आती है कि इनकी कैसी जागरूकता है इस पर मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहता। अवि वास का प्रस्ताव आने के बाद हमें यह जरूर लगा कि रात को यह तैयारी कर के आएंगे क्योंकि कल कह रहे थे कि समय नहीं मिला था। पूरी रात इनके पास थी और उन्हें पूरा समय मिल गया था। जब अवि वास का प्रस्ताव पे आ किया गया तो उस बारे में आपने हाउस के अन्दर मुख्यमंत्री जी की राय जाननी चाही तो उन्होंने बड़ी फ़ाखदिली दिखाई। क्या आपको ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा जिस की अपनी सरकार के खिलाफ अवि वास प्रस्ताव आया हो और उन्होंने फ़ाखदिली से तुरंत उसको डिस्कान के लिए ऐडमिट कर लिया हो।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने यह एक हैल्दी ट्रेंडी न डाली है। स्पीकर सर, हम सुनना चाहते थे और हमें ऐसी उम्मीद थी कि कुछ अच्छे सुझाव भी आएंगे। मैं अपनी बात को कैसिनो तक ही सीमित रखूंगा बाकी की बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। रंगा साहब ने भी कुछ बात बता दी हैं। कैसिनो का जो एक्ट है वह कोई ज्यादा लम्बा एक्ट नहीं है। क्या उसको ये सारी रात में पढ़

नहीं सकते थे। आप पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े सीनियर मैम्बरज हैं। लेकिन आज यहां पर बोलते हुए किसी ने भी इसकी एक क्लॉज पर चर्चा तक नहीं की। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। केवल मात्र संस्कृति की बातें करके, कुरुक्षेत्र का उद्धाहरण देकर ही यहां पर बातें करी गई हैं। इन्होंने बोलते हुए कहा है कि इस तरह से घर-घर में, गांव-गांव में और मोहल्ले-मोहल्ले में जुए के अड्डे हो जाएंगे। मेरे से पहले बोलते हुए रावत साहब ने इस एक्ट के बारे में बता दिया है। स्पीकर सर, इसके टाईटल के बारे में बता दिया है कि यह गैम्बलिंग नहीं गेमिंग है। जहां तक कैसीनो की बात है तो स्पीकर सर, आप भी विदे गों में गए हैं, दूसरे साथी भी गए हैं और मुझे भी सबसे पहले 1995 में विदे गों में जाने का मौका मिला था। वहां पर मैंने भी कैसीनो देखे हैं। मैं teetotaller आदमी हूं, चाय तक नहीं पीता हूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी आदमी देखता है उसी से सीखता है। वहां पर जाकर हमने अनुभव किया कि कैसीनो के अंदर यह जो इन्होंने द्रौपदी का जिक्र किया है, चीरहरण का जिक्र किया है कि हमें महाभारत से सीखना चाहिए। कुरुक्षेत्र में महाभारत जुए के कारण हुआ था। तो मैं इन्हें यह बताना चाहूंगा कि इस तरह का जुआ कैसीनो में नहीं होता है। उस वक्त भातें लगाया करते थे। जुआ खेला करते थे लेकिन उस तरह का जुआ कैसीनों में नहीं होता है। कैसीनों के अंदर तो गेम्ज खेले जाते हैं। वहां पर जुआ नहीं खेला जाता है इसलिए स्पीकर सर, इनकी जो कैसीनो के बारे में धारणा है वह बिल्कुल

निराधार है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हम तो द्रौपदी वाली बात से सीख रहे हैं, संस्कृति वाली बात से सीख रहे हैं और मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि यह गैम्बलिंग नहीं गेमिंग है, गेम्ज खेलने के लिए हैं। जिस तरीके से ये कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। स्पीकर सर, इसी तरीके से MOU का जिक्र कर दिया। इन्होंने कहा कि मैंमोरेंडम ऑफ अन्डर स्टैंडिंग हमने पहले ही कर लिया है। कैसीनो अपने किसी आदमी को देना चाहते हैं, इसमें हमारा वैस्टीड इन्ट्रस्ट है। मेरे साथ ये वकील साथी और सरकार में भी काफी रहे हैं। मैंमोरेंडम ऑफ अण्डर स्टैंडिंग जो होता है that does not amount to giving license to anybody, इसमें कोई लाईसैंस नहीं है। कोई किसी को परमिट नहीं दिया जा रहा है; अगर आप ध्यान से चैप्टर 3 को पढ़ते तो आपको सारी बात समझ में आ जाती कि कैसीनो का लाईसैंस किसे मिलेगा। यह जो MOU सीईन किया गया है यह मैंमोरेंडम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग है किसी को लाईसैंस देने का नहीं है। इसमें जो पार्टी अप्लाई करेगी उस बारे में इसमें लिखा हुआ है कि - Any person who owns or runs a tourist complex without a casino; or has definite plans to set up a tourist complex and conclusively establishes that he has land, financial resources, capacity and experience to execute such plans; may make an application to the Commissioner in the form and manner prescribed accompanied with proof of payment of non-refundable application fee of five lakh rupees or such other amount as may be prescribed, in Government treasury, for grant of a license to him under this Act. यह एक्ट

पास होने के बाद जो भी एप्लीके इन कमि इनर इन्वाइट करेगा और उसके तहत जो भी एप्लीके इन देगा उसको 5 लाख रुपये फीस जमा करवानी पड़ेगी और यह एप्लीके इन फीस नॉन रिफंडेबल होगी। कैसीनो में जो पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा वहा एप्लीकैट का होगा और उसको 3 साल में उस इन्फ्रास्ट्रक्चर को पूरा करना होगा। उसके बाद ही वह कैसीनो को स्टार्ट करेगा। लाईसैंस तो वह ले लेगा लेकिन तब ही वह भुरू करेगा जब वह इन्फ्रास्ट्रक्चर को कम्पलीट कर लेगा और उसको यह 3 साल में ही पूरा करना पड़ेगा। आज सदन में हरियाणा के अन्दर एक स्पोट का जिक्र आया था कि वह स्पोट इसके काबिल है। उसका जिक्र करते वक्त चौधरी साहब की तरफ से इ तारा किया गया था लेकिन चौधरी साहब ने कहा कि नहीं वह तो ढाबा है। चलो कोई बात नहीं अगर वह ढाबा है और अगर वह सभी कंडि ंज को पूरा करेगा तो उसको लाईसैंस मिलेगा। स्पीकर सर, जो लाईसैंस लेना चाहता है और अगर वह कंडि ंज को पूरा करता है चाहे वह 5 स्टार होटल है या कुछ और है उसको लाईसैंस मिलेगा। स्पीकर सर, वह लाईसैंस गेमिंग का लाईसैंस होगा। स्पीकर सर, जहां पर इन्टरटेनमेंट सैन्टर है, जहां पर एम्यूजमेंट पार्क होग, क्लब होगा और जहां पर रहने की जगह होगी वहीं पर लाईसैंस दिया जाएगा। स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी कृष्ण पाल जी ने एक बात का जिक्र कर दिया। वे यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, यह बड़े अफसोस की बात है। उन्होंने अपनी बात कहते हुए नाम लिया है कि बी.जे.पी. ऑन लाईन लॉटरी और कैसीनो के

बिल्कुल खिलाफ है। स्पीकर सर, हमारे माननीय गोयल जी केन्द्र की सरकार में मिनिस्टर हैं। वे बड़े ही सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। उनके लिए सोशल रिफार्मर्स कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। वे मंत्री हैं और उन्होंने सोशल रिफार्मर्स का कार्यक्रम चला रखा है। जहां तक गवर्नमेंट और पार्टी का सवाल है तो बी.जे.पी. ने सबसे ज्यादा कैसीनो को चलाने की पहल की है। गोआ के अंदर आलरेडी कैसिनोज हैं और ये कहते हैं कि हिन्दुस्तान में कैसीनों नहीं हैं। आप जुआ घर उनको कह सकते हैं जो स्माल मोटल के अंदर हैं और किती वगैरह के अंदर चल रहे हैं। गोवा में जहां पर ढाबा चल रहा है जहां पर खाना परोसा जाता है, वहां पर कैसीनो हैं और बी.जे.पी. की ही सरकार वहां है, इनके मुख्यमंत्री वहां हैं, इनकी पार्टी वहां है।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब, आप बैठिये। जो आपने पहले बात कही है, उसी का अब रिप्लाइ आया है इसलिए आप बैठिए।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : स्पीकर सर, आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब, आप यह बताइये कि क्या अपने यह बात नहीं कही है?

श्री कृष्णपाल गुर्जर : स्पीकर साहब, मैने यह कहा है लेकिन आप मेरी बात सुनिये ।

श्री अध्यक्ष : अगर आपने यह बात कही है तो अब आप बैठ जाएं ।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : स्पीकर सर, इन्होंने गोवा का नाम लिया है गोवा का उद्घाहरण दिया है इसलिए मैं इस बारे में कहना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : जब आप पहले इस बारे में बोल रहे थे तो मैं सदन में प्रजेंट था इसलिए अब आप बैठें । उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है । (गोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्णपाल गुर्जर : स्पीकर साहब, जो इन्होंने गोवा के बारे में कहा है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं ।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह असैम्बली के रिकार्ड में है । कृष्णपाल गुर्जर जी ने जो कुछ कहा उस पर फाईनैस मिनिस्टर ने जवाब दिया है । हमारी समझ में नहीं आता कि अब ये क्या कहना चाह रहे हैं । ठीक है कि हम किसी हिसाब से चल रहे हैं । बी.जे.पी. हमारी सहयोगी समर्थक पार्टी है लेकिन कभी कभी कुनबे में कोई गलत आदमी भी पैदा हो जाता है लेकिन उसका इलाज भी हिसाब से किया जाएगा ।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : स्पीकर साहब, हम सहयोगी तो हो सकते हैं लेकिन इनके बन्धुआ नहीं हैं।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, गुर्जर साहब, थोड़ा सा स्पष्ट कर दें और एक लाईन में बता दें कि उन्होंने अवि वास प्रस्ताव का समर्थन किया है या विरोध किया है। ये खड़े होकर एक लाईन में बता दें।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : हमने विरोध किया है लेकिन समय आएगा तो मैं इसका जवाब दूंगा। स्पीकर साहब, मैं गोवा के बारे में कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब, आप बैठ जाएं। जो अवि वास प्रस्ताव आया है उसका आपने विरोध किया है। आपकी बात आ चुकी है इसलिए आप बैठ जाएं।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : स्पीकर सर, वहां पर कैसीनो कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में भुरु हुआ था। बी.जे.पी. ने इसको भुरु नहीं किया था। (गोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं यही चाहता था। I am very thankful to Mr. Krishan Pal for updating my knowledge. ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भुरु किया था। हमारे सामने सारे कांग्रेसी बैठे हैं लेकिन ये ही आज कैसीनों का विरोध कर रहे हैं जबकि वहां पर कांग्रेस पार्टी ने ही कैसीनों भुरु किया था। स्पीकर साहब, चलो मान लिया कि कांग्रेस पार्टी ने भुरु किया था लेकिन

अगर बुराई थी तो बी.जे.पी. के वहां मुख्यमंत्री हैं वे काकायदा उसको बंद कर सकते थे। (तोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, आज ये दोनों पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं जबकि इन दोनों पार्टियों ने इसको भुरू किया और इसको प्रमोट किया। हम तो इसी को फोलो कर रहे हैं और अच्छी बात को फोलो करना चाहिए। स्पीकर सर, हम इसकी कमियों को दुरूस्त करके, ठीक करके, करैक्ट करके सही करेंगे। स्पीकर सर, जैसा मैंने कहा कि वहां तो एक ढाबे के अंदर, एक मोटल के अंदर कैसीनो चल रहा है। आपने भी देखा होगा कि वहां पर एक लेक है लेक में फेरी लगाते हैं पहले वहां पर म्यूजिक चलाते हैं, सौंग चलाते हैं जिसका वहां पर टिकट लगता है लेकिन बाद में उसमें उन्होंने कैसीनो चलाना भी भुरू कर दिया है। यह सब कांग्रेस पार्टी ने किया था और उसको प्रमोट बी.जे.पी. गवर्नमेंट ने किया है। स्पीकर सर, इसमें जो कमियां हैं उनको हम दूर करने के लिए यह ऐक्ट लेकर आए हैं। हमने इनको इस ऐक्ट के माध्यम से दूर कर दिया है। जहां तक नॉन कंवेशनल रिसोर्सिज जुटाने की बात है, खुद मांगेराम जी जब मंत्री थे तो उस वक्त ये लाटरी के बारे में कहते थे कि अगर इसको बंद कर दिया तो स्टेट के रिसोर्सिज खत्म हो जाएंगे। ये कहते थे कि स्टेट को रिसोर्सिज की जरूरत है। आज हम भी यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप वह पैसा गरीब आदमी पर, कंज्यूमर पर, कस्टमर पर खर्च कर सकते हैं। जहां तक कैसीनों की बात है यह इतनी बड़ी ऐस्टेबलि गमेंट के साथ, इतनी बड़ी पूंजी के साथ लगेगा। उससे

एक तो इन्वैस्टमेंट आएगी और दूसरे अंदर ऐक्टिविटीज बेढ़ेगी, टूरिस्ट बढ़ेंगे और ज्यादा बिजनैस आएगा। जिनको कैसीनों खेलने की आदत है, ऐसे कई टूरिस्ट कैसीनों खेलने के लिए काठमांडू जाते हैं। कांग्रेस कल्चर में भी कई ऐसे लोग हैं जो इसी परप्ज के लिए काठमांडू जाते थे उनको तो थैंकफुल होना चाहिए कि उनको यह फैंसिलिटी हम दिल्ली के नजदीक ही मुहैया करवाने जा रहे हैं ताकि ऐसे पूंजीपति लोग जो भाँकिया तौर पर यह गेम खेलते हैं। स्पीकर सर, आप तो हैं कि पूंजीपति लोग हजारों लाखों रुपया फैंक देते हैं अगर उसकी बजाये वे गेम्स खेलेंगे तो उससे आमदनी होती है और उस आमदनी से सो ाल वैल्फेयर के काम हो सकेंगे, ऐजूके ान और अदर एरियाज में और समाज में जुड़ी हुई उन चीजों पर पैसा सरकार खर्च कर सकती है। आने वाले समय में हर स्टेट को नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सिज बढ़ाने पड़ेंगे। यह तो वक्त का तकाजा है यह हर स्टेट को देर सबेर करना ही पड़ेगा और इससे गरीब आदमियों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। यहां तक कह दिया गया कि गरीब आदमी की जेब से लॉटरी के जरिए पैसा निकाल रहे हैं और अमीर आदमी से कैसीनों के जरिए पैसा निकालेंगे। अध्यक्ष महोदय, अमीर की जेब से पैसा निकले तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। उसको तो पैसा खर्च करना है अगर कोई जगह नहीं मिलेगी तो वह नाली में भी बगाएगा। नहीं तो इललीगल ऐक्टिविटीज में खर्च करेगा इससे तो अच्छा है कि वह लीगल ऐक्टिविटीज में पैसा खर्च करे और उससे स्टेट को आमदनी भी होगी। आज भी पैसे वाले लोग

क्लबों में फाइव स्टार होटल्स में जाते हैं और गेमिंग करते हैं लेकिन उससे स्टेट गवर्नमेंट और सैंटर वगर्नमेंट को एक पैसा भी नहीं आता है। लीगल ऐक्टिविटीज करने का हम उनको अधिकार देंगे तो उससे पैसा भी आएगा। प्रोहिबिशन चौधरी बंसीलाल जी ने लागू किया था, भाराब बंदी की थी। कौन कहता है कि भाराब अच्छी चीज है। यह एक बहुत बड़ी बुराई है लेकिन क्या किसी स्टेट में भाराब बंदी को कामयाबी मिली है एक तरफ तो कामयाबी नहीं मिली दूसरी तरफ सारी स्टेट का बेड़ा गर्क कर दिया। बिजली खत्म, पानी खत्म हो गया, सड़कें टूट गईं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया और दूसरी तरफ लाखों नौजवानों को प्रोहिबिशन की वजह से जेलों में डाल दिया था। ये नेचर है, ये आदत है इसको आप सोशल रिफॉर्मर्स से तो कर सकते हैं लेकिन कानून से नहीं कर सकते हैं। कैसीनों से इल्लिगल ऐक्टिविटीज रुकेंगी और लीगल ऐक्टिविटीज में गेमिंग से पैसा आएगा। इसमें केवल मात्र धनी आदमी आएंगे, धनी कौन है जो हवाई जहाज में चलने वाले हैं। बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वे ऐसी कल्चर के लोग हैं, कांग्रेस में भी ऐसी कल्चर के लोग हैं जो जाकर क्लबों में खेलते हैं, उनको हम खेलने के लिए अच्छी जगह दे रहे हैं। इसी प्रकार से सदन में लॉटरी का जिक्र कर दिया गया। चौधरी भजन लाल जी आप बैठे हैं, लीडर ऑफ दि अपोजीशन बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी है, कांग्रेस की है। मध्यप्रदेश में सरकार किसकी है कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है उन्होंने वहां बाकायदा

ऑनलाइन लॉटरी भुरु की है पंजाब के लिए तो बड़ी भोमफुल बात है कि इतना बड़ा उन्होंने स्कैंडल बना कर रखा था और करोड़ों रुपया हजम कर गए थे। हम यह चीज नहीं करने जा रहे हैं। आपकी सरकार तो इसको फुलप्रुफ करने जा रही है। उसके अंदर सिक्योरिटी और इं योरेंस का हर चीज का बंदोबस्त किया जा रहा है और पुख्ता बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि आपकी स्टेट का रैवेन्यू इंटैक्ट रहे और बढ़े ताकि पैसा सो गल ऐक्टिविटीज में खर्च किया जा सके। अब मैं बी.जे.पी. रूल्ड स्टेट के बारे में बताना चाहता हूं। कृष्ण पाल गुर्जर जी ने कह दिया। हालांकि हमारे सहयोगी हैं अच्छी बात है। सबसे ज्यादा इंटैलीजेंट, टीचर, प्रोफैसर और काबिल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री धूमल साहब हैं, उन्होंने 3-6-2002 को मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। धूमल साहब ऐडवाइस दे रहे हैं और हम उनके सुजै ांस पर गौर भी कर रहे हैं। उनकी 3-6-2002 की चिट्ठी है उसमें लिखा है—

“Respected Chautala ji,

In 1999, the Government of Himachal Pradesh imposed a ban on the sale of lottery in the State. In the light of subsequent experiences, it has been decided to restart the lotteries of Himachal Pradesh. The Directorate of Lotteries for the State will be floating of lottery very shortly.

Before the imposition of the ban, there was a regional as well as national market of lotteries in the country. Lotteries of the States were freely sold on reciprocal basis. In order to run this business on sound financial footing, it will be essential to revive the regional as well as national market so that there is a level playing field. For this, Himachal Pradesh proposes to have reciprocal arrangement with your State.

I am to request you to permit the sale of lottery tickets of Himachal Pradesh in your State on reciprocal basis without imposition of State taxes. This will permit the trade on the basis of equity and equal opportunity.

On receiving your in-principle agreement on this my officers will interact with your officers to put up an institutionalized frame work in this regard.”

यह उनकी खुद की चिट्ठी है अब आप बतायें आप बिना तथ्य के बात करते हैं और असत्य बात करते हैं। स्पीकर सर, यह कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार बिल्कुल कानून और कायदे के हिसाब से चल रही है। एक बात मैं कहना चाहूंगा श्री बिसला जी ने ठीक फरमाया कि मॉरेक्को में कॅसीनों का जिक्र किया कि किस तरह से वहां पर बिना किसी टैक्स के स्टेट चल रही है। इसी तरह से स्वीटजरलैंड, लैक्जमबर्ग में बैंकिंग सिस्टम से उनकी मैक्सिमम इकोनोमी चल रही है। सारा पैसा उनका बैंकिंग सिस्टम के आधार पर आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने एक वी.डी.एस. स्कीम लागू की थी तो आपको याद होगा कि

बैंकों के अंदर कितना ज्यादा पैसा आया था। स्पीकर सर, आज देना का दुर्भाग्य है कि मुश्किल से पांच प्रतिशत पैसा ही बैंकों के अंदर होगा और 90-95 प्रतिशत पैसा लोगों के जेबों में घरों में रखा है। यह सिर्फ पोलिसी की वजह से है। यूरोपियन और अमरीकन कंट्रीज में लोग अपने आप अपना पैसा डिक्लेयर करते हैं और सरटैन अमाउंटस तक उन्हें अपना पैसा बताने की जरूरत नहीं होती और यही कारण है कि वहां के बैंकिंग सिस्टम आज मजबूत हैं और बैंक 24 घण्टे खुले रहते हैं और सारा पैसा बैंक में रहता है। स्पीकर सर, हमारे यहां आज 95 प्रतिशत पैसा लोगों की जेबों में या घरों में पड़ा है चाहे उनके पास 50 रुपये हों, चाहे लाख रुपये हों या चाहे करोड़ों रुपये हों। यहां तक कि पुराने कांग्रेस के मिनिस्टर रहे हैं उनके घरों में 4-4 करोड़ रुपये ट्रंक में मिले हैं। अगर वही पैसा बैंकों के अंदर जमा हो, हिन्दुस्तान का जितना पैसा बाहर है वह सारा पैसा अगर बैंकों के अंदर जमा हो जाये तो स्पीकर सर, जो ब्याज की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक जा रही हैं वही ब्याज की दर 3 और 4 तक आ सकती हैं और ऐसा होने से आम गरीब आदमी को फायदा हो सकता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आज रिफॉर्मस की जरूरत है। स्पीकर सर, अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, जहां तक कि एयर बेस का जिक्र किया गया, बिसला साहब ने कहा कि एयर बेस होना चाहिये। मैं सदन को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि दिल्ली इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक ही इन स्पोटस का आईडेंटिफाई किया जायेगा और वहां पर एयर बेस बनाया

जाएगा ताकि फार्नर्ज हवाई जहाज से आये और हवाई जहाज से ही चले जायें क्योंकि हवाई जहाज से बड़े आदमी ने ही आना है ट्रैक्टर वाला तो कोई कैसीनो खेलने आयेगा नहीं। स्पीकर सर, लॉस्ट में इन्होंने छंटनी का जिक्र किया कि इम्पलाईज की छंटनी हो रही है। कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि मध्यप्रदेश की तज्ज पर एक पैन स्ट्रॉक के आधार पर 30 प्रतिशत एक दम घटा दिया लेकिन हरियाणा सरकार ने इस तरह नहीं किया है। हरियाणा सरकार का मुलाजिम हरियाणा सरकार के रोल पर है, रिकार्ड पर है, जब से माननीय चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार आई है हरियाणा राज्य के एक सिंगल गवर्नमेंट इम्पलाई की छंटनी नहीं की है। ये लोग प्रचार करते हैं और केवल मात्र प्रचार करके राजीतिक स्वार्थ साधने की कोशिश करते हैं और मुलाजिमों को भड़काने की कोशिश करते हैं। इन्होंने मुलाजिमों को बहुत भड़काया लेकिन ये मुलाजिमों को भड़काने में कामयाब नहीं हुये क्योंकि मुख्यमंत्री लोगों के दरवाजे पर खुद जाते हैं। चौधरी देवीलाल वाला वक्त आ गया है कि सरकार के पास लोग न आयें बल्कि सरकार लोगों के दरवाजे पर जाये। मुख्यमंत्री खुद उनकी बात सुनते हैं और उनके ग्रीवेंसजि दूर करते हैं। मुलाजिमों ने भी सरकार से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने अखबारों में ब्यान दिया कि हमने मुख्यमंत्री जी से बात की है और हमारी बातचीत सफल रही है। हम उससे खुश हैं। अब इनके मरोड़े उठ रहे हैं। ये सारी की अनर्गल बातें हैं इसलिए इनको तो यह चाहिये कि सरकार की अच्छी नीतियों का, अच्छी सरकार का ये खुले दिल से

समर्थन करें और यही मैं कहना चाहता हूँ स्पीकर सर, धन्यवाद
(गोर)

वाक आउट

श्री जयप्रकाश तिलक : अध्यक्ष महोदय, *****

डा. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष *****

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठें, आपकी पार्टी के सभी लोग बोल चुके हैं। आपकी पार्टी को बोलने के लिए 50 मिनट मिल चुके हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय रिप्लाइ देंगे। (गोर एवं व्यवधान) बिना परमिशन जो भी सदस्य बोल रहे हैं उनका रिकार्ड न किया जाए।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी बिजनैस बकाया है। (गोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, ये अब वाक आउट करेंगे क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। (गोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय *****

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर जी, आप बोलना बंद करें वरना I warn you. Take your seat. धर्मबीर जी की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

डा. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे बताएं कि मेरा नाम उस लिस्ट में है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : मुझे हुड्डा साहब द्वारा जो लिस्ट दी गई है उसमें आपका नाम लास्ट में है और आपकी पार्टी के सदस्य 50 मिनट बोल चुके हैं। मेरे पास समय सीमा थी और मैंने आर्डर ऑफ प्रैफन्स के हिसाब से बुलाया है।

श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आर्डर ऑफ प्रैफन्स के हिसाब से नहीं बुलाया गया है लेकिन मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर ऑफ प्रैफन्स के हिसाब से ही बुलाया गया है।

डा. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाए। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठें।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करता हूँ।

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ कहने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर जी, आप बैठिए।

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर जी, आप अपनी सीट पर बैठिए।

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है इसलिए मैं भी एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करता हूँ।

(इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री जयप्रकाश बरवाला और श्री धर्मबीर सिंह एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट कर गए।)

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move-

That the proceedings on the items of business fixed for today, be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the proceedings on the items of business fixed for today, be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' Indefinitely.

The motion was carried.

एक आवाज : स्पीकर सर, यह मोशन अभी पास करने की क्या जरूरत थी।

श्री अध्यक्ष : सदन एक बजे समाप्त होना था इसलिए यह मोशन लाया गया है।

सदस्य का नाम लेना

डा. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय * * *

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब चेयर की अनुमति के बगैर जो कुछ बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। (गौर एवं व्यवधान)

डा. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाये । I warn you. You sit down, otherwise, I name you.”

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत्त सिंह) : स्पीकर सर, आपने इनको नेम किया है या वार्न यिका है What does it mean “I name you.”

श्री अध्यक्ष : अगर ये दोबारा खड़े होंगे तो इन्हें नेम कर दिया जाएगा । अभी इनको अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया गया है ।

डा. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * *
(गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I name you. डाक्टर साहब, प्लीज आप हाउस से बाहर जायें । यदि आप हाउस से अपने आप बाहर नहीं जायेंगे तो आपको फोरसीबली हाउस से बाहर निकाला जायेगा ।

डा. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय * * * (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, प्लीज आप हाउस से बाहर जायें । (गोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, डाक्टर साहब को कोई गलत फहमी हो गयी है, इन्होंने 30-10-2002 को मुझे एक लैटर लिखा उसमें इन्होंने 30-10-2002 की जगह तारीख 30-11-2002

लिख रखी है। यह लैटर मेरे पास है, आप भी देख सकते हैं।
(गोर)

(इस समय माननीय सदस्य डाक्टर रघुबीर सिंह कादियान सदन से बाहर चले गये।)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, क्लैरिकल गलती किसी से भी हो सकती है और यह एक क्लैरिकल गलती ही है। आपको इस तरह के भाब्द बोलने भाभा नहीं देते हैं। यदि दूसरे किसी सदस्य ने ये भाब्द कहे होते तो आप हाउस की कार्यवाही से इन्हें निकलवा देते। आपके कहे हुए गलत भाब्दों को हाउस से कौन निकलवायेगा।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, आप बैठिए। अब मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे।

**मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा
(पुनरारम्भ)**

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, विपक्षी दल के सदस्यों की तरफ से सरकार के खिलाफ अवि वास प्रस्ताव आया है। स्पीकर सर, मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा कि आपने बहुत समय, जजबात से सभी लोगों को अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। हम प्रजातंत्र में वि वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि यह प्रक्रिया कायम रहे अन्यथा इसका जो विकल्प है यह बहुत भयावह है और हम भुक्तभोगी लोग हैं। हर स्तर पर,

हर मौके पर हमने एक बात कही है कि हमारी सरकार जनतांत्रिक तरीके से चलते हुए नैतिक मूल्यों का भी सम्मान करेगी। पिछली दफा भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिवेगान के बुलाने की मांग की गई थी और हमने उसी वक्त अधिवेगान बुलाया था। कांग्रेसी दोस्तों के पास कुछ कहने को नहीं था। सरकार का करोड़ों रुपया बगैर किसी बात के खर्च कर दिया गया था। उस वक्त ये चर्चा किए बिना सदन से चले गए थे। अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता बने हैं। जब ये अपनी पार्टी के सरदार थे तब तो ये कहा करते थे कि सब कुछ मेरी ही मंशा से होगा। हालांकि प्रक्रिया के मुताबिक कही जब जनतांत्रिक तरीके से सरकार बनती है, बाकायदगी से सत्ता पक्ष होता है और विपक्ष होता है। जनतंत्र में हम यह मानकर चलते हैं कि जो विपक्ष का नेता होता है और जब कभी उसकी पार्टी सत्ता में आएगी तो वही मुख्यमंत्री बनता है। उस वक्त भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी इस बात को नहीं मान रहे थे। ये ज्यों ही विपक्ष के नेता बने तो इन्होंने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि यदि इनकी पार्टी मैजोरिटी में आएगी तो विपक्ष का नेता ही सरकार बनने के मौके पर मुख्यमंत्री होगा। आज ये विपक्ष के नेता हैं और मेरे सामने बैठे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैंने आपको बोलने के लिए अथोराइज्ड नहीं किया। ये अपने आप बोल रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : आपको अथोराइज्ड तो स्पीकर साहब ने किया है। (विघ्न) आज आप विपक्ष के नेता हैं,

बदकिस्मती से। विपक्ष का नेता सीजन्ड पोलिटीयन होना चाहिए। वह बहुत अनुभवी होना चाहिए। उसे रूल्ज रैगूलेटन का ज्ञान होना चाहिए। उसे तथ्यों पर आधारित बात करनी चाहिए। ये सारी बातें आपके भाषण में कहीं नहीं मिली, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वह ठीक कह रहा हूँ इसलिए आप आराम से बैठकर सुनें। हमने फिर उनकी बात को मान करके सै। इन बुलाया। इन्होंने बड़े बलंग बाग दावे किए। ये प्रैस में ब्यान देते हैं, ये पेपर टाइगर हैं। ये कहने लगे कि अब दिखाएंगे कि विपक्ष कैसा होता है। विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाती है वह बताएंगे। इन्होंने फिर मांग की कि हरियाणा प्रदेश में पैडी की खरीद को लेकर के अधिवे। इन बुलाया जाना चाहिए। 7 तारीख को इन्होंने डिमांड रखी। 9 तारीख को हमने कह दिया कि विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के लोग तारीख तय कर दें। हम उसी दिन सदन का सै। इन बुला लेते हैं। उन्होंने ब्यान दिया कि नहीं सदन का नेता यानि चीफ मिनिस्टर सै। इन की तारीख तय कर दें। विपक्ष के नेता 13:00 बजे ने अगले दिन ब्यान दिया कि पैडी तो खरीदी जा चुकी है इसलिए अब इस पर सै। इन बुलाने की आवश्यकता नहीं है, इससे साफ जाहिर है कि इनके पास कहने को कोई बात नहीं है अगर इनके पास कहने को कुछ होता तो ये लोग कहते। असैम्बली की प्रोसीडिंग्स से साफ जाहिर है कि इनके पास कहने को कोई बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। सदन में अपनी बात कहने को उनको पूरा मौका था और वह अपनी बात कह कर गए हैं क्या उन्होंने कोई ऐसा मुद्दा उठाया। वे जिन मुद्दों को लेकर

चले थे उनको टच ही नहीं किया। न सूखे को टच किया न पैडी को टच किया। जिक लॉ एण्ड आर्डर का किया लेकिन लॉ एण्ड ऑर्डर को भी टच न करके इन्होंने एक संदेदन गिल मुद्दे को तूल देने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, इस बात का स्पीश्टीकरण बहुत दफा हो चुका है लेकिन मैं सदन की जानकारी के लिए इसका उल्लेख करना चाहूंगा। हम सभी लोग इस बात को मानकर चल रहे हैं कि यह घटना जिस ढंग से भी घटित हुई बड़ी निन्दनीय थी। जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ। द गहरे का दिन था चौधरी भजन लाल जी को तो पता ही नहीं कि उस दिन क्या हुआ। उस दिन ये हरिद्वार में अपनी कोठी का उद्घाटन करके आए हैं। इन्होंने हरिद्वार में पिछले सारे पाप धोये हैं और अब कोठी का उद्घाटन करके यह कह के आए हैं कि बस मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। (विघ्न) ये तो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, *** **

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, प्लीज सिट डाउन। अभी आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है इसलिए अभी आप बैठिये (विघ्न) इनकी कोई भी बात रिकार्ड न करें। (विघ्न)

श्री ओमप्रकाश चौटाला : मैं तो भायद आपकी बात मान भी लूँ। जनता अगर मेरे खिलाफ हो जाए तो मैं तो चेयर छोड़ दूंगा लेकिन यह तो कोई न माने। मैं तो प्रजातंत्र में यकीन रखता हूँ। जनता ने यहां पर बैठने का अवसर दिया है वे हमारे

मतदाता हैं। जनता हमें कहेगी कि उधर बैठ जाओ तो उधर बैठ जाऊंगा जनता कहेगी कि घर बैठ जाओ तो मैं घर भी बैठ जाऊंगा। अक्वल तो ऐसा चान्स नहीं है। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। आप तो भायद दोबारा इस सदन में ही न आएंगे। (विघ्न) अक्वल तो आप इस सदन में नहीं आएंगे और अगर आ भी गए तो इनती मैजोरटी लेकर नहीं आओगे। परमात्मा न करे कि हमारे प्रदे 1 के भाग माड़े हों और आपको बहुमत मिल गया तो यह खस्म बन कर बैठ जाएगा। (विघ्न) हुड्डा साहब, मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय *** **

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठिए (विघ्न) इनकी कोई भी बात रिकार्ड न करें। (विघ्न)

श्री ओमप्रका 1 चौटाला : अगर कोई सलाह दे तो उसकी सलाह मान लेनी चाहिए। मेरे कहने का भाव यह है कि इन्होंने अधिवे 1न के लिए कहा और हमने मान लिया। द 1हरे के दिन जो घटना घटित हुई वह एक संवेदन 1ल मुद्दा है। जिन लोगों के पास खाल बेचने का, हड्डी बेचने का लाईसेंस था वे फरुखनगर से दिन में खाल ले कर चले थे। टाटा 407 में 228 खालें थी जिनमें 34 खालें गाय की थीं, दो खालें भेड़ों की थी और बाकी भैंसों और दूसरे प 1ुओं की खालें थीं। अभी तो वे वहीं पर खड़े थे। 14 तारीख की रात को एक गाय फरुखनगर के

किसी गरीब ब्राह्मण के घर के आगे मर गई। सवेरे ब्राह्मण उठा तो मुर्दा गाय उठाने के लिए जिस मुस्लमान के पास हाडरूडी का ठेका था तो वह पण्डित जी उस मुस्लमान के पास गए और जा कर कहा कि मेरे घर के आगे गाय मरी पड़ी है उसको उठा दो। उनका काम गाय उठाना था। रेहड़ी पर डालकर वे उस गाय को लेकर चले गये। उनका जो हाडरूडी का ठेका था वह संयोग से फारूखनगर में द गहरे ग्राउंड के नजदीक था। वहां पर लोगों ने कहा कि अभी तो द गहरा है इसलिए अभी खाल मत उतारें क्योंकि लोग उसका बुरा मनाएंगे। तो वह कहने लगा कि मेरे से 100 रुपये रेहड़ी वाले ने ले लिए और 100 रुपये और खर्चा आ गया है, 200 रुपये देकर इसने भी ले जा। उन्होंने वह गाएं लेकर के टाटा 407 में डाल ली। अब खाल खराब न हो तो उस पर कैमिकल छिड़क दिया जाता है, उस पर नमक डाल दिया जाता है। जब वह गाएं ट्रक में डाल दीं तो वह फिसल रही थी। वह गाएं गिर न जाएं तो उन्होंने एक प्वायंट पर ट्रक को रोक करके खाल उतारने का मन बना लिया। स्पीकर सर, इसके साथ ही यहां पर यह भी जिक्र कर दिया कि वे कहां पर थे और कितनी दूर थे। स्पीकर सर, द गहरा देखकर सूरकलोई गांव के लोग आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ये लोग गऊकसी कर रहे हैं। उन्होंने उन लोगों को पीटा। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि मुख्यमंत्री जी जो डिटेल में बता रहे हैं, यह डिटेल

में बताने की बात नहीं है। (गोर एवं व्यवधान) हरियाणा का जो इन्क्वायरी आफिसर इस केस की इन्क्वायरी कर रहा है उसको भी यही बात अपनी रिपोर्ट में लिखनी पड़ेगी। इसलिए इनको यह बात डिटेल में नहीं कहनी चाहिए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजल लाल जी, यहां पर सभी डिटेल में बोल हैं और उस सबका जवाब डिटेल में ही देना पड़ेगा।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, मेरा यह कहना है कि इनको इस बारे में डिटेल से बताने की कोई जरूरत नहीं है। इनको इसके जवाब में यह कहना चाहिए कि इसकी जांच चल रही है और जब जांच की रिपोर्ट आएगी तो उसके बारे में बता दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, चौधरी भजन लाल जी आप राव धर्मपाल जी से पूछें कि उन्होंने कितनी डिटेल में इसके बारे में बताया है। (विघ्न) आप बैठिए। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, मेरा काम केवल यहां पर जो प्रश्न उठाया गया है उसका जवाब देना है। यह जो सवाल यहां पर विस्तार से उठाया गया है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। इस बारे में तो यहां पर यहां तक कहा गया है कि गाए किस चीज से मरी हैं। अब तक तो उसका विसरा भी नहीं आया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से गाएं मुर्दा पाई गई थी। (विघ्न) स्पीकर सर, चौधरी बंसी लाल जी अब यहां पर नहीं हैं। वे

यहां पर पता नहीं क्या-क्या कह कर चले गए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वह दरवाजा लोहे का था, वहां पर फूल नहीं टूटे थे। साथ में वे यह कह गए कि ला-ग्रैजूएट हैं। वे यह भी कह गए कि मुझे तो फौजी ने बताया था। फौजी की बताई हुई बात का उल्लेख करते हैं। इस बात का एवीडेंस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। स्पीकर सर, धर्मपाल की कांस्टीच्युएंसी है और उन्होंने यह कह दिया कि 17 तारीख को सारे लोग खड़े थे। राव धर्मपाल जी 16 तारीख को तो दाह संस्कार हो लिया था। (विघ्न) नहीं-नहीं, आपने तो यह कहा है कि जब 17 को गया था तो लोग वहां पर खड़े हुए थे, ला में पड़ी हुई थीं और मुख्यमंत्री साथ से चला गया था। (विघ्न)

राव धर्मपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि उस वक्त मैं भी दमदमा से होकर बाद ग्राहपुर गया था। 16 तारीख को दाह संस्कार रात को हुआ था। (विघ्न) 17 तारीख को आप वहां पर से निकले हो।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि 17 को ला में नहीं थी क्योंकि दाह संस्कार हो गया था। स्पीकर सर, 16 तारीख को दाह संस्कार हो जाए तो 17 तारीख को ला में नहीं होगी यह ठीक है। मैं कब इसको नहीं मान रहा कि मैं नहीं गया था। मैं तो गया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, ज्यों ही मुझे खबर मिली मैं उनके पास भी गया और इन्सानियत के नाते गया। (विघ्न) इसमें अगर आप तारीख की बात

पूछेंगे तो भोजन लाल जी आपके राज में कितने ही हरिजन मारे गए और आप कहां कहां गए, आप किसी एक के घर भी नहीं गए हैं। (विघ्न) मैं आपको बता देता हूं और यह सब सारे हरियाणा की ही बता रहा हूं। (तोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं वहां पर गया हूं। (विघ्न)

श्री ओमप्रकाश चौटाला : मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। (तोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि मैं वहां पर गया नहीं। तो इनके पास क्या सबूत है कि मैं वहां पर नहीं गया था। जहां पर भी गरीब आदमी के साथ नाइन्साफी होती थी तो भजन लाल सबसे पहले वहां पर जाकर आता था।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, भजन लाल जी के भासन काल में 25 हरिजनों की हत्याएं की गई थीं। भजन लाल जी, आप किसी एक के भी नहीं गए हो। अगर गए हो तो बता दें। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : यह कहां पर लिखा हुआ है कि मैं नहीं गया हूं। आप यह बता दें। स्पीकर सर, वहां पर लाशें पड़ी हुई थीं और ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिए। (विघ्न) भजन लाल जी अपनी सीट पर बैठें।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी के भासनकाल में तो 6-6, 7-7 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हुए थे और बाद में उनको मार दिया गया था। बहादुरगढ़ में बेबी किलर कांड हुआ था लेकिन आप तो वहां पर भी नहीं गए थे। आपके राज में बेबी किलर कांड बड़ा चर्चित कांड था।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि बलात्कार कहीं भी हो सकते हैं लेकिन हमारे समय में जो बलात्कार के केस हुए तो उसके बाद हमने फौरन अपराधियों को पकड़ा है और कार्यवाही करी है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, अब आप बैठिए। नरेन्द्र सिंह जी, आप भी बैठें।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मान सकता हूं कि यह हमारी संस्कृति में है कि अगर किसी के घर में इस तरह की दुखदायी मौत हो जाए तो हम वहां पर जाते हैं। मैं इसमें यह नहीं कहता कि मैं नहीं गया जैसा कि आप कहते हैं कि मैं ऐसी जगहों पर नहीं गया हूं। यह मैं मान सकता हूं कि मैं लेट गया हूं लेकिन आप तो गए ही नहीं थे। अध्यक्ष महोदय,

जो इस तरह की घटनाओं के बाद कहीं पर गया ही न हो तो कम से कम वह आदमी यह बात नहीं सकता। यह इस तरह की एक घटना अनायास हो गयी, नासमझी में हो गयी, गलत फहमी में हो गयी। लेकिन आपने तो इस कांड को लेकर हिन्दू-मुस्लिम तनाव पैदा करने का प्रयास किया।

चौधरी भजन लाल : ऐसा प्रयास किसी ने नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी आप बैठें। अब इनकी कोई बात रिकार्ड न करें।

चौधरी भजन लाल : * * * *

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप अखबार उठाकर देखें। सबसे पहले दिन अखबार में एक ही खबर छपी है कि अल्पसंख्यक समुदाय के मुसलमान गऊक पी कर रहे थे। यह किस ने कहा मैं इसमें नहीं जाना चाहता। ए, बी, सी, डी, चाहे किसी ने कहा। इन्होंने यह तो कहा था कि इंकवायरी निष्पक्ष हो जाए और उसके बाद दोशियों को सजा मिले। मैं इनकी यह बात मानता हूँ। लेकिन अल्पसंख्यक की जो चर्चा चलायी गयी थी वह किसने चलायी मैं इसमें नहीं जाना चाहता। एक संवेदन गील मुद्दे को इस प्रकार से प्रचारित किया गया और हिन्दू-मुस्लिम तनाव पैदा करने की बात की गयी। जब इससे भी बात नहीं बनी तो फिर हरिजन और स्वर्ण का मुद्दा उठाया गया और जब वह भी निराधार हो गया तो यह कह दिया कि पुलिस वालों ने उनको

मारा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इनकी बात पर हैरानी होती है। एक साथी ने और चौधरी बंसी लाल ने तो यहां तक भी कह दिया कि फरूखनगर गए जबकि झज्जर जाना चाहिए था। वकील अगर फरूखनगर कहें तो फरूखनगर ही जाएंगे। इनको तो वहां के चौकी इंचार्ज की इस बात के लिए सराहना करनी चाहिए थी कि वह उस वातावरण में भी मौके पर इंकवायरी करने के लिए गया। उसने वहां पर देखकर कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह गऊक पि है, यह गाय तो मरी हुई है फिर भी जब वे नहीं माने तो उन्हीं की गाड़ी के ऊपर एक हवलदार को बिठाया और दो उनके आदमियों को बिठाया। चौधरी बंसीलाल तो कह गये कि उन दो आदमियों को बाद में पुलिस ने इसलिए मार दिया कि ऐवीडैन्स न बन जाए। उनको साथ बिठाकर वह फरूखनगर ले गया और वहां पर उनकी पूरी तरह से तसल्ली हो गयी। उन्होंने बता दिया कि यह-यह लोग थे। हवलदार ने दो मुस्लिमों को भी साथ बिठाने की कोशिश की और उनसे कहा कि तुम वहां जाकर स्पष्टीकरण दे दो। वहां की जो मयूनिसिपल चेयरमैन थी वह बड़ी सयानी थी, उसने कहा कि नहीं इससे और विकार पैदा हो जाएगा। अच्छा हुआ कि वह दो आदमी गाड़ी में नहीं चढ़ाए गए। वह मुस्लिम धर्म के थे अगर ऐसा हो जाता तो उसमें और रंगत भी मिलनी थी। उसके बाद मौव बढ़ गयी और बढ़ी हुई मौव के दृष्टिगत यह घटना घट गयी। अब सवाल यह है कि क्यों उनको पुलिस मारेगी। अब ये कहते हैं कि पुलिस ने वहां पर गोली नहीं चलायी। इन परिस्थितियों में अगर पुलिस गोली चलाती तो पता नहीं क्या

परिस्थिति पैदा हो जाती। अगर कानून को हाथ में लेने वालों पर पुलिस गोली चलाती और अगर कुछ लोग मरते तो फिर आप ही कहते कि पुलिस ने फायरिंग में कई लोगों को मार दिया। आप यह भी कहते हैं कि इंक्वायरी सी.बी.आई. से करायी जाए। ये पुलिस को दोषी भी बताते हैं और सी.बी.आई. की इंक्वायरी भी मांगते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सेंटर में कैबिनेट स्तर के मन्त्री भी रहे हैं इसलिए इनको पता होना चाहिए कि सी.बी.आई. भी पुलिस है वह सेंटर की पुलिस है और यह हमारी पुलिस है। ये यह भी कहते हैं कि एक ऐसे कमि नर को इंक्वायरी के लिए मुकर्रर कर दिया जो मुख्यमंत्री जी मानेगा। ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं इंक्वायरी चाहे जुडी रिटायल मजिस्ट्रेट करें या रिटायर्ड सै इन जज करे या सै इन जज करे वह अपनी रिपोर्ट तो सरकार को ही प्रस्तुत करता है। अभी तक भी वह जो जज जगमोहन था उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में दबी पड़ी है, जिसमें आप मुलजिम हो।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मुख्यमंत्री जी के दिमाग में एक बात रहती है कि मैं मुलजिम हूं। भजन लाल कभी मुलजिम नहीं था और जितने कमी इन मैने फेस किए हैं मुख्यमंत्री जी रिकार्ड उठा के देख लो इनको पता लग जाएगा कि ये कहां खड़े हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

चौधरी भजन लाल : अगर यही बात है तो हम चले जाते हैं।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : मुझे पता है कि आप भागोगे, अगर आप नहीं भागोगे तो आपका वोटिंग के समय दिवाला पिटेगा इसलिए आप भागोगे और वोटिंग से पहले भागोगे। ये तो आप इसलिए नहीं भागते कि दोनों के मन में चोर है कि पहले कौन सा भागे, आप सिर्फ इस वजह से ही सदन में बैठे हो। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठ जाइए।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : इन परिस्थितियों में यह ठीक नहीं है कि मेरे ब्यान की वजह से उस इंकवायरी पर असर आ जाएगा। इंकवायरी करने वाले कमि नर को पूरे अख्तयार होते हैं। धर्मपाल ने कह दिया कि एफ.आई.आर. में नाम नहीं आए थे। एफ.आई.आर. का मतलब सिर्फ यह होता है कि फर्स्ट इन्फर्मे टान रिपोर्ट। एक तरफ तो आप कहते हैं कि पुलिस ने पांच आदमी मार दिये या किसी वजह से मर गए, उनकी एफ.आई.आर. कौन दर्ज कराए, कहीं तो पुलिस की रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए थी। इंकवायरी कमी टान मुकर्रर हो गया है अगर किसी की किसी प्रकार की कोई रि टाकायत है तो कोई भी आदमी रूबरू ऐफीडेविट दे दे।

(विधन) डिटेल इसलिए बतानी पड़ती है कि आपने इस मुद्दे को इतना ज्यादा प्रचारित कर दिया है जिसकी वजह से बताना पड़ता है। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह अखबार में छपवाने में ज्यादा यकीन नहीं रखता हूँ, मैं तो प्रत्यक्षरूप में जो बात होती है वही कहता हूँ इसलिए आज इस प्रकार की एक इंकवायरी करवाने का फौरी तौर पर सरकार ने निर्णय ले लिया है। हमने खुलकर बात की है आज मैं फिर से हाउस को आ वस्त करना चाहूंगा कि इस इंकवायरी में जो दोषी माने जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त ऐक्टान लिया जाएगा।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी की कोई बात रिकार्ड न करें। हुड्डा साहब, आप अपने मैम्बर को संयम में रखें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटाला : हुड्डा साहब, ये ऑर्डिनेरी मैम्बर हैं आप इनको संभाल कर रखो। या तो सदन के नेता न बनो, बनते हैं तो इनको संभाल कर रखो। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्टान भी ले सकते हो। मैं यह कह रहा था कि इंकवायरी कमीशन की रिपोर्ट में कोई ऐफीडेविट देकर के उस इंकवायरी में कोई भी शामिल हो सकता है। यहां पर एक जिक्र आया और धर्मपाल जैसे सीजंड पोलिटीयन ने कहा कि सी.बी.आई. जांच की मांग की गई है।

आज तक और अब तक इस समय तक हमारे पास किसी ने लिखित या मौखिक रूप में रिक्वायत नहीं भेजी कि फलां आदमी से इंकवायरी करवाओ। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : मैं आपके पास अभी लिखकर भेज देता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप सोते रहो, और अब बैठे-बैठे चिट्ठी हमारे पास नहीं है। (विघ्न) मैं यह कब नहीं मानता कि दस्तखत नहीं है, किस ने किए हैं और किसने नहीं किये हैं। लेकिन सरकार से किसी ने भी इंकवायरी की मांग नहीं की है। (विघ्न) आपके पास कोई देता होगा उसके लिए कोई बात नहीं है। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि सदन में कहीं हुई बात की कीमत होती है। मैं औरों की तरह अनर्गल बात करने में कोई यकीन नहीं रखता हूँ। सरकार के पास अब तक भी कोई ऐसी रिक्वायत नहीं आई है अगर कोई रिक्वायत मिलेगी और उसमें लोगों ने यह कहा कि इंकवायरी ठीक नहीं हो रही है। ऐसी कोई दरखास्त आयेगी तो सरकार उस पर गौर करेगी और जो ठीक समझेगी वह निर्णय लेगी। लेकिन फौरी तौर पर आप सबसे

.....(विघ्न)

वाक आऊट

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने गवर्नर साहब से रिक्वायर्त की थी कि लोगों ने मांग की है कि इस केस की सी.बी.आई. से जांच होनी चाहिए। * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी की कोई बात रिकार्ड न की जाये। यह उन लोगों के घरवालों की मांग नहीं है, यह आपकी मांग हो सकती है। आप बैठिये।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। इस प्रकार सस्ती लोकप्रियता न लें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : कोई बात रिकार्ड न की जाये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, बैठ जायें। No permission.

श्री कर्ण सिंह दलाल : आप मेरी बात तो सुनिए।

Mr. Speaker : I warn you. Please sit down.

Shri Karan Singh Dalal : Who are you to warn me.

Mr. Speaker : I am the Speaker. I name you. Throw him out.

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, एक बार आप उसकी बात तो सुनिए।

Mr. Speaker : He is saying who are you.

Prof. Sampat Singh : Speaker Sir, he is challenging the authority. What is this nonsense. He is saying who are you ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार सदन चल रहा है इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका पैमाना क्या है, यह सदन की गरिमा को ध्यान में रखकर कार्यवाही नहीं हो रही है। सदन में गरिमा रखने की आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप ही गरिमा नहीं रखेंगे तो गरिमा कौन रखेगा।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, जहां तक सदन की गरिमा रखने वाली बात है। सत्ता पक्ष आपके सुझाव सुन रहा है, आपकी बात सुन रहा है। इससे ज्यादा गरिमा और क्या होगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर * * * * *

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों का इतना हनन हो रहा है कि अगर कोई अपने विचार

व्यक्त करता है तो आप उसको नेम कर रहे हैं। क्या विपक्ष के सदस्य जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप प्लीज सिट डाऊन। आप बैठ जाइये। आप भाब्दों में न जायें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर आपका यह रवैया होगा तो इस सदन में कोई काम नहीं होगा।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : कोई बात रिकार्ड न की जाये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, बैठ जायें। हुड्डा साहब, आप बैठिये, चौधरी भजन लाल जी आप भी बैठिये, कैप्टन साहब आप भी बैठिये। आप अपना आचरण ठीक करें। आप प्लीज बैठ जाइये। Please sit down.

श्री ओमप्रकाश चौटाला : हुड्डा साहब, मैं भुरु से ही कह रहा हूँ कि आपके पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं। आपका दीवाला पीटता दिखाई दे रहा है। मैं जानता था कि आप जायेंगे। आपने हमें सदन का समय खराब किया है। आप लोगों की गाढ़े खून-पसीने की कमाई को और करोड़ों रुपयों को बर्बाद करते हो। आप विपक्ष की भूमिका निभाना ही नहीं जानते। आपके

पल्ले कुछ कहने के लिए है ही नहीं। किसी ने तथ्य पर आधारित एक लफ्ज भी नहीं कहा है। (विघ्न) गुप्ता जी, इस लीडर पीप को बदलो न आप। आप तो स्याने आदमी हो। पता था आप भागोगे। (विघ्न) आप गिनती करो। यहां गिनती सिरों की चलती है। अखबारों में ब्यान देने से सरकार नहीं जाती। तीन साल तक थ्यारी छाती पर मूंग दलूंगा और पांच और ले लूंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए हम सदन से वाक आउट करते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए मैं भी सदन से वाक आउट करता हूं।

श्री जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, इस समय आपकी कोई बात नहीं सुननी।

श्री जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए मैं। सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, आर.पी.आई. और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गये।)

मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अवि वास प्रस्ताव पर चर्चा
(पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए बार-बार एक बात कहता था कि बदकिस्मती से हरियाणा प्रदेश में विपक्ष में ऐसे लोग चुनकर आये हैं जो विपक्ष की भूमिका अदा करना नहीं जानते हैं। न किसी मुद्दे पर बात करते हैं न रूलज और रेगुलेशंस पर बात करते हैं। आधारहीन बात करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हरियाणा प्रदेश के इस प्रगतिशील प्रदेश के लोगों को बर्बाद करने के लिए इन्होंने मन बना लिया है। जो सरकार निरन्तर विकास के कामों में रूचि रखती है ये उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी पार्टी की, सरकार की केवलम मात्र एक सोच है और हम चाहते हैं कि चौधरी देवी लाल का बनाया हुआ हरियाणा प्रगति के पथ पर बैठे। उनके स्वप्न साकार हों और हरियाणा प्रदेश भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र पर नम्बर एक का प्रदेश बन सके। हमने निरन्तर प्रयास किए हैं कि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सकें। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अगर अच्छे काम करने की वजह से, विकास के कामों की गिनती के हिसाब से, अगर किसी प्रदेश का नाम गिनीज बुक में लिखा जाएगा तो

हरियाणा प्रदेश 1 पहले नम्बर पर होगा। हमने बहुत ही जनहित के काम किए हैं। हमने तो उन लोगों की तरफ से 30-30 वर्ष पहले लगाए गए पत्थर जो उनके सिर पर मारे जाने चाहिए थे, उन पत्थरों की जगह विकास के काम करके लोगों के हितों के रक्षार्थ काम किए हैं। हमारी जब सरकार थी तब हमने यहां चण्डीगढ़ में हरियाणा पंचायत भवन की आधार ि ाला रखी थी। मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर यह आधार ि ाला रखी थी और जिस दिन मैंने यह आधार ि ाला रखी थी तभी मैंने अधिकारियों को एक इ ारा कर दिया था कि इसका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा इसलिए जल्दी से जल्दी इसको तैयार किया जाए। इतिफाक से हमारी सरकार चली गई और जो लोग सत्ता में आए, यानि कांग्रेस पार्टी के लोग सत्ता में आए, उन्होंने उस फाइल को उड़ाकर कोल्ड स्टोर में रख दिया और उसके बाद चौ. बंसीलाल की भी सरकार आ गई। आखिर में जाकर जब फिर हमारी सरकार आई तो इतने अंतराल के बाद उस पंचायत भवन को नए सिरे से चालू करके मुझे ही उसका उद्घाटन करना पड़ा। आज हरियाणा प्रदेश 1 के लोगों के विकास के लिए जिस प्रकार से योजनाएं चल रही हैं, मैं विपक्ष होते हुए भी हरियाणा के हितों के दृष्टिगत इन्हें सरकार की सराहना करनी चाहिए। मैं तो विपक्ष को यह भी कहता हूँ कि कोई रचनात्मक सुझाव अगर ये लोग देंगे तो हम उनको मानने के लिए तैयार हैं। जहां तक वोट आफ नो कॉफीडेंस का ताल्लुक है तो इस पर लम्बी चौड़ी बहस करने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए तो पहले दिन ही आकर सिरों की गिनती कर सकते थे, इस

सदन में गिनती सिरों की ही होगी क्योंकि गिनती इनके पास है नहीं इसलिए जब इनको मौका मिलता है तो ये सदन से वाक आउट करने की बात करते हैं ताकि अखबारों की सुर्खियों में आ जाएं। आज ये चले गए, मैं किनका नाम लूं, जिन लोगों ने कुछ कहा, मैं उनकी कही बात का उल्लेख नहीं करना चाहता। आज ये हरिजन के हितों की बात करते हैं। कैप्टन साहब यहां से चले गए, 100 एकड़ जमीन इनकी सरप्लस निकली है जिससे हरिजन बैठे हुए थे, हरिजनों को ये उस जमीन में घुसने नहीं दे रहे। आज ये किसानों के हितों की बात करते हैं, इनमें कौन किसान हैं, हुड्डा साहब तो पेट्रोल पम्पों के मालिक हैं, गैस एजेंसियों के मालिक हैं और दूसरों पर लांछन लगाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में फलां-फलां को पेट्रोल पम्प मिल गए। इनके सबसे ज्यादा पेट्रोल पम्प हैं, ये तो पेट्रोल बेचते हैं इनको खेती का पता ही नहीं है। भजन लाल का तो मैंने बता ही दिया कि ये सन्यास लेने जा रहे हैं। भजन लाल तो चुंदड़ी बेचने का काम किया करते थे। इनका और खेती का क्या ताल्लुक। हमें पता है कि किसानों के साथ क्या बीतती है, सर्वप्रथम जब सूखे का प्र न आया था, तो सबसे पहले हमने 615 करोड़ रुपये का तो आज की तारीख में नुकसान है और आगे नुकसान होगा तो हम फिर बताएंगे और उसके बाद जब सूखे की और अधिक मार पड़ी तो फिर हमने 1107 करोड़ रुपये के नुकसान की रिपोर्ट की। ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ गई थी कि पूरे का पूरा जुलाई महीना सूखे में चला गया। 13 अगस्त तक बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी थी।

हमने काबीना की मीटिंग बुलाकर पूरे के पूरे हरियाणा प्रदे 1 को सूखाग्रस्त घोशित कर दिया और केन्द्र सराकर से 1895 करोड़ 96 लाख रुपये की मांग की थी और साढ़े 9 मीट्रिक टन गेहूं भी हमने मांगा था। हम चाहते हैं कि इस दिक्कत को दूर किया जाए। हमने पूरी बिजली देने का काम किया। हमने नहरों में ज्यादा पानी देने का काम किया। प्रभू की हम पर कृपा हुई और अगस्त के मध्य में और सितम्बर के भुरु में अच्छी बारि 1 होने की वजह से आज हरियाण प्रदे ज्ञ उन विकट परिस्थितियों से उबर कर आया है। हमने बीज के लिए, खाद के लिए जो भाँट टर्म तकावी कर्जे थे उनको लोग टर्म में तबदील करने का फैसला लिया है। हमने मालिया और आबियाना माफ किया। जहां बिजली के ट्यूबवैल की वजह से पूरी गिरदावरी नहीं हो पाई थी, वे बिली भी हमने डैफर कर दिए और हमने यहां तक भी कह दिया कि जहां सूखे के हिसाब से अगर किसी किसान की सूखा प्रभावित गिरदावरी की जद में रिपोर्ट आएगी तो हम उसकी इस फसल के बिजली के बिल भी नहीं लेंगे। हमने किसान को हर प्रकार की राहत प्रदान करने का काम किया है। हम केन्द्र सरकार से निरंतर सम्पर्क में हैं और हमें केन्द्र सरकार की तरफ से जो मिलेगा उसके अलावा भी हतम अपने साधनों में से मुआवजा देंगे। हम अपने अखराजात में भी कटौती करेंगे। लेकिन हम किसानों की पीड़ा को समझते हैं और हम से जितना हो पाएगा हम किसानों की मदद करने का काम करेंगे। ब 1 तें कि पूरी तरह से एक नक् 11 हमारे सामने आ जाए। प्रभू की अपार कृपा है, कल को भी

बारि ा हो सकती है। असली बिजाई का पता तब लगेगा जब साढ़ी बोई जाएगी। हमारे प्रदेश में साढ़ी की बुआई से ही सही नक ाा हमारे सामने आता है कि प्रदे ा कि क्या स्थिति है। अभी ये यहां से उठकर चले गये। 1995 में बाढ़ आई थी उस समय चौधरी भजन लाल ने लगभग 300 करोड़ रुपये कर्जा महंगे ब्याज पर लिया था और तीन साल में वह पैसा मिला था। पहले वर्ष 113 करोड़ रुपये, दूसरे वर्ष 126 करोड़ और तीसरे वर्ष 139 करोड़ रुपये मिले थे। वह पैसा भी ठीक ढंग से लोगों को नहीं दिया गया। हमारी सरकार आने के बाद लोगों को वह पैसा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसानों को फसल का उचित दाम दिलाने की बात है इस बारे में हम केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित करते हैं और हमें खु ि है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े फिराखदिली हैं और किसानों के हितैशी हैं, उन्होंने किसानों के हित की हर बात मानी। हमने जब भी मांगा उन्होंने दिया। जिसके फलस्वरूप हमारा राज्य प्रगति के पथ पर चल रहा है। विपक्ष के साथियों को पीड़ा इस बात की है कि यदि इसी तरह से प्रदेश में विकास के कार्य होंगे तो हमारी सरकार की लोकप्रियता बढ़ती जायेगी और उनको दोबारा सरकार में आने का अवसर नहीं मिलेगा। विपक्ष के साथियों को जब भी कभी मौका मिलता है तो ये व्यापारियों और किसानों को भड़काने की को ि ा करते हैं। जबकि हमारी सरकार ने व्यापारियों को अनेक प्रकार की रियायतें दी हैं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी सुनने की हिम्मत नहीं रखते इसलिए वे यहां से उठकर चले गये। हम

जब भी कभी विदे आ जाते हैं और वहां के उद्योगपतियों को हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए निमंत्रण देते हैं तब ये लोगों को कहते हैं कि हम वहां पैसे जमा करवाने के लिये जाते हैं। कोई भी साथी बता दे कि विदे आ में कौन से बैंक में हमारा कितना पैसा जमा है। जो भी जमा है उसका एक प्रतिशत हिस्सा ये मुझे दे दें और 99 प्रतिशत स्वयं ले जायें। मेरा तो एक प्रतिशत से ही काम चल जायेगा लेकिन ये ऐसे ही अनर्गल बात करते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये लोग सस्ती भाँहरत हासिल करना चाहते हैं और अखबारों की सुर्खियों में रहने की बातें करते हैं। इनको जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग तो जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। लोगों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई को ऐसे ही व्यर्थ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने कैसीनों के मुद्दे को उठाया। हमने तो गैम्बलिंग की बजाय नाम गेमिंग कर दिया। हम विदेशी कम्पनियों को आमन्त्रण दे रहे हैं और इसके बारे में वित्तमन्त्री जी ने काफी डिटेल्स में बताया है इसलिए इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये लोग गरीब आदमी की बात करते हैं मैं इनको बताना चाहूंगा कि यदि गरीब आदमी जूआ खेलेगा तो वह कहीं दूसरी जगह भी जाकर खेलेगा कोई रोक नहीं सकता। कैसीनों के अंदर तो बड़े-बड़े अमीर लोग आयेंगे और उससे जो पैसा आयेगा वह गरीब लोगों की भलाई के लिए ही यूज किया जायेगा। गरीब आदमी कैसीनों में नहीं जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह नहीं कि कोई भी आदमी कैसीनों खोलकर बैठ जाये, ऐसा नहीं होगा। कैसीनों के

लिए बाकायदा लाईसेंस जारी किए जायेंगे, बगैर लाईसेंस के कोई भी कैसीनो नहीं चल सकेगा। यह नहीं होगा कि कोई भी अपने होटल में कैसीनो खोल ले। अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो म गाविरा है जो कांग्रेस जो कांग्रेस सरकार की तरफ से प्रपोजल थी और उस प्रपोजल को सिरे चढ़ाने के लिए जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला था तब मैं चाहता था कि इसका अच्छे ढंग से क्रियान्वयन किया जाये ताकि स्टेट का रैवेन्यू बढ़े। क्योंकि मुझे अमेरिका जाने का अवसर मिला था और वहां पर मैंने अमेरिकी अम्यूजमेंट पार्क देखा था। अध्यक्ष महोदय, हमारा राजय दिल्ली के नजदीक है और दिल्ली एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भाहर है दे । का हर हिस्से का आदमी वहां आयेगा और इसका फायदा हमें मिलेगा। यदि उस समय वह पार्क बन गया होता तो आज हमें जनता पर किसी प्रकार का टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारी रियासत टैक्स मुक्त होती और हरियाणा प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता। उस वक्त भी इन लोगों ने विरोध किया था और जिन लोगों को इन्होंने बहकाया था वे लोग अब हमारे पास आये और हम से कहने लगे कि अम्यूजमेंट पार्क बनाने का हमारा फैसला ठीक था और उन्होंने हमें कहा कि हम पार्क का कार्य नये सिरे से शुरू करें क्योंकि उनको पता लग गया है कि अगर उस वक्त अम्यूजमेंट पार्क बन गया होता तो इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता, स्टेट का रैवेन्यू बढ़ता और स्टेट के विकास के कामों को गति मिलती। अध्यक्ष महोदय, हमने बड़े साफ लफ्जों में लिखकर दिया है कि इस कैसीनों से और अम्यूजमेंट

पार्क से जो भी आमदनी होगी वह लोगों के स्वास्थ्य पर, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पर और समाज कल्याण के अच्छे कार्यों पर खर्च की जाएगी। हम कोई पैसा कमाने में यकीन नहीं रखते। (इस समय मेजें थप-थपाई गई।) अध्यक्ष महोदय, हमारी यह मानना है कि हरियाणा प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। विपक्ष के साथियों के पास कहने को कोई मुद्दा नहीं है। ये सैनिक बुलाने को कहते हैं और लोगों के हितों पर चर्चा करने की बजाय भागने का काम करते हैं तथा सरकार का समय बर्बाद करते हैं। जिस समय गिनती का समय आता है उस समय ये वाक आउट कर जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से इस अविनाश प्रस्ताव के खिलाफ वोट देने का निवेदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से और पूरे प्रदेश की जनता से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश में जो अमन कायम है उसको बरकारा रखें। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में जहां अमन कायम है वहीं हमारे प्रदेश का वातावरण भांतिप्रिय है। आज पूरे विश्व के स्तर पर आतंकवाद का साया है। हमें दाद देनी चाहिए रिया के उन लोगों की जिन्होंने आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए अपनी कुर्बानियां देने का काम किया था। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में किसी किस्म का आतंकवाद न होने पाये। आज हम फख के साथ कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश में किसी किस्म का कोई आतंकवाद नहीं है। हमारे प्रदेश में कोई धार्मिक उन्माद नहीं है। हमारे प्रदेश में कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं है। हमारे प्रदेश में कोई जातपात का

जहर फैला करके राजनीतिक रोटियां सेकने में यकीन नहीं रखता है। इन लोगों ने कभी साम्प्रदायिक तनाव पैदा करके वोट हासिल करने का काम किया था। आज ये कहते हैं कि जो लोग मरे हैं उनको ज्यादा मदद देनी चाहिए। इन्दिरा गांधी जी जिस वक्त प्रधानमंत्री थी उस वक्त हजारों बेगुनाह का कत्ल किया गया था। उन पीड़ितों को उस वक्त किसने पैसा दिया था। हमारी सरकार ने उस वक्त उन पीड़ितों को पैसा दिया था, पूछो कांग्रेस की सरकार से कभी उनको एक पैसा दिया हो। यह तो कत्ल करने वाले हैं किसी की मदद करने वाले नहीं हैं। अभी राजस्थान में 12 लोग भूख से मरे हैं। ये यहां पर जाएं और उनको रुपये दे करके आएँ। ये कहते हैं कि यहां पर सोनिया जी गई थी और उनको एक-एक लाख रुपये दे करके आई थी। रोहतक की जो रैली थी, उस रैली के बारे में भजन लाल जी कहते हैं कि वह 80 हजार लोगों की थी, जबकि हुड्डा साहब उसको 5-6 हजार लोगों की बता रहे हैं। कितनी संख्या वहां पर लोगों की थी मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। अध्यक्ष महोदय, उस रैली में दो-अढ़ाई लाख रुपये माला आई थी। स्टेज पर एक आदमी ने एनाउंस किया कि यह रुपयों की माला सोनिया जी को सोपेंगे क्योंकि दुलीना में जो लोग मरे हैं उनको एक-एक लाख रुपये देकर आए हैं। भजन लाल जी ने उसी वक्त खड़े होकर उस व्यक्ति का माईक छीन करके कहा कि यह तो मेरे पेसे हैं मैंने तो सोनिया गांधी जी को उसी दिन किसी से उधार ले करके पैसा दे दिया था। यह पैसा तो मैं रखुंगा। अध्यक्ष महोदय, कहने का मतलब यह है कि ये

लोग तो पैसे के लिए लड़ते हैं, कुर्सी के लिए नहीं। उस बेचारी सोनिया ने पूछा कि तुम्हारे में से किस की गाय मरी है। लोगों ने कहा कि इनकी गाय नहीं मरी इनके तो आदमी मरे हैं, इनका तो बेटा मरा है। उसको यह नहीं पता कि कौन मरा है और किसके लिए जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। अगर वे इस हिसाब से जाती तो किसी और प्रदेश में जाती। लेकिन हमारे प्रदेश में जहां पूर्ण भांतिमय वातावरण है उस भांतिमय वातावरण में कटुता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूरे सदन के पूरे प्रदेश के लोगों से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि प्रदेश की भांति प्रक्रिया को कायम रखें। आपसी भाईचारे से और प्रेम से मिल करके काम करते रहें। हम सत्ता के भूखे लोग नहीं हैं। यह चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का विस्मरण करने वाली सरकार है और चौधरी देवीलाल के उस नारे का आदर करती है जो चौधरी देवीलाल जी ने कहा कि सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं है, जन मानस की सेवा करने का साधन है। उस नारे पर अमल करते हुए हम लोगों की मूलभूत जरूरियात को पूरा करने के पक्षधर हैं और कुछ लोग इस प्रकार की अनर्गल बातें करके इस प्रकार का तनाव पैदा करके हमारे रास्ते में बाधा बनने का प्रयास करते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता उन्हें मुंह नहीं लगा रही। लेकिन सदन में जरूर उस बारे में बात कर रहे हैं और अपनी बात करके सदन से बाहर चले जाते हैं। आज विपक्ष के नेताओं को यहां सदन में होना चाहिए था अगर वे मौके पर होते तो मैं उनकी एक-एक बात का जवाब देता और उनसे पूछता और उनसे हां भरवाता कि मैं जो कह रहा

हूँ वह ठीक है। अध्यक्ष महोदय, आपकी मौजूदगी में उनसे खड़े होकर के पूछवाता कि आपने इस जगह यह किया था और उनको हां भरनी पड़ती क्योंकि हम अनर्गल बात करने में यकीन नहीं रखते। इसलिए मैं आपके द्वारा पूरे सदन के सदस्यों से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का जो अवि वास प्रस्ताव हमारे प्रदेश की तरक्की में बाधक बनने का प्रयास करता है, उसको रद्द किया जाए और इस प्रस्ताव के खिलाफ सदन अपना मत देकर के इस मौजूदा सरकार को और ज्यादा हौंसला दे ताकि जनता जनार्दन के हितार्थ अच्छे काम कर सकें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Mr. Speaker : Now, I will put the motion to the vote of the House. Question is-

That the House express its want of confidence in the Council of Minister headed by Shri Om Prakash Chautala.

(After ascertaining the votes of the Members by voices, Mr. speaker announced that 'Noes' have it and declared that the motion was lost.)

(The motion was lost)

सदन की मेज पर रखा गया कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now. a Minister will lay paper on the Table of the House.

Prof. Sampat Singh (Finance Minister) : Sir. I beg to lay on the Table-

“the Education Department Notification No. S.O. 88/H.A./15/1979/S-4, 5 and 16/2002, dated the 28th October, 2002, as required under Section 16(3) of the Haryana Affiliated Colleges (Security of Services) Act, 1979.”

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh : Sir, I beg to move-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Question is -

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

सरकारी प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble members, now a Minister will move the Official Resolution.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move the Official Resolution-

“That the Supreme Court of India in its Judgment dated the 21st March, 2002 in the matter of All India Judges Association Vs. Union of India and others [Writ Petition (Civil) No. 1002 of 1989] has passed a number of directions with regard to implementation of the recommendations of First National Judicial Pay Commission (also known as Shetty Commission). These directions inter alia include the grant of following incentives to the Judicial Officers i.e. members of Haryana Superior Judicial Services and H.C.S. (Judicial Branch) in the State with effect from 1-7-1996 :-

1. Revised scales of Pay and ACP
2. Residence cum Library allowance
3. Conveyance facility
4. Training Institute for Judicial Officers
5. Rent free accommodation
6. 50% concession in payment of electricity and water charges of the residences of the Judicial Officers.

Besides the above the Supreme Court of India has directed for strengthening of judicial system by increasing the judges strength from the existing ratio of 10.5 or 13 per 10

lakhs people to 50 Judges for 10 lakh people and the existing vacancies in the Subordinate Courts at all levels should be filled by 31-3-2003.

2. A compliance report about the implementation of above directions of the Supreme Court was to be submitted by 30-9-2002.

3. The impact of the Supreme Court judgement dated 21-3-2002 regarding revision of emoluments of Judicial Officers has been discussed in the meetings of Finance Ministers of States held on 7-9-2002 and 12-9-2002 and in the Chief Minister's conference on 18-10-2002 in New Delhi under the Chairmanship of Prime Minister of India. These conferences were attended by the State Finance Minister and the Chief Minister, Haryana respectively. The total additional financial liability in case of Haryana State on account of implementation of Supreme Court judgement dated 21-3-2002 is broadly estimated to be Rs. 625 crore. The financial implications involved are of a very high order. The Government of Haryana is not in a position to meet the requirement from its own resources.

4. The fiscal position of the State Government is already under severe stress due to pay revision on central pattern, economic recession, gradual decline in central tax devolution, adverse impact of award of Eleventh Finance Commission and mounting debt burden. The establishment expenditure has reached the alarming position of about 50% of total revenue receipts. The fiscal deficit of the State is likely to increase to Rs. 2686 crore forming 4.5% of the GSDP. As a result, debt

stock of the State has reached the level of Rs. 17,000 crore constituting 28% of the GSDP. Consequently, interest payment liability has reached the level of Rs. 1700 crore constituting 24% of the revenue receipts. These developments have aggravated the fiscal health of the State leading to substantial decline on development outlay. The financial implications of the Supreme Court Judgement dated 21-3-2002 will further worsen the financial position of the State. Hence, the existing financial position of the State does not permit the Government to undertake the huge liability of Rs. 625 crore due to Supreme Court directions dated 21-3-2002.

5. The judgement dated 21-3-2002 of Supreme Court will have many repercussions for other sections of the State Services as they may also come forward with similar demands. The State Government has to maintain some balance/parity regarding the pay structure of various services/cadres. One service/cadre in the State cannot be given a package of pay scales and perquisites which is quite disproportionate to what is being offered to other services/cadres. In such circumstances, it will be difficult for the State Government to ignore their demands.

6. In fact, the Supreme Court direction dated 21-3-2002 on revision in emoluments of Judicial Officers and providing other facilities having financial implications are an encroachment on the constitutional power of the State Legislature and as such Haryana

Government is not bound to implement the directions of the Supreme Court.

7. Keeping in view the resource crunch in the State and the consensus arrived in the aforesaid meetings and the legal/constitutional aspects of the matter, this House unanimously resolves that the State Government of Haryana should not give effect to this judgement of the Supreme Court and refer the matter to the Government of India for initiating an appropriate administrative and legal action.”

Mr. Speaker : Motion moved-

“That the supreme Court of India in its Judgment dated the 21st March, 2002 in the matter of All India Judges Association Vs. Union of India and others [Writ Petition (Civil) No. 1022 of 1989] has passed a number of directions with regard to implementation of the recommendations of First National Judicial Pay Commission (also known as Shetty Commission). These directions inter-alia include the grant of following incentives to the Judicial Officers i.e. members of Haryana Superior Judicial Services and H.C.S. (Judicial Branch) in the State with effect from 1-7-1996:-

1. Revised scales of Pay and ACP
2. Residence cum Library allowance
3. Conveyance facility
4. Training Institute for Judicial Officers

5. Rent free accommodation

6. 50% concession in payment of electricity and water charges of the residences of the Judicial Officers.

Besides the above the Supreme court of India has directed for strengthening of judicial system by increasing the judges strength from the existing ratio of 10.5 or 13 per 10 lakhs people to 50 Judges for 10 lakh people and the existing vacancies in the Subordinate Courts at all levels should be filled by 31-3-2003.

2. A compliance report about the implementation of above directions of the Supreme Court was to be submitted by 30-3-2002.

3. The impact of the Supreme Court judgement dated 21-3-2002 regarding revision of emoluments of Judicial Officers has been discussed in the meetings of Finance Ministers of States held on 7-9-2002 and 12-9-2002 and in the Chief Minister's conference on 18-10-2002 in New Delhi under the Chairmanship of Prime Minister of India. These conferences were attended by the State Finance Minister and the Chief Minister, Haryana respectively. The total additional financial liability in case of Haryana State on account of implementation of Supreme Court judgement dated 21-3-2002 is broadly estimated to be Rs. 625 crore. The financial implications involved are of a very high order. The Government of Haryana is not in a position to meet the requirement from its own resources.

4. The fiscal position of the State Government is already under severe stress due to pay revision on central pattern, economic recession, gradual decline in central tax devolution, adverse impact of award of Eleventh Finance Commission and mounting debt burden. The establishment expenditure has reached the alarming position of about 50% of total revenue receipts. The fiscal deficit of the State is likely to increase to Rs. 2686 crore forming 4.5% of the GSDP. As a result, debt stock of the State has reached the level of Rs. 17,000 crore constituting 28% of the GSDP. Consequently, interest payment liability has reached the level of Rs. 1700 crore constituting 24% of the revenue receipts. These developments have aggravated the fiscal health of the State leading to substantial decline in development outlay. The financial implications of the Supreme Court judgement dated 21-3-2002 will further worsen the financial position of the State. Hence, the existing financial position of the State does not permit the Government to undertake the huge liability of Rs. 625 crore due to Supreme Court directions dated 21-3-2002.

5. The Judgement dated 21-3-2002 of Supreme Court will have many repercussions for other sections of the State Services as they may also come forward with similar demands. The State Government has to maintain some balance/parity regarding the pay structure of various services/cadres. One service/cadre in the State cannot be given a package of pay scales and perquisites which is quite disproportionate to what is being offered to other services/cadres. In such circumstances, it will be difficult for the State Government to ignore their demands.

6. In fact, the Supreme Court directions dated 21-3-2002 on revision in emoluments of Judicial Officers and providing other facilities having financial implications are an encroachment on the constitutional powers of the State Legislature and as such Haryana Government is not bound to implement the directions of the Supreme Court.

7. Keeping in view the resource crunch in the State and the consensus arrived in the aforesaid meeting and the legal/constitutional aspects of the matter, this House unanimously resolves that the State Government of Haryana should not give effect to this judgement of the Supreme Court and refer the matter to the Government of India for initiating an appropriate administrative and legal action.”

Mr. Speaker : Question is-

“That the Supreme Court of India in its Judgment dated the 21st March, 2002 in the matter of All India Judges Association Vs. Union of India and other [Writ Petition (Civil) No. 1022 of 1989] has passed a number of directions with regard to implementation of the recommendations of First National Judicial Pay Commission (also known as Shetty Commission). These directions inter-alia include the grant of following incentives to the Judicial Officers i.e. members of Haryana Superior Judicial Services and H.C.S. (Judicial Branch) in the State with effect from 1-7-1996 :-

1. Revised scales of Pay and ACP
2. Residence cum Library allowance
3. Conveyance facility

4. Training Institute for Judicial Officers
5. Rent free accommodation
6. 50% concession in payment of electricity and water charges of the residences of the Judicial Officers.

Besides the above the Supreme Court of India has directed for strengthening of judicial system by increasing the judges strength from the existing ratio of 10.5 or 13 per 10 lakhs people to 50 judges for 10 lakh people and the existing vacancies in the Subordinate Courts at all levels should be filled by 31-3-2003.

2. A compliance report about the implementation of above directions of the Supreme Court was to be submitted by 30-9-2002.

3. The impact of the Supreme Court judgement dated 31-3-2002 regarding revision fo emoluments of Judicial Officers has been discussed in the meeting of Finance Ministers of States held on 7-9-2002 and in the Chief Minister's conference on 18-10-2002 in New Delhi under the Chairmanship of Prime Minister of India. These conferences were attended by the State Finance Minister and the Chief Minister, Haryana respectively. The total additional financial liability in case of Haryana State on account of im;plementation of Supreme Court judgement dated 21-3-2002 is broadly estimated to be Rs. 625 crore. The financial implications involved are of a very high order. The Government of Haryana is not in a position to meet the requirement from its own resources.

4. The fiscal position of the State Government is already under severe stress due to pay revision on central pattern, economic recession, gradual decline in central tax devolution, adverse impact of award of Eleventh Finance Commission and mounting debt burden. The establishment expenditure has reached the alarming position of about 50% of total revenue receipts. The fiscal deficit of the State is likely to increase to Rs. 2686 crore forming 4.5% Of the GSDP. As a result, debt stock of the State has reached the level of Rs. 17,000 crore constituting 28% of the GSDP. Consequently, interest payment liability has reached the level of Rs. 1700 crore constituting 24% of the revenue receipts. These developments have aggravated the fiscal health of the State leading to substantial decline in development outlay. The financial implications of the Supreme Court judgement dated 21-3-2002 will further worsen the financial position of the State. Hence, the existing financial position of the State does not permit the Government to undertake the huge liability of Rs. 625 crore due to Supreme Court directions date 21-3-2002.

5. The judgement dated 21-3-2002 of Supreme Court will have many repercussions for other sections of the State Services as they may also come forward with similar demands. The State Government has to maintain some balance/parity regarding the pay structure of various services/cadres. One service/cadre in the State cannot be given a package of pay scales and perquisites which is quite disproportionate to what is being offered to other services/cadres. In such circumstances, it will be difficult for the State Government to ignore their demands.

6. In fact, the Supreme Court directions dated 21-3-2002 on revision in emoluments of Judicial Officers and providing other facilities having financial implications are an encroachment on the constitutional powers of the State Legislature and as such Haryana Government is not bound to implement the directions of the Supreme Court.

7. Keeping in view the resource crunch in the State and the consensus arrived in the aforesaid meeting and the legal/constitutional aspects of the matter, this House unanimously resolves that the State Government of Haryana should not give effect to this Judgement of the Supreme Court and refer the matter to the Government of India for initiating an appropriate administrative and legal action.”

The motion was carried.

विधान कार्य

(i) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली
(फैसिलिटिज टू मैम्बर्ज) अमेंडमेंट बिल, 2002

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2002 and will move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Facilities to members) Amendment Bill, 2002. Sir I also beg to move-

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is -

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is -

That Clause 2 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is -

That Clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is -

That Enacting Formula be the Enacting formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir. I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried

(ii) दि ईस्ट पंजाब मोलासिज (कंट्रोल) हरियाणा
अमेंडमेंट बिल, 2002

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill, 2002 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill, 2002.

Sir. I also beg to move-

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be taken into Consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be Taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now. the House will Consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker : Question is –

That Clause 3 Stand Part of Bill.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is –

That Clause 1 Stand Part of Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir. I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is –

That the Bill be Passed.

The motion was carried.

(III) दि हरियाणा लोकल एरिया डिवैल्पमेंट टैक्स
(अमेंडमेंट) बिल, 2002

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill, 2002 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill, 2002

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill Be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill Be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is –

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Seake : Question is-

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stand part of The Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is –

That the Enacting formula be the Enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(IV) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल,

2002

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana General 14:00 बजे Sales Tax (Amendment) Bill, 2002 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 2002.

Sir, I also beg to move –

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill with notice of amendment be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Genral Sales Tax (Amendment) Bill with notice of amendment be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is –

That the Haryna General Sales Tax (Amendment) Bill with notice of amendment be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is –

That Sub-Clause 2 of clause 1 stand par part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2 to 9

Mr. Speaker : Question is –

That Clause 2 to 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Caluse 10

Mr. Speaker : Hon'ble members I have received the notice of amendment in Clause 10 from the Finance Minister. Now the Finance Minister may move his amendment.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move-

That in proposed Clause 10, for the word “shall be added and shall be deemend to have been added”, the word and letter “shall be added and Schedule E of these shall be deemed to have been added” shall be substituted.

Schedule-F

In proposed Schedule F substitute the following namely :-

(I) against serial number 3, under columns 3 and 4, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-

3	4
“8.0	8.0”

(II) against serial number 29, under columns 3 and 4, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-

3	4
“12.0	12.0”

(III) against serial number 36 under column 2, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely :-

3	4
“12.0	12.0” ;

(IV) against serial number 50 under column 3 and 4, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely :-

3	4
“12.0	12.0” ;

Mr. Speaker : Motion moved -

That in proposed clause 10, for the word “shall be added and shall be deemed to have been added”, the word and letter “shall be added and Schedule E of these shall be deemed to have been added” shall be substituted.

Schedule-F

In proposed Schedule F substitute the following namely :-

(I) against serial number 3, under columns 3 and 4, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-

3	4
---	---

“8.0 8.0”;

(II) against serial number 29, under columns 3 and 4, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely : -

	3	4
	“12.0	12.0”

(III) against serial number 36, under columns 2, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-

2

“pressure cooker and non-stick wares”;

(IV) against serial number 50, under columns 3 and 4, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely :-

3	4
“12.0	12.0”;

Mr. Speaker : Question is -

That Clause 10 along with the Schedule, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is -

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is –

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is –

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill, as amended be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir. I beg to move –

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

(v) दि पंजाब एक्साईज (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल
2002

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 2002 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 2002.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at onace.

Mr. Speaker : Question is -

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at onace.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2 to 8

Mr. Speaker : Question is -

That Clause 2 to 8 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is -

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Speaker : Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be Passed.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned
sine die.

***14.07 Hrs.**

(The Sabha then *adjounde sine-die.).